खण्ड-179, अंक-6
रविवार, 29 आश्विन, शक संवत् 1878
(21 अक्टूबर, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 179 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रविवार, २१ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९७)

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन, ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री

जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास ,श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री

पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री

मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधरअष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
बंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
बीरसेन, श्री
बीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री

शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

दोहरी घाट पम्प नहर से नथूपुर जाने वाली शाखाओं से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पाण्डेय जी ने दिया है। वह इस प्रकार है :—"दोहरीघाट पम्प नहर, जिला आजमगढ़ से निकलने वाली शाखायें एवं उप-शाखायें जो नथूपुर परगने में जाने वाली हैं, उसके लिए अदालत द्वारा भूमि एक्वायर न करके किसानों की बिना राय के सैकड़ों एकड़ की खड़ी अरहर, लाल मिर्च, मटर व चना आदि फसलों को बिना मुआवजा दिये ही आजमगढ़ जिले के नहर विभाग के इन्जीनियर तथा ओवरसियर स्थानीय पुलिस की मदद से निर्माण कर रहे हैं।

इस अवैधानिक कार्य के विरोध में स्थानीय जनता ने जुलाई से आज तक प्रार्थना-पत्रों द्वारा कड़ा विरोध माननीय सिंचाई मंत्री, चीफ इञ्जीनियर, सिंचाई विभाग, पूर्वीय रेंज, लखनऊ तथा एक्जीक्युटिव इञ्जीनियर, सिंचाई विभाग, आजमगढ़ के पास किया है। इसके अलावा हमारी ओर से भी कई पत्र एवं तार उक्त अधिकारियों के पास गये हैं पर सरकार द्वारा उपेक्षापूर्ण नीति बरती जा रही है, जिसके कारण लगभग एक लाख जनता में इस अवैधानिक कार्य के कारण असन्तोष एवं रोष फैलने जा रहा है तथा संकटापन्न और शांति-भंग की स्थिति उत्पन्न हो जाने की पूर्ण सम्भावना हो गयी है।

अतएव इस विषम परिस्थिति पर विचार करने हेतु सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसके साथ-साथ मेरे पास श्री रामसुन्दर पाण्डेय जी ने कुछ थोड़े से कागजात भी, जो पत्र-व्यवहार उन्होंने किया है, वे हैं। मैं इस विषय के ऊपर निश्चितता के बारे में जानना चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वाकयात क्या हैं।

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट से एक बहुत बड़ी नहर का निर्माण हो रहा है। इस सम्बन्ध में बहुत-सी शाखायें और उप-शाखायें भी निकालने का प्राविजन किया गया है। इस सिलसिले में उसका सर्वेक्षण हो रहा है। इरिगेशन मैनुअल आफआर्डर्स में धारा १५२ की उपधारा (१४) में है कि कोई नहर विभाग का इञ्जीनियर या उनसे सम्बन्धित ओवरसियर या इस किस्म के लोग सर्वेक्षण में जा सकते हैं, और अगर कोई फसल के काटने की जरूरत हो तो उसे काट भी सकते हैं, गड्ढे खोदने की जरूरत हो तो उसे भी कर सकते हैं। अगर किसी के मकान की दीवार खिंची हुई है . . . .

श्री अध्यक्ष—आपका कहना है कि नियम के विरुद्ध कोई चीज नहीं हो रही है। मैं वाकयात जानना चाहता था निश्चितता के आधार पर।

श्री राममूर्ति—यह काफी पुरानी बात हो गयी है। १३ सितम्बर . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके मुझे इसके जवाब में छोटा-सा लिखित स्टेटमेंट भेज दें ताकि उसके ऊपर मैं अपनी राय कायम कर सकूं कि यह विषय ऐसा है या नहीं, जिसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव लाया जा सकता है।

"इंडियन इनहेरिटेंस" नामक पुस्तक के खरीदवाने के हेतु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर के पत्र से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों में उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा एक काम रोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है। वह इस प्रकार है :—

"श्री आर० के० तलवार, सेक्रेटरी, राज्यपाल श्री० के० एम० मुन्शी, चांसलर इलाहाबाद युनिवर्सिटी ने चांसलर महोदय का एक आदेश-पत्र इलाहाबाद युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास भेज कर भारतीय विद्या भवन बाम्बे द्वारा प्रकाशित "इन्डियन इनहेरिटेंस" नामक पुस्तक को विद्यार्थियों से खरीदवाने पर जोर दिया है। चांसलर महोदय को इस पक्षपात सहित अनधिकारपूर्ण शक्ति के दुरुपयोग से तमाम युनिवर्सिटी के अधिकारियों तथा शिक्षा-प्रेमियों के बीच असन्तोष का वातावरण पैदा हो गया है, अतः यह सदन उपर्युक्त आवश्यक विषय पर विचार करने के लिए आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस विषय में जहां तक युनिवर्सिटी का सम्बन्ध है वह एक ओटोनोमस (स्वतंत्र) बाडी है। अगर उससे चांसलर की हैसियत से कोई पत्र-व्यवहार होता है तो वह उसका इन्टरनल मैटर है। जब तक सरकार का सीधा सम्बन्ध उस विषय में नहीं आता है तब तक चांसलर कोई आदेश देता हो उस विषय में विचार-विनिमय इस सदन में नहीं हो सकता। चूंकि अखबारों में भी इस विषय में बहुत-सी चीजें प्रकाशित हुई हैं, इसलिए मैंने उसको यहां पढ़ दिया। अगर मन्त्री जी उस पर कोई प्रकाश डालना चाहें, आज डालना चाहें, तो आज वरना कल उनको मैं मौका दे सकता हूं। लेकिन इस प्रस्ताव को मैं अवैध करार देता हूं और उसको उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, तलवार साहब गवर्नर के सेक्रेटरी हैं।

श्री अध्यक्ष—वह चांसलर के भी तो सेक्रेटरी हैं। आपने इसके साथ कोई ऐसे कागजात उपस्थित नहीं किये, जिन से यह सिद्ध हो कि यह पत्र उन्होंने गवर्नर के सेक्रेटरी की हैसियत से लिखा है। चूंकि उसको चांसलर ही ने लिखा है और एक आटोनोमस बाडी को भेजा गया है, इसलिए मैं उस प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता।

प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—राजनारायण जी का एक कामरोको प्रस्ताव बाढ़ के बारे में है वह इस प्रकार है—

"प्रदेश के पश्चिमी जिलों खास कर मथुरा, आगरा, मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़, हरदोई, बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद, सीतापुर, एटा, सहारनपुर, नैनीताल, कानपुर, लखीमपुर, खीरी आदि-आदि जिलों में अक्तूबर की बाढ़ से जो भयंकर क्षति हुई है और जो बड़े पैमाने पर धन-जन की हानि हुई, उसने पश्चिमी जिलों में बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, अतः इस उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस सदन में बाढ़ के सम्बन्ध में मैं एक निर्णय दे चुका हूं कि इस सम्बन्ध में मैं कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि बाढ़ के ऊपर दो-तीन मर्तबा बहस हो चुकी है।

शिक्षा मंत्री द्वारा पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों से जौनपुर कांग्रेस पार्टी सम्मेलनार्थ धन एकत्र करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—एक और दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है, वह इस प्रकार है—

"शिक्षा मन्त्री श्री हरगोविन्द सिंह जी ने पाठ्य पुस्तक प्रकाशकों के पास एक पत्र भेजकर जौनपुर में कांग्रेस पार्टी सम्मेलनार्थ धन मांगा है। शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रकाशकों से इस प्रकार पार्टी सम्मेलन के लिए धन प्राप्त करने का जो गैर जनतांत्रिक तथा सरकार और पार्टी के एकीकरण का तरीका अख्तियार किया गया है उससे प्रदेश के प्रकाशकों में असन्तोष का वातावरण पैदा है।

अतः यह सदन शिक्षा मन्त्री महोदय ने जो तरीका अख्तियार कर जनतांत्रिक प्रणाली को ठेस पहुंचाया है और पाठ्यपुस्तक प्रकाशकों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है, उस पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

दूसरा श्री राम सुभग वर्मा जी का भी इसी तरह का है कि "यह सदन शिक्षा मन्त्री, उत्तर प्रदेश द्वारा कांग्रेस पार्टी की जौनपुर कान्फ्रेंस के हेतु प्रदेश के टेक्स्ट बुक छापने वाले प्रकाशकों से रुपया चन्दा हेतु मांगने के सम्बन्ध में निकाले गये परिपत्र तथा परिणाम-स्वरूप उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" श्री रामसुभग वर्मा जी आये नहीं हैं। जब वे मौजूद नहीं हैं तब तो उनका प्रस्ताव ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब जो श्री राजनारायण जी का प्रस्ताव है उसमें पहले तो उन्होंने श्री हरगोविन्दसिंह, ऐसा नाम दिया और बाद में शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रकाशकों से इस प्रकार। तो यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है।

(श्री राजनारायण बोलने के लिए खड़े हुए) आप कृपा करके बैठ जायं। जब मैं खड़ा होऊं, तो अनुशासन का पालन करना चाहिए। इसमें आपने कहीं यह नहीं दिया है कि शिक्षा मन्त्री की हैसियत से उन्होंने कोई हुक्म इस तरह का भेजा या इस तरह की अपील की गयी है। बल्कि मेरे पास इसकी जानकारी है। मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री जी से जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सब को अपील की है और उसमें यह भी आ जाता है जिसका जिक्र इसमें है। सभी आम जनता से अपील की है। उसी सिलसिले में उन्होंने पत्र हर एक को लिखा और व्यक्तिगत रूप से भी लिखा, मन्त्री की हैसियत से नहीं लिखा। ऐसी अवस्था में श्री राजनारायण जी जब तक इसका स्पष्टीकरण न दें कि मन्त्री की हैसियत से उन्होंने कोई पत्र लिखा या अपील की तब तक यह निश्चित विषय नहीं माना जा सकता। क्या श्री राजनारायण जी इस सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने मन्त्री की हैसियत से कोई पत्र लिखा ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक निवेदन तो मैं आप से पहले कर देना चाहता हूं कि शायद जो प्रथम कापी है उसमें शिक्षा मन्त्री लिखना छूट गया है, क्योंकि वह हाथ की लिखी हुई कापी है मगर मेरे पास जो दूसरी कापी है, जिसको मैंने टाइप करवाया है, वह मेरे पास है और इसमें तो शिक्षा मन्त्री है . . .

श्री अध्यक्ष---लेकिन जो मेरे पास है उस पर बात चलेगी।

श्री राजनारायण---मैंने शिक्षा मन्त्री श्री हरगोविन्दसिंह ऐसा लिखा है शायद उसमें भी हो। मैंने पिन कर दिया था। शायद नीचे पड़ा हो।

श्री अध्यक्ष---हां है, 'पिन' के कारण छिपा पड़ा रहा है।

श्री राजनारायण---हमारे साथ पिन के कारण भी कभी-कभी अन्याय हो जाता है। हर जगह यह पिन आ जाता है। (हंसी)।

श्री अध्यक्ष---मेरे सामने प्रश्न यह है कि मन्त्री की हैसियत से उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है।

श्री राजनारायण---मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यदि आप पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम होगा . . .

श्री अध्यक्ष---पत्र तो आपने दिया नहीं है।

श्री राजनारायण---जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुका है, वह उसका अविकल रूप ही प्रकाशित हुआ है। आप नेशनल हेराल्ड मंगाकर देख सकते हैं या नवजीवन मंगा कर देख सकते हैं और जो लोग मुझसे मिलने आये थे जिनसे मैंने बातचीत की है उनसे मालूम हुआ कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने दो पोजीशन लिया है। एक तो इसमें यह है . . .

श्री अध्यक्ष---वह तो आप नहीं बतला सकते हैं। आप इतना ही बतला दीजिये कि शिक्षा मन्त्री की हैसियत से उन्होंने लिखा है क्या यह निश्चित है ?

श्री राजनारायण---मैं इसको बिलकुल निश्चित मानता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो आपके पास कोई सबूत है ?

श्री राजनारायण---हां, मैं सबूत बतला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---लेकिन सबूत बतलाया नहीं जाता।

श्री राजनारायण--क्योंकि कई जगह उन्होंने पत्र लिखा है और रिसेप्शन कमेटी का भी बयान है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन इससे क्या होता है, आप सबूत दीजिए।

श्री राजनारायण--कल मैं इसका सबूत दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, तो कल ही इस पर निश्चय होगा।

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--श्रीमन्, वह पत्र जो मैंने भेजा है, वह किसी सरकारी कागज पर नहीं भेजा है। उसका जो लिफाफा है, वह भी बाजार का ही है, यहां का लिफाफा भी नहीं है। स्टाम्प भी जो उस पर लगाया गया है वह भी साधारण स्टाम्प जो होता है, वही लगाया गया है। कोई सर्विस स्टाम्प भी नहीं लगा है। उस पर जो मैंने अपना दस्तखत किया है वह भी खाली "हरगोविन्दसिंह" ही किया है। वह पत्र केवल उन्हीं प्रकाशकों को ही नहीं लिखा गया है, बल्कि बहुत से और लोगों को भी मैंने लिखा है और मैं समझता हूं कि हमारा अधिकार है कि हम इस तरह से रुपया इकट्ठा करें और मैं कर भी रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--तो कल इसको लिया जायगा।

इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना आदरणीय सदन को देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभी की कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी २० अक्तूबर, १९५६ की बैठक में निश्चय किया कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय--

सामान्य विवाद-- २१ अक्तूबर, १९५६ को पूरे दिन तथा २२ अक्तूबर, १९५६ को दिन के सवा बजे तक।

खंडों पर विचार तथा पारण--२२ अक्तूबर, १९५६ को सवा दो बजे से ५ बजे तक तथा २३ अक्तूबर, १९५६ को सदन के उठने तक।

श्री परमेश्वरीदयाल (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसको पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)-- अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि आपके द्वारा मैं चाहूंगा कि कार्य परामर्शदात्री समिति अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। मेरा सुझाव यह है कि जिस विषय पर इस सम्बन्ध में हम विचार करने जा रहे हैं वह है --इन्टरमीजियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६। १९२१ का जो इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट था उसको संशोधित करने के लिये यह विधेयक आया हुआ है। आप श्रीमन्, स्वतः इस बात को देखेंगे कि प्रदेश की प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली से इसका सम्बन्ध है और सारे प्रदेश के शिक्षा-प्रेमियों की आंखें इस पर लगी हुई हैं कि विधान सभा के माननीय सदस्य किस प्रकार से इसकी रूपरेखा रचते हैं और आगे इन्टर की पढ़ाई कैसे होगी, बोर्ड का गठन कैसे होगा, कमेटियों का मैनेजमेंट और प्रभाव आदि कैसे होगा। हम सारी शिक्षा प्रणाली को ओवरहाल (नया रूप)

करने जा रहे हैं और यदि हम शिक्षा को एक मुक्त वातावरण में रखना चाहते है तो ऐसे अहम बिल को इतने थोड़े समय में बांधकर पास कराने का प्रयत्न न होना चाहिए। इसलिये मैं आपके द्वारा कार्य परामर्शदात्री समिति से निवेदन करूंगा कि वह अभी इसको वापस लेकर पुनः हमारे निवेदन पर विचार करे और इस विधेयक के लिये और अधिक समय निकाले। और लोगों को वादविवाद का पूरा अवसर प्रदान करे, ताकि वह अपनी सम्मति व्यक्त कर पायें। मेरी निजी जानकारी है और समाचार-पत्रों के द्वारा भी जानकारी है कि सरकारी पक्ष के भी बहुत से विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणाली को चलाने वाले लोग हैं वह भी इस पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रख रहे हैं। प्रदेश के जितने भी शिक्षा-प्रेमी लोग हैं वे भी इस पर अपनी तरह-तरह की सम्मतियां दे रहे हैं। तो इन बातों को दृष्टि में रखकर मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को आज इस रूप में पेश न किया जाय और आज इस पर सामान्य वादविवाद चले और कार्य परामर्शदात्री समिति इस पर फिर विचार करके इस पर अधिक से अधिक समय दे ताकि विचारों का ठीक से आदान-प्रदान हो पाये।

श्री परमेश्वरीदयाल---अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा हुआ है वह ठीक है, मैं उसी का फिर समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मूल संकल्प यह है कि यह सदन इन्टरमीजियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसको पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है, और

उसमें श्री राजनारायण का संशोधन यह है कि---

इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६, पुनर्विचार के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति के पास भेजा जाय जिसमें और अधिक समय इस विधेयक के लिये दिया जा सके।

इस पर मैं राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६, पुनर्विचार के लिये परामर्शदात्री समिति के पास भेजा जाय जिसमें और अधिक समय इस विधेयक के लिए दिया जा सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---७,

विपक्ष में---११२।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह न्युटरल का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--- मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जो जरा इसके ऊपर ज्यादा विश्वास करें कि लोग अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करते हैं उनकी आवाज की बनिस्बत। उनको आवाज देने की जरूरत नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि सदन इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल एवं श्री व्रजभूषण मिश्र द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि रामेश्वरलाल जी का प्रिविलेज का मोशन बहुत पहले से आपकी सेवा में दिया गया था जो कि जेल अधिकारियों के बारे में उठाया गया था। उस बारे में भी आपने कहा था कि लिख कर दे दो। पहले भी लिख कर दिया था और दूसरी बार भी लिख कर दिया। उस सम्बन्ध में क्या हुआ, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं अपने दफ्तर से पता लगा कर बतलाऊंगा। इसको नोट कर लिया जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—एक प्रिविलेज का सवाल मैंने भी उठाया था।

श्री अध्यक्ष—उसको भी देख कर आपको बतलाऊंगा।

*इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

भारत सरकार ने सन १९१७ में कलकत्ता यूनीवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया था जिसको सेडलर कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन ने बहुत-सी सम्मितियां केन्द्रीय सरकार के समक्ष भेजीं और केन्द्रीय सरकार ने उस समय देश में जितने प्रान्त थे उन रिकमेंडेशंस को कार्यान्वित करने के लिये भेजा। उन्हीं सब रिकमेंडेशंस को लेकर एक ऐक्ट १९२१ में पारित हुआ और तभी से यह उस ऐक्ट के अनुसार कुछ कार्य होता चला आ रहा है। चूंकि यह ऐक्ट १९२१ में बना और ३५ साल से उसी के अनुसार यह कार्य संपादन किये जा रहे हैं, लेकिन इस समय के बीच में हम देखते हैं कि इस प्रान्त में बहुत से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, अतः ऐसी परिस्थिति को देखते हुए इस ऐक्ट में भी संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

१९३८ में प्रान्तीय सरकार ने आचार्य नरेन्द्रदेव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी प्राथमिक और माध्यमिक संस्थाओं में संशोधिन करने के लिए नियुक्त की थी। इस कमेटी ने जो संस्तुति सरकार के समक्ष प्रस्तुत की उसी के अनुसार बहुत-सा कार्य होता रहा और उनकी रिकमेंडेशंस समयानुकूल कार्य रूप में परिणत को जाती रहीं और फिर सरकार ने १९५२ में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जिसकी खास मंशा यह थी कि १९३८ में जो कमेटी बनी थी उसकी संस्तुतियों को किस सीमा तक कार्यरूप में परिणत किया गया और उससे शिक्षा संस्थाओं को क्या लाभ हुआ। इसके असेंसमेंट करने के लिए यह कमेटी बनी। तत्पश्चात् यह पता चला कि राज्य में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान के प्रतिमान में कमी हुई है। साथ ही साथ शिक्षा संस्थाओं में काफी अनुशासन-हीनता आ गयी है। यद्यपि डिपार्टमेंट शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ३७७ के अनुसार अनुपालन अनुदान देता है तथापि शिक्षा संस्थाओं में जो अनुशासन-हीनता या उनके स्टैंडर्ड में कमी आ गयी है उस पर विचार करना अति-आवश्यक हो गया है इसलिए इस विधेयक की खास मंशा यह है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को किसी तरह से अच्छे ढंग से कार्यरूप में परिणत किया जाय। तो इसके लिए आथोराइज्ड कंट्रोलर्स को नियुक्त करने की, ऐसी संस्थाओं में जिसके विरुद्ध कोई शिकायत आये, आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ शिक्षा संचालक को यह अधिकार दिया जाय कि जब कोई ऐसी शिकायत आये तो वह इसका इंस्पेक्शन करें और इंस्पेक्शन करने

---

* ७ सितम्बर, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

के पश्चात् जो भी कार्यवाही इस ऐक्ट के द्वारा उचित हो सरकार उसको कार्यरूप में परिणत करे। यही विधेयक की खास मंशा है कि आथोराइज्ड कंट्रोलर्स नियुक्त किये जायं और साथ ही साथ शिक्षा संचालक को पूर्ण अधिकार दिया जाय कि वह शिक्षा संस्थाओं में जाकर जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है, इंस्पेक्शन कर सकें। अतः मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस विधेयक पर विचार करने के बाद पारित करने की कृपा करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इंटरमीडिएट एजूकेशन विधेयक, १९५६ को ३१ दिसम्बर, १९५६ तक जनमत संग्रहार्थ प्रसारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने अभी कहा बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। साधारणतः मैं जनमत-संग्रह के लिए प्रस्ताव न करता, प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव करने पर संतोष कर लेता, लेकिन दो विशेष कारण हैं जिनकी वजह से मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि वह जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय।

पहला कारण तो यह है कि मेरा अनुभव इस सदन का अब तक यह रहा है कि प्रवर समिति से सरकारी पक्ष को कुछ ऐसी चिढ़ है कि वह किसी भी दशा में किसी विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना पसन्द नहीं करता। उदाहरण के लिए, मैंने प्रस्ताव किया था कि शरीर रचना विधेयक के बारे में कि वह ३० सितम्बर तक के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। अन्त में वह प्रस्ताव कल २० अक्तूबर को जाकर पास हुआ। अगर तीस सितम्बर तक के लिए प्रवर समिति का प्रस्ताव मान लिया जाता तो सरकार का या किसी का कोई नुकसान नहीं होता। प्रवर समिति में अच्छी तरह से विचार हो सकता था। प्रवर समिति का वायुमंडल सदन के वायुमंडल से भिन्न होता है विचार के लिए। इसीलिए इस बात की योजना जनतंत्र में सब जगह की जाती है। परन्तु जैसा मैंने आपसे कहा सरकार को कुछ चिढ़ है। वह समझती है जो विधेयक वह लाती है अगर उसकी चले तब तो शायद हर विधेयक को १ घंटे में पास करा ले और अधिक समय लगाना बिल्कुल बेकार समझती है। कुछ लोग परामर्शदात्री समिति की बात मान लेते हैं यह सोचकर कि जनतन्त्र की इस तरह से अवहेलना न हो इसलिये वे दो या तीन दिन की बहस स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं राजनारायण जी से सहमत हूं कि इस विधेयक पर कम से कम ५ दिन का समय मिलना चाहिये था दो दिन सामान्य विवाद के लिये और तीन दिन खंडों के लिये। पहला तो कारण यह है।

दूसरा कारण यह है कि इस विधेयक का जो सिद्धान्त है, जिस सिद्धान्त के प्रतिकूल यह विधेयक पड़ता है वह जनतन्त्र को और मानव समाज के भविष्य का इतना आधारभूत, मौलिक और पवित्र सिद्धान्त है कि उसके कारण इस विधेयक पर जनमत संग्रह करना आवश्यक प्रतीत होता है। वह सिद्धान्त यह है कि शिक्षा स्वतन्त्र होनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिये। इसी बात को ऐलडस हक्सले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ऐन्ड्स ऐन्ड मीन्स' में इस तरह से कहा है कि सरकारी नियंत्रणों से आजकल जो तरह-तरह के वादों के नाम पर जनकल्याण के नाम पर सरकार की ओर से किये जाते हैं उनसे, मानव को मानव समाज की स्वतन्त्रता के लिये, विचार-स्वातन्त्र्य के लिये एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बीसवीं शताब्दी, जो स्वतन्त्रता का युग कही जाती है, वही बीसवीं शताब्दी स्वतन्त्रता के अपहरण का सब से बड़ा कारण बन रही है। चूंकि शिक्षा, पाठ्य-पुस्तकें, समाचार-पत्र, रेडियो, सिनेमा, सूचना विभाग, ज्ञान और सूचना के प्रसार के जितने साधन हैं वे सब सरकार के नियंत्रण में चलाये जाते हैं और मनोविज्ञान, साइकोलौजी, प्रचार शास्त्र, आर्ट ऐन्ड साइंस आफ प्रोपेगेन्डा के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि किस तरह से सरकारें पब्लिक

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

माइन्ड के कंट्रोल, सोशल माइन्ड के कंट्रोल के लिये, जनता के मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिये प्रयत्न करती हैं। इस सम्बन्ध में शास्त्रीय पुस्तकें कंट्रोल आफ सोशल माइन्ड, कन्ट्रोल आफ पब्लिक ओपीनियन ऐसी दर्जनों शास्त्रीय पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलाया जा सकता है कि किस प्रचार से आजकल के युग में मानव की स्वतन्त्रता के लिए, विचार-स्वतंत्रता के लिए, सही ज्ञान प्राप्त करने के लिये और सही चिन्तन करने के लिये एक खतरा पैदा हो गया है जो ऐटम बम से भी अधिक भयानक है, क्योंकि वह मानव की आत्मा को, उसके हृदय और विचार को कंट्रोल करने का काम करता है। इस सिद्धान्त के आधार पर मैं यह चाहता हूं यह जनमत-संग्रह के लिए भेज दिया जाय।

यह बात कही जा सकती है कि ऐल्डस हक्सले की पश्चिमी देशों की शिक्षा के ऊपर बातें हैं, हम क्यों मानें। तो अपने देश के विचारों, महात्मा गांधी की बात जाने दीजिये, संत विनोबा भावे का यह विचार है कि शिक्षा स्वतन्त्र होनी चाहिये। शिक्षा के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिये। संत विनोबा भावे शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यही मानते हैं कि शिक्षा स्वतन्त्र नहीं है और इसीलिए वे इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि सरकारी नियंत्रण शिक्षा के ऊपर हो। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों पर ध्यान दिया जाय तो यह मालूम होगा कि कारण देने के बाद जो उद्देश्य और कारण में बताया गया है वह एक मात्र उद्देश्य यही है कि सरकारी नियंत्रण शिक्षा के ऊपर बढ़े। अन्तिम जो वाक्य है वह यह है--"उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में सर्वांगीण सुधार करने के निमित्त सरकार का शिक्षा विभाग समझता है कि यह आवश्यक है कि अधिकृत नियंत्रक (अथोराइज्ड कंट्रोलर) इत्यादि नियुक्त करने के तथा शिक्षा संचालक को निरीक्षण के कतिपय अधिकार प्रदान करने के, अधिकार प्राप्त कर लिये जायं।" तो यह अधिकार प्राप्त करने के लिये यह उद्देश्य है इस विधेयक का। अधिकार प्राप्त करने के लिए यह उद्देश्य दिया गया है। यह ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार की अधिकार-लिप्सा, अतृप्त अधिकार लिप्सा, दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है और वह कभी तृप्त नहीं होती। जितने ही उसको अधिकार मिलते जाते हैं उतनी ही अधिक तृष्णा बढ़ती जाती है। कम होने के बजाय वह बराबर बढ़ रही है और इस विधेयक में यह बात साफ तरह से दिखाई देती है।

हमारी सरकार की नीति इस सम्बन्ध में अजीब है। न तो वह पूरे तौर पर समाजवाद को मानती है, न वह पूरे तौर पर गांधीवाद को मानती है। यह कहा जा सकता है कि वह दोनों के समन्वय को मानती है। मैं भी दोनों के समन्वय के पक्ष में हूं। मैं समन्वय के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन मुझे भय यह है कि सरकार की ओर से जो समन्वय दिया जा रहा है वह समन्वय दोनों वादों की अच्छाइयों का समन्वय नहीं है। दोनों वादों की बुराइयों को लिया जा रहा है और दोनों वादों की अच्छाइयों का वहिष्कार किया जा रहा है। इस समन्वय में मैं यह दोष पाता हूं। सन्त विनोबा के ही शब्दों में सरकार के दो सिर हैं। हाल में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि सरकार के दो सिर हैं। एक सिर से वह पश्चिम की बात कहती है और सोचती है और दूसरे सिर से वह गांधी मार्ग और भारतीय संस्कृति की बात सोचती है और दोनों के नाम पर यश लूटती है जब कि दोनों को सोचते हुए एक का भी पालन नहीं कर पाती है और जैसा मैंने कहा दोनों की बुराइयों को ग्रहण करते हुए दोनों की अच्छाइयों को छोड़ देती है। इसलिए सन्त विनोबा ने तो यह कहा कि देश का कल्याण तभी हो सकता है जब कि सरकार का एक सिर काट दिया जाय। यानी या तो वह पश्चिम से ही सोचे या पूर्व से ही सोचे। कम से कम दोनों की बुराइयों को ग्रहण न करे। यदि यह मेटाफर कोई और काम में लाता तो उसके ऊपर हिंसा का दोषारोपण भी किया जाता है लेकिन चूंकि संत विनोबा ने कहा है इसलिए उनके ऊपर मुकदमा चलाने का साहस भी किसी को नहीं होता और बात इतनी अच्छी है कि उसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

अब जो अधिकार इस विधेयक के द्वारा सरकार लेना चाहती है वह अनियंत्रित तो है ही। अगर कोई अथोराइज्ड कंट्रोलर कोई गलती करे तो उसको यह छूट दे दी गई है कि यदि सद्भावना से कोई अपराध हो जाय तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी। यह भी एक ऐसी चीज है कि दिन पर दिन बढ़ती जाती है। आम तौर पर जनकल्याण और सोशलाइजेशन के नाम पर नौकरशाही की संख्या और शक्ति बढ़ती चली जा रही है। उनके अधिकार ऐसे अनियंत्रित होते जाते हैं कि विधानों में इस बात की व्यवस्था की जाती है कि उनसे गलती हो, ज्यादती हो, तो सद्भावना के नाम पर कोई कार्यवाही उनके खिलाफ न्यायालय में भी न हो सके। मैंने कल भी इसका विरोध किया था और आज भी इसका विरोध करता हूं और इसी सिद्धान्त के आधार पर करता हूं कि यह जनतंत्र के, नागरिक स्वाधीनता के फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उनके विरुद्ध है और अन्त में जाकर इससे जनता की स्वतन्त्रता को हानि पहुंचती है। जनकल्याण के नाम पर, स्पष्टतः, जैसा कि गांधीवादी और सन्त विनोबा समझते हैं, वैसा ही मैं भी समझता हूं कि जनकल्याण के नाम पर जन-अकल्याण हो रहा है। जनता के अधिकारों का अपहरण दिन पर दिन किया जा रहा है। इन अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है, होता भी है...

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--हो रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--वह मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं यह पसन्द करता हूं कि जो बात कहूं वह संयमित कहूं, सन्तुलित कहूं, अपनी बात अवश्य कहूं, लेकिन संयमित और सन्तुलित कहूं और यह बात माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे ही मालूम हुई थी। आपने ही बुन्देलखंड की वह कहावत कही थी कि--

"काने को काना कहे तुरतहि जाये रूठ,
धीरे धीरे पूछिये कैसे गई तेरी फूट।"

आपके इस उपदेश को मैं मानता हूं और अंग्रेजी की इस कहावत में मैं विश्वास करता हूं कि हार्ड वर्ड्स ब्रेक नो बोन्स। सख्त अल्फाज़ इस्तेमाल कर देने से हड्डियां नहीं टूट जाती हैं। इसलिए अपनी बात कही जाय, सत्य बात कही जाय, लेकिन जहां तक हो सके कटुता और अप्रियता से शून्य हो तो अच्छा है। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ इन बातों को कह रहा हूं।

मैंने जैसा कहा, दुरुपयोग की आशंका है और वह आशंका बिल्कुल निराधार नहीं है। यह कोई नहीं कह सकता कि निराधार है, चूंकि आज हमारी सरकार के पदों के और सत्ता के सदुपयोग के सम्बन्ध में--मैं 'दुरुपयोग' का प्रयोग जानबूझ कर नहीं कर रहा हूं--हमारी सरकार की कमनीय कीर्ति कितनी है, इसका विचार माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर, सदन पर और जनता के ऊपर छोड़ता हूं। इसमें भी मैं अपनी राय नहीं दूंगा और मैं जानता हूं कि सदन का, आपका और जनता का विचार क्या है और निर्णय क्या है। इसीलिए मैं अपने कथन की पुष्टि में जो प्रमाण भी दूंगा तो उसमें भी किसी का नाम नहीं लूंगा सिवाय बेयर फैक्ट्स कहने के और कुछ नहीं कहूंगा। इतना ही कहना काफी होगा कि हमारे प्रदेश की चुनाव अदालतों ने हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों, माननीय मिनिस्टर्स के बारे में यह लिखा है उन्होंने यह अपना फैसला दिया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी आफिशियल पोजीशन का मिस्यूज किया। यह फैसला चुनाव अदालत का लखनऊ में हो चुका है। मैं नाम लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझता क्योंकि मैं अपने सिद्धान्त और कथन की पुष्टि करना चाहता हूं, किसी व्यक्ति की निन्दा या आलोचना नहीं करना चाहता। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, आपको और सदन को मालूम है कि मंत्रिमंडल के एक माननीय सदस्य के सम्बन्ध में भी मुकदमा चल रहा है कि

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

उन्होंने अपनी आफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया। उसका फैसला होना बाकी है। तो ये दोनों संकेत मैंने इसलिए कर दिये कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह शंका निराधार है कि अधिकारों का दुरुपयोग किया जायगा या किया जाता है।

इसके अलावा तीसरी बात जो खास तौर से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि चूंकि यह विधेयक शिक्षा विभाग से सम्बन्ध रखता है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग की कीर्ति तो इस सम्बन्ध में और भी कम कमनीय है। मैं बुरी नहीं कहूंगा, मैं यह भी नहीं कहूंगा कि अच्छी नहीं है, वह कम कमनीय है और साहित्यिक भाषा का जानबूझ कर प्रयोग करता हूं जिससे कोई आक्षेप न उठा सके। तुलसीदास जी ने कहा है कि 'कुंवरि मनोहर विजय बड़ि, कीरत अति कमनीय' और इसलिए 'कमनीय कीर्ति' का मैंने प्रयोग किया है। मैं भाषण में असाहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। विवाद को एक सीमा, प्रतिष्ठा, संयम और संतुलन के अन्दर रखना चाहता हूं।

श्री राजनारायण—मगर ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जिसे मंत्री जी समझें भी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मंत्री जी को समझाने की योग्यता आपमें भले ही हो, मुझमें नहीं है। उनके बारे में कह गये हैं तुलसीदास जी, जो मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं इतना बड़ा दावा और अहम्मन्यता अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपने सोचा है कि दोनों को एक ही नाव में बैठा दिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल बाढ़ के समय अगर एक नाव में बैठा दिया जाय तो कोई बुरी बात नहीं होगी, एक नाव में बैठकर दोनों के प्राण बचाये जा सकेंगे।

मैं यह कह रहा था कि इसकी कीर्ति और भी कम कमनीय है। अभी शिक्षा विभाग के संबंध में इस तरह की बहुत सी शिकायतें हैं। इसमें अधिकारों का पूर्ण सदुपयोग नहीं होता है। आज अभी एक मामला जिसका जिक्र श्री राजनारायण जी ने एक काम रोको प्रस्ताव में किया उसकी कटिंग मैं भी अपने साथ ले आया हूं और क्योंकि आपने कहा कि थोड़ा-सा विवाद हो चुका है, इसलिये उसको पढ़ूंगा नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य कभी भी किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई बात कहने का नहीं होता है, इसलिये उसका उल्लेख नहीं करूंगा और केवल इतना ही कहूंगा कि मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा था वह कानूनन सही हो तो भी कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण में अन्तर होता है। लीगली अधिकार हो लेकिन फिर भी नैतिक महत्व होता है, कुछ विशिष्ट परम्पराये होती हैं, कुछ हैल्दी कवेंशन्स होते हैं ....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उस विषय का जिक्र नहीं होना चाहिये। वह कल सदन में आयेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इसीलिये मैंने कहा कि मैं अपना विचार प्रगट नहीं करूंगा, केवल संकेत मात्र कहता हूं कि उन्होंने जो सफाई दी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूं। इसके अलावा शिक्षा विभाग को जो अनुदान देने और दिये हुये अनुदानों को वापस लेने का अधिकार है उसका भी बहुत अच्छा सदुपयोग नहीं किया गया है। बहुत सी शिकायतें हैं। एक शिकायत के बारे में मेरे पास तहरीरी सबूत हैं। प्रयाग से लीडर नाम का पुराना और प्रतिष्ठित दैनिक पत्र निकलता है, उसके १८ अगस्त, १९५६ के ऐडीटोरियल में शिक्षा विभाग की अनुदान संबंधी नीति और अनुदानों को वापस लेने या बन्द कर देने की

नीति के संबंध में तीव्र आलोचना की गई है। उसका मैं केवल उल्लेख कर देना चाहता हूं यह बताने के लिये कि मुझे बहुत सी बातें मालूम हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं केवल वही बात कहना चाहता हूं जिसका तहरीरी सबूत मौजूद है और एक से अधिक मौजूद है, लेकिन उनके कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, केवल एक उदाहरण देना ही काफी होता है और सदन का अधिक समय लेकर उसको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, केवल ध्यान दिलाने की आवश्यकता समझता हूं। एक तो यह लेख दूसरा "दीदी" नाम की जो मासिक पत्रिका निकलती है इलाहाबाद से और जिसके सम्पादक ठाकुर श्रीनार्थसिंह जी हैं उसके अगस्त, १९५६ के अंक का लेख है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इसको अपनी राय कह कर पढ़ सकते हैं लेकिन अखबार की बात न पढ़ें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं अखबार की राय नहीं पढ़ूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप उसको अपनी राय बना लें तब पेश कर सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—शिक्षा मंत्री जी ने जो पत्र लिखा है और जो उसका उत्तर दिया गया है उन दोनों पत्रों को पढ़ने के बाद मेरा यह निश्चित मत है कि जौनपुर कालेज की ग्रांट बन्द करने के लिये जो किया गया है उसको राजनीतिक पक्षपात से परे नहीं कहा जा सकता है और स्पष्ट रूप से यह सत्ता का दुरुपयोग है जो राजनीतिक कारणों से किया गया। यह मैं अपनी राय देता हूं। मैं तो यह चाहता था कि केवल इंगित मात्र इसका उल्लेख कर दूं कि पत्रों मे ऐसी चर्चा है। मैं तो अपनी राय देने से भी बचना चाहता था, लेकिन मुझे आपकी अनुज्ञा माननी थी इसलिये मैंने अपनी राय प्रकट कर दी नहीं तो मैं केवल इंगित मात्र उसका उल्लेख करके अपनी बात खत्म कर देता।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज यह देखने में आई है कि इसी सितम्बर के महीने में प्रदेश के कई कालेजों की ग्रांट बन्द करने की धमकी दी गई और कइयों की बन्द की गई। इस संबंध में भी मैं संकेत ही करूंगा। कभी वाद-विवाद का समय आप या माननीय मंत्री महोदय दें तो उस समय मैं विस्तार से कहूंगा। इस समय मैं केवल संकेत मात्र करूंगा कि मेरी राय में इनको विदहोल्ड करने में या धमकी देने में निष्पक्षता से काम नहीं लिया गया है। ये अनुदान जो बन्द किये गये हैं, पहले बरेली में बन्द किया गया, फिर आगरा में किया गया, कानपुर में भी शायद किया गया है, इन सब के संबंध में मेरा यही कहना है कि यह ठीक नहीं है और यह इस बात का प्रमाण है कि जो अधिकार सरकार को मिल जाते हैं, खास तौर से शिक्षा विभाग में, उनका पूर्णतया सदुपयोग ही नहीं होता है, दुरुपयोग भी होता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

एक बात सौभाग्य से और हुई। आज जब कि मैं सदन में आया तो मेरी मेज पर और मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्यों की मेज पर एक साहित्य सूचना विभाग की ओर से मिला, "जेल्स विदआउट वाल्स"। तो जो यह विधेयक लाया गया है इन्टरमीडियेट एजूकेशन को कंट्रोल करने के लिये, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि उसके लिये सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक और कैप्शन यही है। अब शिक्षा संस्थाओं को जेल्स विदाउट वाल्स बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सिद्धांत पर अच्छी तरह से विचार करने के लिये कि सरकार को इतने नियंत्रण का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं, इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए घुमाना चाहिए।

इसके विरुद्ध एक दलील यह दी जा सकती है कि अब आम चुनाव आने वाले हैं और मुमकिन है कि आगे अधिवेशन अब न हो, यही अंतिम अधिवेशन हो, इसलिए इसी में पास कर लेना चाहिए और जनमत संग्रह के लिये नहीं घुमाना चाहिये। इस संबंध में मुझे एक

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

बात कहनी है और वह यह कि अभी हममें से किसी को, सरकार को भी यह निश्चित रूप से नहीं मालूम है कि आम चुनाव फरवरी में होने ही हैं। कहते सब हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन "होंगे" ऐसा निश्चित रूप से प्रदेशीय सरकार तो क्या केंद्रीय सरकार भी नहीं कह सकती है। तो जब सरकार से पूछा जाता है कि चुनाव कब होंगे तो वह कहती है कि चाहतो तो वह भी है कि चुनाव हों लेकिन कब होंगे इसका उसे निश्चित पता नहीं है और जब सरकार को कोई अपना काम कराना होता है जल्दी में तो वह मान लेती है कि आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिये इसको जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिये, कोई वाद-विवाद नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं समझता हूं कि वह दलील भी ज्यादा सही नहीं है। इसके अलावा मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि अगर आम चुनाव होने वाले भी हों तो ज्यादा अच्छा है कि ऐसा विधेयक नये लेजिस्लेचर में आये। इस समय सरकार को अधिकार दिया जाना जानबूझ कर बन्दर के हाथ में बन्दूक देना होगा जिसका वह दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए और भी आवश्यक है कि यह जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय। इसीलिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं अपने प्रस्ताव में से "संयुक्त" शब्द हटाना चाहता हूं और "१५ दिन" के स्थान पर "७ दिन" रखना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है:—

"यह सदन निश्चय करता है कि इन्टरमीडियेट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय जो सात दिन के भीतर अपनी आख्या दे दे।"

श्रीमन्, मैं इस युक्ति से पूर्णतया सहमत हूं कि यह विधेयक वर्तमान विधान सभा के सत्र में प्रस्तावित सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है। वास्तव में इस विधेयक की आवश्यकता आज ही नहीं बल्कि आज के बहुत पूर्व से है। जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक लाया गया है उसने सन् १९५३ में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद भी नरेंद्रदेव कमेटी की पहली रिपोर्ट के द्वारा और इसी कांग्रेस सरकार के द्वारा नियुक्त सन् ४६ में बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा इस सेकेंडरी एजूकेशन के ढांचे के ऊपर सरकार को एक्सपर्ट राय मिल चुकी थी। साथ ही साथ, जो केंद्र की ओर से मुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजूकेशन के लिये बैठाया गया था उसकी रिपोर्ट भी सन् १९५४ में गवर्नमेंट को प्राप्त हो चुकी थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को इन सभी रिपोर्टों के संबंध में कोई निश्चय लेने में बहुत देर लगी और जो बिल कम से कम सन् १९५४ तक अवश्य आ जाना चाहिये था वह बिल आज सन् ५६ में लाया जा रहा है। मैं अवश्य यह चाहता हूं कि इस बिल को लाने के पहले और उसके बाद आज भी, अब भी इस सदन के सदस्यों को मौका मिले कि इस विधेयक के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुये भी इन सिद्धांतों को प्रदेश की वास्तविकता में किस प्रकार व्यवहृत किया जाय, इसके लिये सदन के सदस्यों को पूरा मौका मिलना चाहिये और इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि यह विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाय और हम लोग प्रवर समिति में बैठकर उस सिद्धांत पर निश्चय कर सकें कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का ढांचा किस प्रकार का होना चाहिये और सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के लिए व्यवहार कैसा होना चाहिए।

श्रीमन्, इस प्रदेश में ५२–५३ में रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट के अनुसार १०९८ हाई स्कूल, बोर्ड द्वारा रिकग्नाइज्ड थे और ५३४ इंटरमीडियेट कालेजेज रिकग्नाइज्ड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार १६३२ संस्थायें ५२–५३ में रिकग्नाइज्ड थीं। उसके बाद भी अगर हम जोड़ लें तो आज मेरे विचार से करीब १८ सौ विद्यालय ऐसे हैं जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं और जो माध्यमिक शिक्षा इस प्रदेश में दे रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा केवल हमारे ही प्रदेश के लिये नहीं बल्कि किसी भी देश में जहां व्यवस्थित रूप से शिक्षा दी जाती है वहां माध्यमिक शिक्षा ही सारी शिक्षा का आधार है और इसलिये हमें इन सारे सिद्धांतों का विश्लेषण जिनके आधार पर यह विधेयक लाया गया है और भी स्वस्थ दृष्टिकोण से करना है। इस विधेयक के द्वारा दो मुख्य प्रकार के संशोधन किये जा रहे हैं। पहला संशोधन तो बोर्ड के प्रबन्ध के संबंध में है। इसमें एक यह नया विधान रखा गया है कि बोर्ड के किसी भी सदस्य को सरकार रिमूव कर सकती है अगर कोई ऐसा कार्य करता हो जो कि किसी विशेष रूप से नैतिक दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोणों से जनहित के विरुद्ध हो। तो यह एक नई ताकत बोर्ड के संबंध में दी जा रही है।

तो हमें पहले इस सिद्धांत पर विचार करना है कि बोर्ड आफ इंटरमीडियेट एजूकेशन में सरकार का कंट्रोल कहां तक होना चाहिए और कहां तक नहीं। पिछले कई वर्षों से जो हमारा बोर्ड आफ इंटरमीडियेट एजूकेशन है उसके कार्यकलाप के बारे में प्रदेश की जनता का एक बहुत बड़ा अंश शंकित रहा है और निरन्तर इस बात की मांग होती रही है कि इसका प्रबन्ध दुरुस्त किया जाय तथा इसकी परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त किया जाय। यह मांग निरन्तर समाचारपत्रों और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समय समय पर उठी है।

एक विशेष बात यह है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड की कार्य-प्रणाली के संबंध में अभी तक हमें कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है कोई ऐसी भी जानकारी नहीं है कि इस बोर्ड की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट कहीं दी जाती है या नहीं। कम से कम मैंने तो इस बात की बड़ी चेष्टा की कि मैं कोई इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त कर सकूं जिससे बोर्ड की सालाना कार्य-विधि, जो ऐनुअल रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, वह मुझको प्राप्त हो सके, उसके आधार पर हम कुछ बतला सकें कि बोर्ड ने सन् १९२१ के बाद अपने कार्यकाल में कितनी प्रगति की और किस दृष्टिकोण से अपने अधिकारों का सदुपयोग किया। इस बोर्ड के संबंध में कोई जांच कमेटी भी नहीं बैठी, इसके प्रबन्ध के संबंध में और सरकार को जो अधिकार प्राप्त है इस बोर्ड के संबंध में, उस सिलसिले में मैं समझता हूं कि सरकार ने भी बोर्ड के संबंध में बहुत कम हस्तक्षेप किया है; इस प्रकार की सूचना मुझे मिली है। जो आचार्य नरेंद्रदेव कमेटी की रिपोर्ट या बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट या और जो कमीशन और कमेटियां बैठी हैं उनके टर्म्स आफ रेफरेंस में भी बोर्ड आफ इंटरमीडियेट एजूकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है और उनकी सिफारिशों में भी कोई इस प्रकार का जिक्र नहीं है। इसलिये उसके बारे में हमें कोई एक्सपर्ट राय नहीं मिलती कि आया जो इस समय बोर्ड की कार्यविधि है उसको देखते हुये हमें सरकार के हस्तक्षेप को बोर्ड पर बढ़ाना है या घटाना है। इसलिए हमें स्वतः यह विचार करना होगा कि बोर्ड आफ इंटरमीडियेट एजूकेशन के प्रति हमें विधानतः क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

जिस समय सन् १९२१ में यह इंटरमीडियेट बोर्ड बनाया गया उस समय सरकार ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट को अपने सामने रखा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने जो सिफारिश की थी, बोर्ड के संबंध में वह इस प्रकार थी:--

"The duty of remodelling this grade of education and of raising it to a state of efficiency should be entrusted to a new Board of Secondary and Intermediate Education so constituted as to be representative of the various forms of experience which have a valid claim to be consulted in this matter. This authority should not be merely advisory or consultative, but should exercise executive powers in the sphere of Secondary and Intermediate Educationn."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

माध्यमिक शिक्षा के कार्य को एक नयी श्रेणी देने के लिये और अधिक उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक है कि एक नया बोर्ड सेकेंड्री और इंटरमीडियेट एजूकेशन के लिये, माध्यमिक शिक्षा के लिये बनाया जाय जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुभवी व्यक्ति इस बोर्ड में आ सकें और उस संबंध में राय दे सकें। इस प्रकार के बोर्ड को केवल सलाहकारी और राय देने वाला न बनाया जाय बल्कि उसको कार्यकारी शक्ति भी दी जाय ताकि वह इस माध्यमिक और इंटरमीडियेट शिक्षा के संबंध में पूरी कार्यकारी शक्ति को अपना सके। तो उस समय भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की यह पूरी इच्छा थी कि इस बोर्ड को पूरी एक्जीक्यूटिव पावर दी जाय। यहां तक कि जिसका मंत्री जी ने जिक्र किया, सैडलर कमीशन ने सिफारिश की थी कि इस बोर्ड को केवल इम्तहान के लिये, केवल परीक्षा-पत्र निर्धारित करने का या सलेबस निर्धारित करने का या स्कूलों को रिकग्नेशन देने का ही अधिकार न हो बल्कि उसको फीस तय करने का भी अधिकार हो और जो इस्पेक्टरेट है वह भी इस बोर्ड के मातहत किया जाय। यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जो सेकेंड्री एजूकेशन बोर्ड बनाया जाय उसकी शक्ति बढाने के पक्ष में था, यानी जितनी शक्ति हमारे इस ऐक्ट में है उससे भी अधिक शक्ति देने के पक्ष में था और सन् १९२१ में जब सी० वाई० चिन्तामनी साहब ने इस अधिनियम को यहां पर पास कराया तो उस समय उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए भी बोर्ड को उतनी शक्ति नहीं दे रहे हैं। इसी ऐक्ट को आज हम संशोधित कर रहे हैं।

अब हमें यह देखना है कि सन् २१ से लेकर आज तक जो कुछ बोर्ड ने कार्यवाही की है उसको देखते हुये हमें बोर्ड की शक्ति को बढाना है या उसको नियंत्रित करना है। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हाई स्कूल इंटरमीडियेट बोर्ड, जिसका कि इस समय केंद्र स्थान इलाहाबाद है, उसकी कार्यवाहियां उतनी संतोषजनक नहीं रही हैं जितनी कि होनी चाहिए। कम से कम मैं यह नहीं कहता कि उसकी सारी कमेटियों ने किसी तरह से कोई गलत व्यवहार किया। लेकिन यह बात सही है कि इधर उधर से जो बड़े बड़े विद्वानों ने गवाही दी है उनसे साबित होता है कि कम से कम एक्जामिनेशन कमेटी जो उसकी है, जो परीक्षा पत्र वगैरह निर्धारित करती हैं उसका दुरुपयोग करने का माध्यम कुछ लोगों ने बना लिया है। मुझे उनके प्रति इस समय कोई आरोप नहीं लगाना है लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जो बोर्ड आफ इन्टरमीडियेट एजूकेशन की कमेटी हैं उनकी जनसाधारण में और शिक्षकवर्ग में अच्छी रेपुटेशन नहीं है।

इस रेपुटेशन को देखते हुये कभी कभी हम लोगों की यह इच्छा हुई कि हम बोर्ड की कमेटीज की शक्तियों पर नियंत्रण करने की बात सोचें। वैसे वास्तव में तो हम इसके विरुद्ध हैं कि कोई नियंत्रण हो लेकिन जिस प्रकार गतवर्षों में बोर्ड की कुछ कमेटीज ने कार्यवाही की उससे इस बात की आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि कहीं किसी मायने में नियंत्रण बढ़ाने की मांग हमको न करनी पड़े। तो इसलिए जहां एक ओर हम यह मानते हैं कि बोर्ड को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अटानामी मिलनी चाहिये वहां यह भी समझते हैं कि बोर्ड को अपनी अटानामी की रक्षा करनी है क्योंकि सेकेंड्री एजुकेशन बोर्ड के बारे में जनमत अच्छा नहीं है तो उसको कम से कम जनमत के प्रति जागरूक रहना चाहिए जिससे हमको विधान सभा में यह मांग न करनी पड़े कि हाई स्कूल इन्टरमीडियेट बोर्ड का प्रबन्ध खराब है और इसकी कमेटियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। तो इस अवसर का सदुपयोग करके आपके द्वारा मैं यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम यह कहते हैं कि सरकार को बोर्ड के कार्य में अधिक हस्तक्षेप नहीं बढ़ाना चाहिए वहां उनसे यह भी मांग करने का अधिकार रखते हैं कि बोर्ड अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। उनके जो रेगुलेशन्स हैं उनको बनाने का उनका अधिकार है और उन रेगुलेशंस को बदलने की भी पूरी शक्ति है और वह इस प्रकार के बनें जिस प्रकार से कमेटीज के ऊपर बोर्ड का पूरा कंट्रोल रहे।

दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि बोर्ड का चेयरमैन डाइरेक्टर आफ एजुकेशन होता है और अधिनियम की धारा ११ के अनुसार चेयरमैन को कुछ अधिकार दिये गये हैं। मैं यह भी कहता हूं कि चूंकि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन बोर्ड का चैयरमैन है धारा ११ की उपधारा २, ३, ४ के अनुसार उनके अधिकार बिलकुल सुरक्षित हैं और उनको अधिकारों के प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैं यह भी नहीं कहता हूं कि अगर बोर्ड कोई गलती करता है तो उसमें सरकार बिलकुल बरी हो जाती है या डाइरेक्टर आफ एजूकेशन बिलकुल बरी हो जाता है। इसलिए मैं अवश्य मांग करूंगा कि चूंकि सरकार ने डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को इस बोर्ड का चेयरमैन रखा है इसलिये जो चेयरमैन की पावर एण्ड ड्यूटीज हैं उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जहां एक ओर उनकी शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित रखना है वहां दूसरी ओर उनका प्रयोग जो शिक्षा के सुधार के लिये आवश्यक कार्यवाही का है, जहां परीक्षा के संबंध में सुधार के संबंध की कार्यवाही है, पुस्तकों के संबंध में कार्यवाही है या सेलेबस के संबंध में कार्यवाही है ऐसी कार्यवाहियों के ऊपर अगर चेयरमैन अधिक ध्यान दें तो बोर्ड का भी कल्याण होगा और माध्यमिक शिक्षा पद्धति का भी कल्याण होगा।

इन शब्दों के साथ मेरी यह अवश्य राय है कि रिमूवल आफ मेम्बर का यह अधिकार जो लिया जा रहा है कि बोर्ड से अलग किया जा सकेगा इसको सरकार जरा और स्पष्ट करे कि डिटरीमेंटल इन दि पब्लिक इन्टरेस्ट क्या है। जब तक इसको स्पष्ट नहीं रखेंगे तब तक हम यह "continuance on the Board to be detrimental in the Public interest" क्या समझेंगे। यह ठीक है कि कामन ला में इस प्रकार के शब्द प्रयोग किये जाते हैं लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद के संबंध में क्यों व्यवहार करना चाहिए।

मेरा ऐसा विचार है कि यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह कौन सी परिस्थिति होगी जब कि मेम्बर ने अपनी पोजीशन गैरेन्टली एव्यूज की हो। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति उन सारे सिद्धान्तों को स्पष्ट करदे जबकि मेम्बर हटाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा विभाग और सरकार के बीच में संबंध सन्तुलित रहे। जैसा प्रावीजन नई धारा ३ (ए) में है, उससे समस्या का पूर्ण हल होने वाला नहीं है।

दूसरा सिद्धान्त जो इस विधेयक में रखा गया है वह गैर सरकारी मान्यता-प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन के संबंध में है और यह इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह विधेयक कहता है कि प्रत्येक माध्यमिक शिक्षा संस्था में एक शासन की स्कीम होगी, प्रत्येक संस्था में एक मैनेजिंग कमेटी होगी जिसमें अध्यापकों का प्रतिनिधि और एक प्रिन्सिपल या हेडमास्टर होगा। इसमें उनके अधिकार इत्यादि लिखे हुये हैं। आगे चल कर यह है कि डाइरेक्टर आफ ऐजूकेशन को शिक्षा संस्थाओं के इंसपेक्शन का अधिकार होगा और डाइरेक्टर आफ ऐजूकेशन किसी संस्था में कोई डेफीशैन्सी या डिफेक्ट पाता है तो उसे दूर करने के लिये कहेगा। अगर वे नहीं दूर करते हैं तो वह या गवर्नमेंट अथोराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त कर सकती है या बोर्ड को मान्यता वापस लेने का अधिकार होगा। साथ ही साथ तीसरा सिद्धान्त इसमें यह है कि अध्यापकों की नौकरी की कंडीशन्स को रेगुलेट किया जायगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी अध्यापक या हैडमास्टर तब तक सस्पेन्ड या अलहदा नहीं किया जायगा जब तक इन्सपैक्टर से इजाजत न ले ली जाय। कुछ अपील की पद्धति भी निश्चित की गई है कि किस प्रकार और कहां अपील होगी। सेलेक्शन कमेटियां भी बनाई गई हैं जिनके अनुसार टीचर्स और हैडमास्टर्स रखे जावेंगे।

मैं २, ३ बातों का समर्थन करता हूं। एक तो सेलेक्शन कमेटी के बनाये जाने के सिद्धान्त का, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी चाहे वह अध्यापक या हैडमास्टर को नियुक्ति के संबंध में हो। अगर एक सेलेक्शन कमेटी रेग्यूलेशन्स के अनुसार ठीक काम कर सकती है तो भ्रष्टाचार का आरोप भी समाप्त हो जायगा और शिक्षा के स्टैन्डर्ड को भी एक उचित पैमाने पर नियत होने में सहायता मिलेगी।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दूसरी बात जिसका मैं समर्थन करता हूं वह है टीचर्स की सर्विस कन्डीशन्स के रेग्यूलेशन्स के बारे में। माननीय पालीवाल जी के भाषण को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थाओं में सरकार का हस्तक्षेप बिलकुल नहीं होना चाहिए लेकिन मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं। शिक्षा के संबंध में हस्तक्षेप न केवल सरकार का ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के गुट का या संगठन का या किसी व्यक्ति विशेष का भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी आटोनोमी या कालेजों की आटोनोमी का हनन केवल सरकार ही नहीं करती है बल्कि पावर हंटिंग पोलीटिशियन्स भी करते हैं जो अपने हाथ में राजनैतिक सत्ता को लेना चाहते हैं। वह भी शिक्षा संस्थाओं के मैनेजरों के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में अथवा ऐक्जीक्यूटिव के मेम्बर के रूप में रह कर कालेज अथवा यूनिवर्सिटी के लिये घपला बन जाते हैं। राधाकृष्णन् कमीशन की उस रिपोर्ट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज स्कूलों में सरकार ही नहीं मैनेजिंग कमेटी के मैनेजरों के रूप में अथवा चूंकि हमारे कुटुम्ब ने इस संस्था को कायम किया था, इसलिये वह हमारे नियंत्रण में रहनी चाहिये, इस भावना को रखने वाले लोग शिक्षा के ऊपर कुठाराघात करते हैं।

इस प्रकार से मैनेजिंग इंस्टीट्यूशंस दो प्रकार के माने जा सकते हैं। एक तो वे जिनका प्रबन्ध अच्छा हो और शिक्षा के प्रबन्ध में दखल न देते हों, जिनका शैक्षिक विषय में कोई दखल न हो, जो केवल स्कूल के प्रबन्ध से दिलचस्पी रखते हैं कि आर्थिक बजट उसका किस प्रकार बनाया जाय, खर्चे और आमदनी का हिसाब किस प्रकार से रक्खा जाय, स्कूल की तरक्की कैसे हो, उसको किस प्रकार से अधिक ग्रान्ट मिले, स्कूल में किस प्रकार से अच्छा इक्विपमेंट आये, ऐसे प्रबन्धकों का प्रबन्ध सराहनीय है। जो लोग केवल नियंत्रण के नाम पर अध्यापकों को नहीं निकालते हैं, उनको पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

लेकिन दुर्भाग्य वश कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो दिन और रात अध्यापकों को निकालते हैं, उनके यहां अध्यापकों की कोई सर्विस कंडीशन्स नहीं होतीं, उनको अपना व्यक्तिगत नौकर समझते हैं, इस प्रकार के भी मैनेजर्स और मैनेजिंग कमेटीज हैं, वे शिक्षा के लिये घातक हैं। वे शिक्षा में हस्तक्षेप करती हैं। उनके द्वारा हस्तक्षेप से किया जाने वाला पाप सरकार द्वारा हस्तक्षेप से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। दोनों ही हस्तक्षेप घातक हैं। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम ठीक से नहीं चल सकता, न इन स्कूलों का बजट ही ठीक प्रकार से चल सकता है। इनके बारे में आचार्य नरेन्द्र देव ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो एन्डाउमेंट होता है उसमें से जितना शिक्षा संस्थाओं के खर्चे में जाता है उससे अधिक मैनेजरों की तनख्वाह में जाता है। इसकी एक मिसाल हीवट इंजीनियरिंग स्कूल है। वैसे यह बहुत अच्छा स्कूल है, जनता की बड़ी सेवा कर रहा है। लेकिन वहां के जो डायरेक्टर आफ स्टडीज हैं, जो इसके एक प्रकार से मैनेजर हैं, वे उसका अधिकांश रुपया अपनी पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। इसकी वजह से वहां का सारा स्टाफ परशान है, वहां के प्रिन्सिपल....

श्री अध्यक्ष--इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यक्तिगत होते जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन्स हैं जो शिक्षा में रुकावट बन जाते हैं, उनका नियंत्रण करने का सरकार कोई उपाय निकाले तो नियंत्रण हो सकता है लेकिन सरकारी नियंत्रण शिक्षा में बाधक नहीं होना चाहिये। इसी दृष्टिकोण से आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिये, एक एडमिनिस्ट्रेटर विशेष परिस्थितियों में नियक्त किया जा सकता है। ऐडमिनिस्ट्रेटर विद आर विदाउट ऐडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। इसके साथ उनको सलाह देने के लिये एक ऐडमिस्निट्रेशन कमेटी का रखना अच्छा है, यह नरेन्द्रदेव समिति ने कहा है।

परन्तु इस विधेयक का जो स्वरूप दिया गया है वह बड़ा अजीब है। यहां पर हमारा सरकार से कुछ मतभेद है और वह यह है कि सरकार ने ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखा है। सरकार ने अथराइज्ड कंट्रोलर शब्द का प्रयोग किया है। अथराइज्ड कंट्रोलर शब्द के आने से क्या होगा कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्ति अथराइज्ड कंट्रोलर हो सकते हैं। चीनी मिल के कंट्रोलर केन कमिश्नर हो सकते हैं, डिप्टी केन कमिश्नर भी हो जाते हैं और जयपुरिया साहब भी हो सकते हैं। यानी सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्ति अथराइज्ड कंट्रोलर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐक्ट के अनुसार हो सकते हैं। यहां पर अथराइज्ड कंट्रोलर रखा है तो उससे क्या होगा कि अगर अथराइज्ड कंट्रोलर कहीं सरकारी मैनेजर हो गया या वह गैर-सरकारी व्यक्ति हो गया जो सरकार के प्रभाव में आ जाय तो वह आटोनामी के लिये खतरा हो सकता है। इसलिये हमको यह करना चाहिये कि अथराइज्ड कंट्रोलर की परिभाषा को जो जनरल क्लाज का सेक्शन (२) है उसमें रखना चाहिये और किसी हालत में अथराइज्ड कंट्रोलर डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन से कम पद का व्यक्ति नहीं होना चाहिये। जो उपाधि-प्राप्त ऐसे अफसर हैं जिनके बारे में यह कहा जा सके कि ये किसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों के कारण सरकारी प्रभाव में नहीं आयेंगे उन्हीं को अथराइज्ड कंट्रोलर बनाना चाहिये। डिप्टी डाइरेक्टर सरकारी प्रभाव में अवश्य होते हैं लेकिन ऐसी श्रेणी के व्यक्ति रखें जिनके ऊपर यह आरोप न लगाया जा सके कि वे सरकार के अन्दर होकर काम करेंगे या पुरानी मैनेजिंग कमेटी के अन्दर होकर काम करेंगे नहीं तो यह हो सकता है कि ऐसी मैनेजिंग कमेटी सुपरसीड हो जायगी।

अगर किसी मैनेजिंग कमेटी की सलाह से अथराइज्ड कंट्रोलर काम करे तो उसके भी दो स्टेज इस ऐक्ट में रखे गये हैं। एक स्टेज तो यह है कि अथराइज्ड कंट्रोलर ऐसा होगा जो मैनेजिंग कमेटी की सलाह से काम करेगा और दूसरा स्टेज यह है कि अगर अथ-राइज्ड कंट्रोलर की सलाह मैनेजिंग कमेटी न माने तो मैनेजिंग कमेटी सुपरसीड कर दी जायगी और सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन अथराइज्ड कंट्रोलर के हाथ में आ जायगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। अगर अथराइज्ड कंट्रोलर उसी मैनेजिंग कमेटी में से कोई मेम्बर हो गया तो उससे नये प्रकार की बाधायें खड़ी हो सकती हैं, शिक्षण संस्थाओं में नयी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिये डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन से कम श्रेणी का कोई व्यक्ति अथराइज्ड कंट्रोलर नहीं होना चाहिये। अथराइज्ड कंट्रोलर के बदले में अगर एडमिनिस्ट्रेटर ही नाम रखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता जिसकी सिफारिश आचार्य नरेन्द्र देव समिति ने भी की थी। हमारा तो यह सुझाव है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर को सलाह देने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जरूर होनी चाहिये, इसके लिये नरेन्द्र देव कमेटी ने भी कहा था कि ऐडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का निर्माण जरूर होना चाहिये और ऐडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि ट्रांजिशनल पीरियड में कमेटी मैनेजिंग कमेटी का स्थान ग्रहण कर सके। यह बिलकुल साफ इस विधेयक में हो जाना चाहिये।

दूसरी बात जो इस विधेयक में देखने की है वह यह है कि स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा संस्थाओं के लिये बनने वाली है लेकिन उस स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को कौन बनायेगा, यह साफ नहीं है। इस विधेयक में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसको स्कूल की मैनेजिंग कमेटी बनायेगी या स्कूल का टीचिंग स्टाफ और मैनेजिंग कमेटी दोनों मिल कर बनायेंगी क्योंकि यह स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत महत्व रखता है। अगर उसके बनाने में अध्यापकों का हाथ नहीं हुआ या उनकी सलाह नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि वह स्कीम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकती है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार से हमने कमेटी आफ मैनेजमेंट में यह अनिवार्य रखा है कि उसमें हेडमास्टर, प्रिंसिपल और अध्यापकों में जो सीनियर अध्यापक होंगे वे जरूर होंगे उसी प्रकार से स्कीम आफ ऐडमिनस्ट्रेशन को बनाने वाली जो कमेटी शुरुआत में बनने वाली है उसमें अध्यापकों के प्रतिनिधि, हेडमास्टर और

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रिंसिपल भी जरूर होंगे। आजकल जो कमेटी आफ मैनेजमेंट चल रही है उन सभी में या अधिकांश में अध्यापकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिये स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को बनाते समय यह खयाल करना चाहिये कि मैनेजमेंट कमेटीज में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व रहे और हेडमास्टर या प्रिन्सिपल भी उसके सदस्य जरूर रहें।

इसमें डायरेक्टर महोदय को यह अधिकार भी दिया जा रहा है कि वह स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को या तो मंजूर करें या वह उस को बदल दें। मैं समझता हूं इससे एक तो यह होगा कि स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफार्म हो जायगी लेकिन यह देखने की बात है कि यह सम्भव नहीं है कि जितनी भी संस्थायें हैं सबकी एक ही प्रकार की स्कीम हों क्योंकि हमारे यहां जो माध्यमिक शिक्षण संस्थायें हैं उनमे से कुछ तो सरकार के द्वारा चलाई जा रह हैं, कुछ लोकल बाडीज चला रहे हैं, कुछ प्राइवेट बोड्स या कमेटीज के द्वारा चलाई ज रही हैं, कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा या आर्य समाज द्वारा, कुछ इनडिविजुअल्स या व्यक्तिविशेष के दान पर चल रही है, यानी इस तरह से यह ५–६ श्रेणियां हैं––इन सबके लिये एक ही यूनिफार्म स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन सम्भव नहीं है। इसलिये अकेले डायरेक्टर को ही यह शक्ति देना उचित नहीं है, इसकी शक्ति डिप्टी डायरेक्टर को भी दी जा सकती है। अकेले डायरेक्टर प्रदेश की १,७०० संस्थाओं की स्कीमों को पढ़ लेंगे यह सम्भव नहीं है हालांकि उनके लिये यह सब पढ़ना आवश्यक है और जांच होनी चाहिये और इसके लिये यह आवश्यक है कि रीजिनल डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन को उनके ऐडमिस्ट्रेशन के एप्रूवल की पावर दी जाय तो अच्छा होगा।

इसके साथ-साथ जहां पर सर्विस कन्डीशन्स का जिक्र है वहां पर अध्यापकों को हटाने के सम्बन्ध में कुछ अधिकार डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को दिये जा रहे हैं। उसमें लिखा है कि वह इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स अपने से ही पनिश्मेंट को एनहान्स भी कर सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसी शक्ति किसी हालत में डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को देना उचित नहीं है और साथ ही साथ जो रेगुलेशन्स होंगे उनमें भी हमें परिवर्तन करना चाहिये, जो अध्यापकों के एसोसियेशंस् हैं उनकी भी हमें अधिक सलाह लेनी चाहिये और उन को भी हमें इस बिल में स्थान देना चाहिये ताकि हम टीचर्स एसोसियेशन्स से इसके द्वारा और अधिक सहयोग प्राप्त प्राप्त कर सकें। हम अपने यहां अध्यापक मंडलों का उचित सहयोग नहीं ले रहे हैं। जितना कि हमें लेना चाहिये मैं समझता हूं कि इंगलैंड में अगर माध्यमिक शिक्षा इतनी सफल रही है तो उसका कारण यह है कि वहां नेशनल यूनियनों और टीचर्स से अधिक से अधिक सलाह ली गई है और वहां माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में उनका सहयोग वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथारिटीज लेती हैं। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक ही मिसाल देना चाहता हूं, यह जो एजकेशन ऐक्ट ४४ है जिसके मातहत इंगलैंड में माध्यमिक शिक्षा चलती है उसमें यह है––अलेगजेंडर ने इस किताब 'आउटलाइन आफ इंगलिश एजूकेशन' में लिखा है कि"

"It is perhaps the best measure of the official recognition of the various teachers' associations' that in the Constitution of the committees determining teachers' salaries the N. U. T. is the principal partner so far as the schools are concerned, with the Joint Four and the A. T. T. I. also being represented"

सरकारी मान्यता जो टीचर्स एसोशियेशन्स को दी जाती है उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अध्यापकों का वेतन नियत करने के सम्बन्ध में जो सरकारी कमेटीज बनती हैं उनमें राष्ट्रीय अध्यापक मंडल का मुख्य प्रतिनिधित्व होता है और जो स्कूलों के सम्बन्ध में ४ अन्य अध्यापक मंडल हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होता है। इसमें आगे बताया गया है कि

किस प्रकार अध्यापक एसोसियेशन को कमेटियों में स्थान दिया जाता है, जो लोकल बाडीज हैं वे भी उनका पूरा-पूरा सहयोग लेते हैं। लेकिन यहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था न तो रेगुलेशंस में है और न ऐक्ट में है। जहां एक ओर हम नरेन्द्रदेव कमेटी की सिफारिश से पूर्णतया सहमत हैं कि स्कूल कोई फैक्टरी नहीं है जहां पर ट्रेड यूनियन बेसिस पर कोई आर्गेनाइजेशन हो वहां दूसरी ओर हम इस बात को भी मानते हैं कि टीचर्स एसोसियेशन जो यहां प्रदेश में है उसका अधिक उपयोग किया जाना चाहिये, उससे अधिक सहयोग इस बात में लिया जाना चाहिये जिससे शिक्षण संस्थाओं के उचित प्रबन्ध में वे अधिक सलाह दे सकें और अधिक सहयोग मिल सके उनकी सर्विस कंडीशंस के बारे में, उनकी मान्यता के सम्बन्ध में, उनकी छुट्टी आदि के मसले पर उनसे टीचर्स एसोसियेशन के रूप में कुछ सलाह ली जा सके तो अत्यधिक उत्तम होगा।

साथ ही साथ इस विधेयक में यह लिखा गया है कि राज्य सरकार की जो इंस्टीट्यूशंस होंगी उनके सम्बन्ध में यह ऐक्ट लागू नहीं होगा। केवल धारा १६ डी ए लागू होगी जिसमें लिखा गया है डायरेक्टर आफ एजूकेशन किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स की जांच करा सकते हैं क्योंकि एक उपधारा १६ डी ए को छोड़कर बाकी कोई भी धारा इस ऐक्ट की, जो नया बनाया गया है, सरकारी विद्यालयों के लिये लागू नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं है। सरकारी विद्यालयों में भी इसी प्रकार की कमेटीज बनाई जानी चाहिये। मान लिया कोई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां भी एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिये जिसमें प्रिन्सिपल को सलाह देने का अधिकार होना चाहिये। उसमें भी अध्यापकों के प्रतिनिधि होने चाहिये। प्रिन्सिपल उसमें हो, टाउन एरिया में वह स्कूल हो तो टाउन एरिया का चेयरमैन उसमें हो और वह एडवायजरी कमेटी उस हाई स्कूल के प्रबन्ध के बारे में सलाह दे। तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था अवश्य होना चाहिये जिसके द्वारा ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो राज्य के द्वारा चलाये जाते हैं उनके सम्बन्ध में भी वहां के प्रबन्ध के सम्बन्ध में, वहां पर किस प्रकार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है, प्रबन्ध अधिक उत्तम किया जा सकता है, देखभाल की जा सके।

साथ ही साथ नीचे लिखा गया है कि लोकल बाडीज की जो स्थानीय रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होंगी वहां पर सरकार को आल्टरेशन, माडिफिकेशन और एडीशन करने का अधिकार होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की धारा का रखना किसी भी प्रकार उचित नहीं है, क्योंकि इस धारा १६ डी ए के अनुसार हमें यह पता नहीं चलेगा कि क्या आल्टरेशन, माडिफिकेशन या एडीशन होने वाला है। मैं, श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह ध्यानपूर्वक सुनें।

श्री अध्यक्ष—जिन्होंने यह विधेयक उपस्थित किया है वह सुन रहे हैं।

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं तो हरगोविन्द सिंह जी को ही शिक्षा मंत्री मानता हूं, अगर वह आज से नहीं हैं तो वे बतला दें।

मैं बतलाऊं कि अगर किसी विधेयक के किसी सेक्शन में आल्टरेशन, माडिफिकेशन या ऐडीशन किया जाता है तो रूल्स के मातहत उसका नोटिफिकेशन हाउस के सामने रक्खा जायगा। इसमें सेक्शन तक तो आल्टर करने की बात रखी है लेकिन विधान सभा को कोई खबर होने वाली नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी से पूछा जाय लोकल बाडीज के बारे में किस प्रकार से आल्टर करेंगे तो उन्हें नहीं मालूम होगा। उनके पास कोई रेडीमेड प्रोपोजल नहीं है। इसलिए कम से कम इतना आवश्यक था कि जहां तक लोकल बाडीज के रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की बात है, वहां अगर कोई आल्टरेशन, माडिफिकेशन या ऐडीशन हो तो हाउस के सामने रखा जाय। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूं। स्वयं मुडालियर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जो राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित संस्थाएं हैं उनकी हालत भी बहुत खराब है। वह किसी प्रकार माडल नहीं माने जा सकते ह। म पृष्ठ १८५ की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। इसमें उन्होंने लिखा है--

"Schools managed by the States or the Centre. These schools are comparatively few in number in different States. They were at one time intended to be model schools whose general methods of work and organization might be adopted by those who wished to start schools. We cannot say that at present, many of the State schools serve as models. In many respects, in view of the great demand for admission to schools, great laxity in the conditions which were observed previously was noted."

यानी सरकारी स्कूलों के सम्बन्ध में भी सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन को संतोष नहीं है और उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार वे माडल नहीं माने जा सकते हैं। इसलिए भी जो मैंने ऐडवाइजरी कमेटी के सम्बन्ध में तर्क दिया था वह आवश्यक है। साथ ही साथ मैनेजिंग बोर्ड के सम्बन्ध में जो है, उसमें भी मुडालियर कमीशन की सिफारिशों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

.....'no member should have the right to inspect the school or to call for any statement or documents or in any other way to interfere with its internal management."

यह सिफारिश जो है वह नरेन्द्रदेव कमीशन की सिफारिश से भी एक कदम आगे आती है। मैं चाहूंगा कि हम विचार करें, इस सम्बन्ध में कि सेलेक्शन कमेटी के अन्दर इसको, इस विधेयक में स्थान दें या न दें। हम बिलकुल स्पष्ट कर दें कि जो मैनेजिंग बोर्ड बनेगा वह इन्टरनल ऐडमिनिस्ट्रेशन में, शिक्षा के सम्बन्ध में जैसा कि पालीवाल जी ने कहा इन्टरनल ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि इंस्टीट्यूशन में, डयूटीज आफ दि टीचर्स के बारे में दखल न दें। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का क्लाज विधेयक में जोड़ दिया जाय कि अध्यापकों के सम्बन्ध में, उनकी गतिविधि के सम्बन्ध में मैनेजिंग बोर्ड के मेम्बर स्वतः नियन्त्रण न करें। लेकिन यह शर्त हेडमास्टर के लिए लागू न हो क्योंकि इन्टरनल ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार हेडमास्टर ही हुआ करता है।

इसके साथ ही साथ सरकार एक ताकत और ले रही है कि बोर्ड के सम्बन्ध में रेगुलेशन वह स्वयं बनाये। खंड ७ में राज्य सरकार को अधिकार दिया जा रहा है कि प्रत्येक विषय पर जिस पर बोर्ड रेगुलेशन बना सकता है सरकार भी रेगुलेशन बनाये। मैं समझता हूं यह खंड ७ बिलकुल अवैधानिक है और साथ ही इन्कन्सिस्टेंट भी है क्योंकि अब दो प्रकार के रेगुलेशन हो जायेंगे। जिस प्रकार यह खंड ७ रखा गया है अगर वह मान लिया गया तो एक रेगुलेशन तो वह हैं जो अधिनियम की धारा १५ के अनुसार बोर्ड ने स्वतः बना लिये हैं, क्योंकि यह रेगुलेशन केवल इस संशोधन विधेयक के लिए नहीं बनायेंगे बल्कि मूल अधिनियम के लिए बनायेंगे, इसमें लिखा है "मूल अधिनियम या इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के लिए वह वैध होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस प्रत्येक विषय पर जिस पर बोर्ड विनियम बना सकता है उक्त अधिनियम के अधीन विनियम बनायें।" यह वैध स्थिति ला देगा। एक तो वह रेगुलेशन होंगे जो बोर्ड के चल रहे हैं और दूसरे वह जिनको सरकार बना देगी। मैं समझता हूं कि खंड ७ में जो सरकार अधिकार ले रही है यह कुछ जरूरत से ज्यादा अधिकार ले रही है। अगर केवल इस संशोधन अधिनियम के परपज के लिए सरकार बनाती तो समझ में आ सकता है। क्योंकि वह फर्स्ट रेगुलेशन्स होते और बोर्ड बाद

को दुरुस्त कर लेता। लेकिन चूंकि वह मूल अधिनियम के बारे में भी है इसलिए मैं समझता हूं कि यह अधिकार सरकार को नहीं मिलना चाहिए। इस खंड ७ को फिर से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए।

इसमें एक और खराबी है अमेंडमेंट बिल सारा अंग्रेजी में है क्योंकि मूल अधिनियम अंग्रेजी में है लेकिन खंड ७ हिन्दी में लिखा है। या तो सरकार ऐसा तरीका निकालती कि मूल अधिनियम भी हिन्दी में हो जाता या यह जो खंड ७ है यह भी अंग्रेजी में होता क्योंकि यह रेगुलेशन से सम्बन्धित है और यह जो मूल अधिनियम की धारा १५ है इससे भी सम्बन्धित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि खंड ७ पर भी पुनः विचार होना चाहिए।

अब मैं दो एक बातें और सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं जिनकी इस इन्टरमीडियेट एजुकेशन ऐक्ट के अन्दर व्यवस्था होनी चाहिए थी और जो मेरे विचार से आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की सिफारिश के अनुसार मानी जानी चाहिए थी। प्रवर समिति के अन्दर अगर यह विधेयक गया तो उसके स्कोप के अन्दर सारी बातें आ जाती हैं नरेन्द्रदेव कमेटी की सिफारिश भी इस सम्बन्ध में है तो प्रवर समिति इस बारे में विचार करेगी। आचार्य नरेन्द्र देव समिति जो पहले सन् १९३७ में बैठी थी उसने यह सिफारिश की थी कि यहां पर प्रदेश में शिक्षण के कार्य को चलाने के लिए एक बोर्ड आफ एजुकेशन होना चाहिए प्राविन्श्यल बोर्ड आफ एजुकेशन। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की सिफारिश इस प्रकार थी :–

"The committee recommends that there should be established a Central Education Authority to be called the Provincial Board of Education. The provincial Board should have two auxiliary boards, one for Basic education and the other for College education."

मैं समझता हूं इस प्रदेश में भी शिक्षण प्रबन्ध को करने के लिए एक प्राविन्शयल एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। उसके साथ दो आग्जिलियरी बोर्ड जिनकी सिफारिश नरेन्द्रदेव कमेटी ने की थी यह भी होने चाहिए। अभी तक हमारे प्रदेश में केवल एक बोर्ड है, हाई स्कूल इन्टरमीडियेट बोर्ड। मैं नहीं जानता नरेन्द्रदेव कमेटी की सिफारिश के ऊपर सरकार ने क्या निश्चय किया। सरकार यह कह सकती है कि विचाराधीन है, नहीं तो सरकार की ओर से नहीं कहा गया। लेकिन आज अगर हम इस प्रकार का कोई इन्टरमीडियेट एजूकेशन का कोई विधेयक ला रहे हैं तो हम इस बारे में विचार करें और सरकार से अपनी नीति घोषित करने के बारे में मांग कर सकते हैं कि सरकार की क्या नीति है। प्रदेश में शिक्षण प्रबन्ध को अधिक नियंत्रित और सुव्यवस्थित करने के लिए और अधिक ओटोनोमस बनाने के लिए प्राविन्शियल बोर्ड आफ एजुकेशन बनाने का उसका इरादा है या नहीं? तो मैं चाहूंगा सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट कर दे।

दूसरी बात जो नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट में भी कही गयी है और जिसका इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है वह दो बोर्डों के सम्बन्ध में है और वह है अध्यापकों के लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड और ट्रांस्फर बोर्ड के सम्बन्ध में। जो बेटर मैनेजमेंट कमेटी सन् १९३८ में नियुक्त की गयी थी उसने यह सिफारिश की थी कि दो प्रकार के बोर्ड होने चाहिए। एक तो आर्बिट्रेशन बोर्ड जिसमें अध्यापकों का मसला आर्बिट्रेशन के लिए अपील के रूप में जा सकेगा। और दूसरा ट्रांस्फर बोर्ड भी बनना चाहिए कि अगर किसी रिकग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन से दूसरे रिकाग्नाइज्ड इन्स्टीटयूशन में ट्रांस्फर करने की आवश्यकता हो तो यह मसला ट्रांस्फर बोर्ड के सामने जायगा। इस सम्बन्ध में आर्बिट्रेशन बोर्ड और ट्रांस्फर बोर्ड बनाये भी गये हैं लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि इन बोर्डों का उपयोग नहीं के बराबर है। एजुकेशन कोड के मातहत यह बोर्ड अवश्य बनाये गये लेकिन उनका कोई सदुपयोग नहीं हो पाया है। तो मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में आर्बिट्रेशन बोर्ड और ट्रांस्फर बोर्ड को स्थान दें या रेगुलेशन्स में स्थान दें जिससे अध्यापकों के ऐग्रीमेंट के कारण या ऐग्रीमेंट के अनुसार ऐग्रीमेंट की कन्डीशन्स को बदलते हुए अगर कोई

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

फैसला होता है तो उस सम्बन्ध में आर्बिट्रेशन बोर्ड के क्या अधिकार होंगे, क्या शक्ति होगी, कौन कौन से मामले आर्बिट्रेशन बोर्ड के सामने जा सकेंगे, कौन से मामले ट्रांस्फर बोर्ड के सामने जा सकेंगे, इसको निश्चित करने के लिए एक वैधानिक शक्ति देने के लिए यह आवश्यक है कि हम आर्बिट्रेशन बोर्ड को और ट्रांस्फर बोर्ड को इस विधेयक में स्थान दें या विधेयक के अधीन रूल्स और रेगुलेशन्स में स्थान दें।

नरेन्द्रदेव कमेटी की इन सिफारिशों की ओर इस विधेयक में ध्यान नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं यह उचित समझता हूं यह विधेयक अवश्य प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। सात दिन का मैंने समय दिया है। सात दिन का अर्थ यह होगा कि आने वाले हफ्ते के अन्दर इसे प्रवर समिति में भेजकर वहां इस विधेयक के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में ठीक प्रकार से विचार कर सकेंगे और जो कुछ भी सिद्धान्त को उचित रूप से लागू करने में दिक्कतें होंगी या जो बहुत सी बातें रह गयी हैं जिनको कि इसमें होना चाहिए, इन सभी को देखते हुए एक ऐसा विधेयक बना सकेंगे जो विधेयक हमारे यहां की माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्णरूपेण हल कर सकेगा। उनकी समस्याओं को सुलझा सकेगा और एक नियंत्रित प्रबन्ध, एक समुचित और नियोजित प्रबन्ध हो सकेगा और एक संस्था भी हम उनके लिए प्रदान कर सकेंगे।

हमारे प्रदेश में अभी भी माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क नहीं हो सकी। हम अभी भी विधान के उस आदेश का पालन नहीं कर सके हैं कि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। दस साल के अन्दर निःशुल्क हो जाने का प्रयास था उसमें हम सफलता नहीं हासिल कर सके। आज भी हमारे प्रदेश में ६२ विद्यार्थियों पर एक ट्रेन्ड टीचर है जब कि २० विद्यार्थियों के पीछे एक ट्रेन्ड टीचर होना चाहिए था। आज भी हम अपने इस प्रदेश के अन्दर माध्यमिक शिक्षा के स्तर को इतना सुन्दर, समुन्नत और व्यवहारिक नहीं बना सके हैं जिससे उच्च शिक्षा में जो हायर एजूकेशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनको अधिक योग्य बना सकें बेकारी की बढ़ती हुई समस्या को दूर कर सकें। इसलिए माध्यमिक शिक्षा के अन्तिम उद्देश्यों को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि हम इस विधेयक पर फिर विचार करें और इस सदन में ही नहीं बल्कि प्रवर समिति में ध्यानपूर्वक विशिष्ट रूप से विचार करें। यहां पर आपने देखा श्रीमन् कि सदन में विस्तार से बातचीत नहीं हो सकती। बहुत से सुझाव जिन पर कि प्रवर समिति में ठीक से विचार किया जा सकता है उन पर इस दृष्टिकोण से सदन में विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे आशा है कि सदन और यह सरकार मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेगी कि इस विधेयक को सप्ताह भर के लिए प्रवर समिति में विचारार्थ भेजा जाय।

श्री रतनलाल जैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक शिक्षा मन्त्री जी ने रखा है मैं उसका स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं और प्रवर समिति का जो प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं। मुझे तो केवल यह खेद है कि यह विधेयक बहुत पहले आना चाहिए था। वे लोग जिनका कि जनता से सम्पर्क है सब जानते हैं कि जो आजकल संस्थायें चल रही हैं माध्यमिक स्कूलों की या इन्टरमीडियेट कक्षाओं की उनका प्रबन्ध कैसा है। बहुतों में जो मैनेजिंग कमेटी हैं उनमें आपस में बड़ा झगड़ा है। कहीं पार्टीबन्दी है एक पार्टी का असर है दूसरी पार्टी कमजोर है। वहां पर ऐसा होता है कि जो अध्यापक हैं वहां जिस पार्टी का जोर होता है उसकी खुशामद में लगे रहते हैं। उनका प्रबन्ध बहुत खराब है और साथ में हम यह भी देखते हैं कि इन संस्थाओं में जो अध्यापकवर्ग है उनकी पोजीशन कैसी है। बाज बाज संस्थाओं में हम यहां तक देखते हैं कि जो उनका प्रोबेशनरी पीरियड होता है एक साल बा दो साल, उसको पूरा नहीं होने दिया जाता, हर साल बदलते रहते हैं, ताकि कहीं कोई टीचर

स्थायी न हो जाय। इस कारण से आज उनकी स्थिति बहुत खराब हो गयी है और इसका प्रभाव यह पड़ा कि वहां पर जो अध्यापकगण हैं वे उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं जितनी दिलचस्पी कि लेनी चाहिए थी।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या करना चाहिए। सरकार आज जो जनता की प्रतिनिधि है, जनतंत्रता के सिद्धान्त पर जो चल रही है उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में उसमें हस्तक्षेप करे। मैंने अभी भाषण माननीय पालीवाल जी का और तिवारी जी का सुना। उन्होंने यही आक्षेप किया कि शिक्षा संस्थाओं में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने बहुत सी चीजों के इधर-उधर से कोटेशन दिये, मगर हम अपने देश की परिस्थिति को जानते हैं, अपने आस-पास की हालत को जानते हैं, कि हमारे स्कूलों का और इन्टरमीडियेट कालेजों का किस तरह से प्रबन्ध चल रहा है। जब ऐसी परिस्थिति है, तो यह आवश्यक हो जाता है, इस सरकार के लिए कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, कि उसमें हस्तक्षेप करे। जो मैंने उनके आक्षेप सुने हैं वही जब आगरा युनिवर्सिटी, लखनऊ या इलाहाबाद युनिवर्सिटी के विधेयक पेश हुए थे, तब भी उन्होंने इसी तरह के आक्षेप पेश किये थे। लेकिन मैंने अर्ज किया कि जो जनता की सरकार है, एक प्रतिनिधि है उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि जब ऐसी विषम स्थिति हो जाय तब उसमें दखल दे। अब इस विधेयक में जो परिवर्तन किया गया है वह इसी के सम्बन्ध में किया गया है। ५–७ बातें तो आज की गयी हैं। एक तो पहले यही की गयी है कि हर एक स्कूल की एक नयी मैनेजिंग कमेटी होगी, और उस मैनेजिंग कमेटी की योजना को संचालक पसन्द करेंगे। उस मैनेजिंग कमेटी में प्रिंसिपल भी होंगे और एक अध्यापक भी होगा, यह चीज बहुत ठीक है। इसके बाद उन्होंने जहां-जहां आवश्यक है, वहां संचालक का दखल रखा है कि उसका निरीक्षण कर सकें। अगर निरीक्षण में कोई खराबी हो तो उस संस्था की मैनेजिंग कमेटी का ध्यान आकर्षित करेंगे कि इसकी जो कमी और त्रुटि है उसको दूर कर दीजिये और अगर उसमें वह एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उस पर वह विचार करेंगे और उनके कहने के बावजूद वह कमेटी नहीं करती है तो बोर्ड को सिफारिश कर सकते हैं कि इसकी मान्यता वापिस ले ली जाय, या वह सरकार को यह रिपोर्ट करेंगे कि इसको कन्ट्रोल कर लिया जाय, इसके लिए एक अथोराइज्ड कन्ट्रोलर हो जो इसका प्रबन्ध करे। मैं तो समझता हूं कि ये बातें बिलकुल ठीक हैं और उचित हैं।

साथ में टीचर्स व प्रिंसिपल्स के भर्ती करने के सम्बन्ध में भी नियम बनाये हैं। प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लेने के लिए भी एक सेलेक्शन कमेटी होगी, और उसमें इन्स्पेक्टर साहब होंगे और अगर टीचर्स को लेना है, तो उसकी सलेक्शन कमेटी में हेडमास्टर होंगे। यह तरीका बहुत अच्छा है। अगर किसी अध्यापक को निकालना होगा, सजा देनी होगी, या सस्पेंशन करना होगा, तो वह मामले इन्स्पेक्टर के सामने जायेंगे। अगर इन्स्पेक्टर ठीक समझेगा, तो उनमें सहमति दे देगा, अगर नहीं समझेगा, तो उन पर एतराज कर देगा। अगर किसी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, तो उनको अपील का अधिकार होगा। ये चीजें जो की गयी हैं इनसे मैं समझता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन संस्थाओं में जो खराबी आज चल रही है, वह बहुत कुछ ठीक हो जायगी। आज जो अध्यापकगण में असन्तोष है वह दूर हो जायगा। हमारे स्कूलों और इन्टरमीडियेट कालिजों में जो एक अनुशासन की कमी और एक ढीलापन है वह भी ठीक हो जायगा, और साथ में प्रबन्ध कमेटियों में जो खराबियां हैं वह भी दूर हो जायंगी। तो ये जो बातें रखी गयी हैं ये बिलकुल सरल हैं और सीधी हैं और होनी चाहिए थीं। इनके लिए किसी प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जो विधेयक आया है उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे देश में काफी दिनों से चर्चा चल रही है और जो उसमें त्रुटियां हैं, उनकी तरफ बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान भी गया है, कमेटियां भी बैठी हैं, जिन्होंने समय-समय पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। हम आशा तो यह करते थे कि शायद इससे ज्यादा व्यापक एक विधेयक

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

उसके सुधार के लिए हमारे सामने आवेगा, किन्तु जो आया है वह केवल एक अंग से सम्बन्धित है यानी एडेड इंस्टीट्यूशन्स के प्रबन्ध में सुधार। मैं यह नहीं समझता कि जो त्रुटियां हैं वे केवल इस सुधार से जो किया जा रहा है, उससे ठीक हो जायंगी। इसके तो और भी बहुत से गम्भीर कारण हैं और जो बुराइयां हैं वह केवल एडेड इंस्टीट्यूशन्स तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वह तो ऊंची ऊंची संस्थाओं में भी हैं जिनका जिक्र अभी सदन में आया। आपको मालूम है कि बोर्ड के प्रबन्ध के खिलाफ प्रांत में काफी असंतोष है और जो कमेटीज के प्रति, जिनके द्वारा ऐक्जामिनेशन्स, कोर्सेज आफ़ स्टटीज तथा रिकग्नीशन आदि कार्य संचालित होते हैं।

हम देखते हैं कि एक ओर तो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की बात की जाती है दूसरी ओर जब रिजल्ट एक दफा बोर्ड आफ एजूकेशन द्वारा प्रकाशित हो जाता है और मालूम होता है कि परसेंटेज कम है तो उसके लिए एक सप्लीमेंट्री निकाला जाता है, जिससे सफलता का प्रतिशत बढ़ा दिया जाय, चाहे विद्यार्थी योग्य हों या न हों। लेकिन हमें ४५-५० परसेंट रिजल्ट का लाना अनिवार्य सा हो गया है। ये बातें चलती रहें और केवल एडेड इंस्टीट्यूशन्स का सुधार हो जाय तो इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा होने वाला नहीं है। इसके द्वारा जो सुधार करने का विचार है उसका स्वागत करना चाहिये। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमने एक तरफ से स्विंग दूसरी एक्स्ट्रीम को ले लिया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स में बहुत सी बुराइयां हैं और उसके उदाहरण रोज सामने आते रहते हैं। लेकिन अगर यह समझें कि ऐडेड इंस्टीट्यूशन्स का जो मैनेजमेंट है उसको बेकाम कर दें और शिक्षा का संचालन अच्छा कर लें तो असम्भव होगा। इसमें हमें यह देखना चाहिये कि जो त्रुटियां आयीं हैं, क्या उनको डिपार्टमेंट के पास जो अधिकार थे, उनका उपयोग करके, रोक सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि डिपार्टमेंट सचेत होता तो आज जहां शिक्षा को लोगों ने एक व्यवसाय बना रखा है, जहां पर लोगों ने पार्टियां बना रखी हैं, उनकी ग्रान्ट रोकी जा सकती थी, उनका रिकग्नीशन विद ड्रा किया जा सकता था। यदि दो ही चार केसेज में ऐसा किया जाता तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता था। देखने की बात तो यह है कि जो डिपार्टमेंट को अधिकार प्राप्त थे उनका उपयोग नहीं हुआ और अब ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं, पता नहीं उनका उपयोग कैसे होगा।

मैनेजमेंट के बारे में जो दृष्टि है उससे ऐसा मालूम होता है कि "दे आर दि विलेज आफ दि पीस" लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट ऐफर्ट्स द्वारा ही आज अधिकांश में माध्यमिक शिक्षा दी जा रही है। मैनेजमेंट तीन तरह के हैं। एक तो मैनेजमेंट वह हैं जिनका रिकार्ड बिल्कुल ब्लेम लैस है और उनके इंस्टीट्यूशन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स से भी अच्छे हैं। उनके यहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर उंगली उठाई जा सके। दूसरे वह हैं जिनके पास पैसे की तंगी की वजह से कुछ अनियमिततायें संस्था के संचालन के लिये करनी पड़ती है। एक सरकार की नीति के कारण कि सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाओं के लिए अलग अलग थे और डी० ए० का स्केल रक्खा है और उनमें भेद भाव करता जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि ग्रान्टों के बराबर कंट्रीब्यूशन स्वयं करें जब कि प्राइवेट चैरिटी के सोर्सेज आज खत्म होते जा रहे हैं बड़ी कठिनाई उत्पन होती है इस कारण जो तनख्वाह दिखाई जाती हैं उनसे टीचर्स को कम दी जाती है मैं जानता हूं टीचर्स की दृष्टि से एक बड़ी भारी बुराई है। अवश्य ही बालक के चरित्र के ऊपर भी जिस संस्था में शुरू से ही झूठ का प्रचार हो, बुरा असर पड़ता है, लेकिन सच बात तो यह है कि जो कुछ प्रबन्धक करते हैं बाध्यता के कारण करते हैं, दिल से नहीं, बल्कि उस संस्था के हित के लिये करते हैं और जो रुपया वे इस तरह से बचाते हैं वह उसी संस्था में लगाते हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन उस मजबूरी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ता है और जिसकी तरफ इस विधेयक में या और कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

तीसरी संस्थायें वे हैं जिन्होंने एजूकेशन को एक व्यवसाय बना लिया है। उनके बारे में, जैसा मैंने कहा, अगर एजूकेशन डिपार्टमेंट सचेष्ट होता तो जितनी बुराइयां उनमें फैल गयी हैं वे कभी नहीं फैल पातीं।

मैं इस विधेयक में एक चीज का अवश्य स्वागत करता हूं और वह यह कि जो इसमें आथोराइज्ड कंट्रोल की बात कही गयी है। मैं जानता हूं कि ग्रांट या रेकगनीशन वगैरह विद ड्रा होने से एक स्थिति यह आती है कि उस क्षेत्र के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको सजा मिलती है। लेकिन अथोराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति से शिक्षा का काम जारी रहेगा और विद्यार्थियों को सजा नहीं मिलेगी।

आथोराइज्ड कंट्रोलर का स्वागत करते हुए और बहुत सी बातें जो इस विधेयक में की गयी हैं, जो पावर्स डिपार्टमेंट ने ली हैं उनको मैं बहुत कुछ अनावश्यक समझता हूं। मैं उन पर विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन ऐसी मेरी शंका है कि होने वाला यह है कि इसमें जो पावर्स ली गयी हैं वे सिद्धान्ततः तो ठीक हैं कि रिज़र्व पावर्स जितनी गवर्नमेंट चाहे ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और जहां उनकी आवश्यकता हो वहां उनको बड़ी कड़ाई के साथ प्रयोग करे, लेकिन रोज-रोज ऐडमिनिस्ट्रेशन में दखलअन्दाजी करना किसी तरह से वांछनीय नहीं है। अगर मैनेजमेंट को आपको रखना है, जिम्मेदारी आप उसको देते हैं तो अधिकार भी उसको देने चाहिये। यह नहीं कि एक इन्स्पेक्टर के हाथ में आप अपील और एप्वाइंटमेंट की सारी पावर्स दे दीजिये और मैनेजमेंट से कहा जाय कि न तो तुम टीचर्स को सस्पेंड कर सकते हो, न रेड्यूस कर सकते हो, कोई ऐक्शन उनके खिलाफ़ नहीं ले सकते लेकिन अपना प्रबन्ध चलाओ। मैं समझता हूं कि यह असम्भव बात है, कोई कर नहीं सकता। जितने गवर्नमेंट मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन्स हैं और जिन-जिन चीजों को गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती जाती है उनमें जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स चल रहे थे तबसे कहीं अधिक पावर्स गवर्नमेंट ने ले रखी है। मैं समझता हूं कि यह बुनियादी तौर पर बिल्कुल ग़लत चीज़ है। मिसाल के तौर पर एप्वाइंटमेंट्स की बात कहता हूं। देहात में कोई स्कूल है। बड़ी मुश्किल से, एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट दे के, एक्स्ट्रा इन्क्रीमेंट्स दे के कोई अच्छा टीचर है उसको राजी करते हैं वहां रहने के लिये, क्योंकि सिटी लाइफ़ में बड़े ऐट्रेक्शन्स हैं जिसके कारण से वे देहात में नहीं रहना चाहते। तो क्या आप समझते हैं कि वह टीचर, जसको बहुत मुश्किल से राजी किया गया है, दो तीन महीने तक इसका इन्तज़ार करेगा कि इंस्पक्टर या रीजनल डिप्टी डायरेक्टर से उसके एप्वाइंटमेंट की स्वीकृति हो। यह एक ऐसी बात है जिससे शिक्षा में एक बड़ा भारी केआस पैदा हो जायगा। हम लोगों ने इस बात की मांग की थी कि जो रूरल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको यह अधिकार देना चाहिये कि वे एक या दो एक्स्ट्रा इन्क्रीमेंट्स दे सकें। उसमें एक पख़ यह लगा दी गयी कि रीजिनल डायरेक्टर की स्वीकृति से ऐसा हो सकता है। नतीजा यह हुआ कि सेशन समाप्त हो जाता है मगर रीजिनल डायरेक्टर की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती।

दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, डिले की है। कभी कोई आर्डर, जिसमें स्वीकृति की जरूरत होती है, ६ महीने, साल भर से पहले आता नहीं। सेशन समाप्त हो जाता है तब तक नहीं आता और लास्टली जो एजूकेशन कोड है मैं समझता हूं उससे ब्रह्मा ही कुछ निकाल सकें तो निकाल सकें। यह नहीं समझ में आ सकता कि किस खंदक में क्या छिपा है और कब वह निकल आये। यह सब चीजें हैं जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मैनेजमेंट पर भरोसा अवश्य करना चाहिये अगर उनसे इंस्टीट्यूशंस को रन करवाना है। उसको पावर मिलनी चाहिये कि वह टीचर्स के ऊपर ऐक्शन ले सके। आप डिसमिसल के लिये कहते हैं। ठीक है डिसमिसल बिना डिप्टी डाइरेक्टर या डाइरेक्टर के ऐप्रूवल के न हो लेकिन किसी का सस्पेंशन भी वह नहीं सकर कते तो फिर जो स्लेक काम करने वाले

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

उनकी खुली छूट है और वे निडर बैठा बैठा ताकता रहे और उसका कुछ कंट्रोल नहीं रह गया मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण बुनियादी तौर पर गलत है। अगर यह होगा तो इसका संचालन किसी प्रकार से नहीं हो सकेगा।

फिर इतनी अनियंत्रित पावर्स सेलेक्शन कमेटी की सिफारिश को रद करने दी गई है कि जिनका कोई अन्त नहीं है। यह पता नहीं कि वह किस आधार पर किसी व्यक्ति को डिसऐप्रूव करें। अगर कोई व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं हो लेकिन किसी का, मैनेजर का या मैनेजिंग कमेटी के किसी मेम्बर का कोई रिलेशन है अगर इसलिये रखा गया है और इस कारण से वह डिसएप्रूव किया जाता है तब तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन बिन निश्चित कारणों के ऐसा हो सके तो यह बात समझ में नहीं आती। आपने इसके और क्लाज में मिसमैनेजमेंट ले लिया और भी सब चीजें ले ली हैं वह सब ठीक हैं लेकिन इन अदर वेज। अब यह समझ में नहीं आता कि वह और क्या बातें होंगी। इस तरह से तो डिमाक्लीज सोर्ड उनके सर पर लटकती रहेगी, कोई काम नहीं हो पायेगा, और सब सिर्फ व्हिम्स की तरफ देखते रहेंगे।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि हमने यह भी इसमें कल्पना नहीं की कि हम इंस्पेक्टर के हाथ में कितनी पावर और कितना पैट्रनेज दे रहे हैं। मान लीजिये, आगरा शहर में ५० इन्स्टीट्यूशंस हैं। अगर उसमें हर साल २ मास्टरों की नियुक्ति होनी है तो करीब सौ टीचर्स की नियुक्ति के एप्रूवल और डिसऐप्रूवल का अधिकार उसके हाथ में आ गया। मैं समझता हूं कि इन्सपेक्टर कोई विशेष रूप से भगवान द्वारा बनाया नहीं गया है। इंसपेक्टर भी वैसा ही व्यक्ति होता है जैसे और सब हैं और जो कमजोरियां साधारण लोगों में होती हैं वह उनमें भी मौजूद हैं, उनमें ही नहीं उनसे भी ऊंचे ऊंचे क्वार्टरों में मौजूद हैं। तो फिर उनके लिये क्या कहा जाय। तो इसलिये नियुक्ति के इतने बड़े अधिकार ऐसे लोगों के हाथ में जिसका वास्तव में कोई बड़ा जबर्दस्त स्टेक्ट नहीं है इतना कहां तक उचित होगा।

यही नहीं उसको आप उस सेलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बनाते हैं जो प्रिंसिपल या हेडमास्टरों की नियुक्ति करेगा। यह क्यों बनाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इंस्पेक्टर की मौजूदगी में उसमें सिवाय इंस्पेक्टर के कृपापात्र ही होंगे वही ऐप्वाइन्टमेंट्स पा सकेंगे। इसमें इतनी बुराइयां पैदा होंगी जिनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिये जो आपने प्राविजन रखा है मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर से यह गलत है। तो इस प्रकार के इसमें दोष हैं उनको हमें देखना होगा। मैं समझता हूं कि मैनेजर्स सब तरह के होते हैं। हमको शिक्षा का संचालन करना है। आज ९० प्रतिशत हमारी माध्यमिक शिक्षा प्राइवेट एफर्ट द्वारा चलाई जा रही है। हमको इसमें सुधार करने के लिये जितनी पावर चाहिये जरूर लेनी चाहिये लेकिन इसके साथ साथ हमको उनका बिलकुल गला नहीं घोट देना चाहिये। उनके लिये ऐसा कंडीशन्स क्रियेट करनी चाहिये जिससे कि वे पनेरिश कर सकें। वे संस्थायें एक ऐसे स्तर पर आ सकें कि जिससे कि टीचर्स को जो डिस्सेटिस्फैक्शन है वह दूर हो सके।

टीचर्स के संतोष का एक कारण यह भी है कि उन संस्थाओं को उतने फंड्स नहीं मिलते, सरकारी ग्रांट उनको उपयुक्त मात्रा में नहीं मिलती। जो मैनेजमेंट अपने नाते रिश्तेदारों को रखते हैं उनको आप छोड़ दीजिये, लेकिन वाकई बहुत बार मैनेजमेंट्स को इस तरह की मजबूरी हो जाती है कि जिससे टीचर्स में असंतोष पैदा हो जाता है। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं देते तो असंतोष है और अगर देते हैं तो हम कहां तक इतने फंड्स इकट्ठा करें। आप कहते हैं कि मैनेजमेंट आधा कंट्रीब्यूट करें, लेकिन इस सिलसिले में बहुत से मैनेजमेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई हैं और उसमें गवर्नमेंट ने आज तक अपना प्रपोर्शनेट शेयर नहीं दिया है। तो इन बातों की तरफ भी हमको देखना है।

यह मैनेजर्स और मैनेजमेंट कोई एक ऐसी ट्राइब नहीं है कि जिसका हम को सर्वनाश कर देना है। जिन्होंने पहले पहल शिक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया उन्होंने बड़ी सेवा और देश हित की भावना से इस कार्य को उठाया होगा और उसमें एक छदाम भी उनको लेने की भावना नहीं थी और मैं आज कहता हूं कि जिस दिन अथाराइस्ड कंट्रोलर नियुक्त होंगे उसी दिन इन इंस्टीट्यूशंस की कास्ट बढ़ जायगी। गवर्नमेंट फौरन लिबरल हो जायगी और इन अथाराइस्ड कट्रोलर्स की तनख्वाहों का एक भार और इस देश की जनता पर बढ़ने वाला है। मैं तो कहता हूं कि अथोराइज्ड कंट्रोलर्स जरूर रखे जायं, लेकिन वहीं जहां पर ऐसी कोई अनियमितता होती हो। मैनेजमेंट को जहां भी दिक्कतें हैं अगर वहां पर सरकार ने ध्यान दिया होता तो आज तक बहुत कुछ सुधार हो सकता था। अगर माननीय तिवारी जी का संशोधन मान लिया जाय कि डिप्टी डाइरेक्टर के ग्रेड के कंट्रोलर्स नियुक्त हों तो पता नहीं कितना खर्च होगा इसका अंदाजा लगाना कठिन है।

एक बात स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इसमें कही गई। यह भी बड़ी वेग चीज है। स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन बनायी जायगी या तो हमारे सामने उसका कुछ प्रारूप होता तो हम समझ सकते कि यह क्या होनी चाहिए। वह क्या होगी। उसमें कौन से मोडीफिकेशंस हैं जो कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन करेंगे। इतना तो हमें मालूम है कि उसके मेम्बर हेड आफ दि इंस्टीट्यूशन होंगे और एक टीचर्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा। हमें स्वीकार है। मैं तो कहता हूं कि उनके रिप्रेजेंटेशन को और भी बढ़ाया जाय तो भी वह स्वीकार होगा हमें, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि उसमें गवर्नमेंट कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव रखने वाली है या नहीं और अगर रखने वाली है तो उसको इस बिल में वह साफ क्यों नहीं करती है।

फिर जो एक्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको पहले ६ महीने का समय स्कीम भेजने के लिए दिया गया है। जब स्कीम सबमिट कर दी गई। उसके बाद डाइरेक्टर उसमें माडीफिकेशंस सजेस्ट करेंगे। अगर उन माडीफिकेशन्स के खिलाफ रेप्रेजेंटेशन करना हो तो किया जाय, लेकिन फिर डाइरेक्टर चाहे किसी तरह के परिवर्तन उसमें कर ले उनके बारे में रिप्रेजेंटेशन का कोई मौका नहीं है। उसका मौका भी इसमें होना चाहिये था। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी भाषा को देखा जाय तो वह बिलकुल साफ है:

> "The Director of Education shall consider any representation made in pursuance of the requisition under sub-section (1) and may either approve the scheme of Administration subject to the alteration and modification suggested under the said sub-section or with any other changes as may appear to him to be just and proper."

इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। जिस वक्त रिप्रिजन्टेशन हो चुका उसके बाद भी और दूसरी बात इसमें घुसेड़ने का क्या औचित्य है? यह ऐसी है जिसका किसी सिद्धांत पर भी समर्थन नहीं किया जा सकता।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन की अनिश्चितता के बारे में कह रहा था। बिल से हमको यह नहीं विदित होता कि किस प्रकार की स्कीम पहले हमें डाइरेक्टर के सामने भेजनी है या किन सिद्धांतों के ऊपर वह आधारित होगी और वह किस तरह के संशोधन कर सकेंगे। इसकी रूपरेखा अगर इस विधेयक में आ जाती तो मैनेजमेंट्स के लिये या शिक्षा संस्थाओं के संचालकों के लिये इस स्कीम को सबमिट करने में बड़ी सुविधा होती। इसी प्रकार जो मैंने और बातें इस बिल के संबंध में बतलाई उनका संक्षेप में यह मतलब है कि सरकार जो भी अधिकार इस बिल के द्वारा ले वे अनियंत्रित न हों, सीमित हों। उनका पूरा-पूरा उपयोग जहां तक जरूरी हो वहां तक किया जाय ताकि हमारी

[श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी]

शिक्षा संस्थायें ज्यादा सुचारुरूप से चलें। ऐसा न हो जैसा कि आज हमें बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि जिन संस्थाओं की काफी बदनामी है उनको ग्रांट्स भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। जब ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि वह नियंत्रण कुछ भी नहीं है।

यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बहुत से लोग इस बात में माहिर हो गये हैं कि मैनेजर्स रिटर्न किस प्रकार के बनाये जावें? कहीं कहीं तो इन्सपेक्टरों के आफिसेज में क्लर्कों की इसके लिये फीस नियत है और वे फीस मैनेजर्स लेकर रिटर्न बनाते हैं। इनके बनाये हुये रिटर्न्स क़ायदों से ठीक मिल जाते हैं और जो ईमानदारी से ठीक-ठीक रिटर्न बनाकर भेजते हैं उनका चौपट हो जाता है। उन्हीं अफ़सरों को और अधिकार देकर और सारे अधिकारों का केंद्रीकरण करके व्यवस्था में कुछ सुधार होने की मुझे गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती है। इस वजह से मेरा यही निवेदन है कि हम एक संतुलित दृष्टि रखें। हमें शिक्षा प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी चलानी है और उनके ऊपर हम अपना मुनासिब नियंत्रण रखें और साथ-साथ उनको इतने अधिकार भी दें कि वे अपना कार्य सुचारु रूप से चला सकें।

इस बिल का मुख्य उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के निमित के शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाना है। लेकिन इन संस्थाओं के केवल कंट्रोल से ही सुधार होना सम्भव नहीं है। मैं समझता हूं कि बोर्ड की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इसमें केवल एक सेक्शन बोर्ड के संबंध में है। मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि यह जो कमेटी आफ कोर्सेज है उसके बजाय हमारे बोर्ड की एक कमेटी बने। मैं एक सुझाव यह दूंगा कि बजाय रोज़-रोज़ नयी-नयी कमेटी बनाने के सरकार को बहुत ही ऐमीनेंट एजूकेशनिस्ट्स की एक कमेटी बनानी चाहिये जो कोर्सेज को देख कर किताबों को प्रेस्क्राइब करे और यह पाठ्यक्रम और कोर्सेज ५ सालों तक चलें?

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें जो शिक्षक अच्छे स्टैन्डर्ड के नहीं मिलते हैं। सरकार की ओर बहुत बड़ा भारी बल इस बात पर दिया जाता है ट्रेंड टीचर्स रक्खे जायं। मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं कि जो सारी दुनिया के दरवाजे खटखटा आता है वह ट्रेनिंग कालेज में आता है और हमें उसी को लेना होता है। अगर हमें अंग्रेजी पढ़ाने के लिये किसी टीचर की आवश्यकता होती है तो चाहे एम० ए० फर्स्ट या सेकिंड क्लास हो, हम उसे नहीं ले सकते हैं अगर वह एल० टी० नहीं है। लेकिन अगर कोई एल० टी० है और वह थर्ड क्लास भी है, चाहे वह अंग्रेजी में सही पत्र न लिख सकता हो, हमें उसको लेना पड़ता है। मैं समझता हूं हमारे ट्रेनिंग कालेजेज में ऐसे व्यक्ति ही लिये जायं जो विद्यार्थियों को कुछ दे सकें, उनका स्तर ऊंचा होना चाहिये। वहां थर्ड क्लास को कोई स्थान नहीं होना चाहिये। फर्स्ट क्लास या सेकिंड क्लास से नीचे के किसी भी शिक्षक को वहां नहीं लेना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। वहां कैंडीडेट्स के लिये एक प्रलोभन भी है, वहां पर प्रत्येक कैंडीडेट को स्टाइपेंड भी दिया जाता है जिसकी वजह से ट्रेनिंग कालेज खोले जाने की बड़ी डिमांड है। इन कालेजेज से जो ट्रेंड टीचर्स निकलते हैं वे अनट्रेंड से कहीं गिरे हुए होते हैं। अतः जब तक इन कोर्सेज और टीचर्स के स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं उठा दिया जाता है तब तक शिक्षा का स्तर जहां का तहां ही रहेगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आर्थिक दिक्कतें इन शिक्षा संस्थाओं की हैं, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिये, और उनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक उसको विचार करना चाहिये। अन्त में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि जो इस बिल की रूपरेखा और ढांचा है उसको पढ़ कर हम बहुत संतुष्ट नहीं होते। हमें वास्तव में यह भी नहीं मालूम पड़ता है कि वाकई में सरकार किस प्रकार से इन संस्थाओं का प्रबन्ध देखना चाहती है जब तक कि जो रेगुलेशंस हैं वे हमारे सामनें नहीं आते। मैं समझता हूं कि जो रेगुलेशंस इसके मातहत बनेंगे वे इन धाराओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और जब तक कि वे इस सदन के सामने नहीं आते तब तक उनकी कोई तस्वीर हमारे सामने बिलकुल

स्पष्ट नहीं होती। इसलिये और जो कुछ भी त्रुटियां हमने इसकी बतलायी हैं उसकी दृष्टि से यह अच्छा ही समझता हूं कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी में चला जाय तो इससे इसमें सुधार होने की संभावना है।

श्री पालीवाल जी का जो सुझाव है कि इसको जनमत के लिये घुमाया जाय, मैं उसका विरोध करता हूं। उन्होंने जो एक बड़े मौलिक सिद्धांत की बात बतलायी है कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिये और इसमें कोई भी हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिये, तो मैं नहीं जानता कि उनकी कल्पना क्या है लेकिन जो कमेटी बैठी है, हमारे यहां भी अभी एक बोर्ड काम कर रहा है। गवर्नमेंट का उसमें कोई डाइरेक्ट हस्तक्षेप है भी नहीं। जो कमेटी बैठी है उसने भी और बोर्ड ने भी सिफारिश की है और जो मुदालियर कमेटी बैठी है उसने भी सिफारिश की है तथा बोर्ड के कंस्टीट्यूशन में भी कोई मौलिक परिवर्तन नहीं मालुम पड़ता तथा मैं भी ऐसा नहीं समझता। लेकिन आखिर कोई न कोई बाडी तो बनानी पड़ेगी। और वह बाडी बोर्ड ही हो सकती है। उसके कम्पोजीशन में थोड़ा बहुत रद्दोबदल किया जा सकता है। अगर सबको सबके ऊपर छोड़ दिया जाय शिक्षा का कोई स्टैंडर्ड ही न हो, इस तरह का कोई बोर्ड या संस्था नहीं है जो सब को कोआर्डिनेट करे, ऐसा तो असंभव सा मालूम होता है। उस तरह की शिक्षा तो इस युग में कुछ बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होगी अगर शिक्षा के स्तर को बनाना है और उसका इन्तजाम करना है तो हमको यह जरूर देखना चाहिये कि जो पैसा सरकार देती है उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं भी शिक्षा संस्थाओं के अन्दर सरकार के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हूं लेकिन मैं ऐसी आटोनामी भी किसी संस्था को नहीं देना चाहता हूं जिससे वे वहां जो मनमानी आवे वह करें। अगर सरकार का हस्तक्षेप या डिपार्टमेंट का हस्तक्षेप केवल प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन्स में कुप्रबन्ध के कारण वांछनीय है तो वह किसी भी शिक्षा संस्था के लिये चाहे वह किसी भी दरजे का हो उसमें भी वांछनीय है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि इस तरह की संस्थाओं के लिये जो भी पब्लिक मनी वह देती है उसका सदुपयोग हो रहा है उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे भी मौलिक सिद्धान्त में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार यहां पर कोई इस तरह का बिल लावे और उसमें अपने लिये कोई रिजर्व पावर रखे तो मैं समझता हूं कि वह अनिवार्य है और होना चाहिये। जैसा कि पहले भी इस सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी बिल के सम्बन्ध में यह बात आ चुकी है कि यह तो पार्टनरशिप है। उसमें गवर्नमेंट भी उतनी ही इंटरस्टेड है जितना कि देश के और निवासी और जो संस्थायें रन कर रही हैं वे हैं।

इसका भी खतरा जिसकी तरफ शायद हमारे पालीवाल जी बराबर संकेत कर रहे थे कि शिक्षा के द्वारा गवर्नमेंट अपना कोई प्रोपेगेंडा करना चाहती है, अगर कोई कम्युनिस्ट कंट्री हो तो उसके लिये भले ही कहा जा सकता है लेकिन कम से कम ऐसा कोई लांछन इस गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह तो सर्वथा निर्मूल और भ्रांतिमूलक है। इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यह जरूर आशा करता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये माननीय मंत्री जी राजी हो जायेंगे।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर मैं भी श्रीमान् की आज्ञा से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बात यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में जितने ही सुधार किये जांय, उसको जितना ही दलबन्दियों आदि से दूर रखा जाय, शिक्षा की आवश्यकता को देखकर, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये जितने भी प्रयत्न किये जांय, शिक्षा का जितना भी प्रसार किया जाय, उत्तमता के साथ जितनी भी शिक्षा हर मनुष्य को दी जा सके वह अच्छा है, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। ये जो सुधार किये जा रहे हैं उनके लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को

[श्री रणंजयसिंह]

धन्यवाद देता हूं। सन् २१ के बाद बहुत सी चीजों में अब परिवर्तन हो गया है इसलिये अब शिक्षा की प्रणाली में कुछ सुधार की आवश्यकता है और उसी के लिये यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

इस विषय पर कई माननीय सदस्यों के भाषण मैंने सुने। इस में सन्देह नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी धारायें भी आ गई हैं कि जिनके सम्बन्ध में और अधिक विचार करने की आवश्यकता जान पड़ती है। इसमें जो अधिकार सरकार ले रही है, मैं समझता हूं जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बताया विशेषकर माननीय नारायण दत्त जी और माननीय चतुर्वेदी जी ने जैसा कहा मैं भी उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि मैनेजिंग कमेटी को और अधिक अधिकार होने चाहिये थे, अगर मैनेजिंग कमेटी को यह भी अधिकार न होंगे कि कोई भी अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करे तो वह उसको इस बात पर सस्पेंड कर सके, मुअत्तल कर सके, यह अनुचित है। इसमें रखा गया है कि वह इंस्पेक्टर साहब को रिपोर्ट ही केवल कर सकती है, इस तरह से मैनेजिंग कमेटी केवल दिखावटी ही रह जायंगी और एक खिलौना हो जायंगी और उनमें जो शिक्षित पढ़े लिखे और अनुभवी लोग हैं और जो निर्वाचित हो कर आये होंगे वह सफलता से कार्य न कर सकेंगे। इस तरह से अधिकारों का छीनना और कमेटियों के अधिकारों का अपहरण शोभनीय नहीं है। जहां सब ओर आज जनता को अधिकार दिये जा रहे हैं और पंचायतों आदि के द्वारा अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण हो रहा है, जनता के हाथ में अपना प्रबन्ध किया जा रहा है, न्याय तक के अधिकार पंचायतों को दिये जा रहे हैं वहां पर अगर मैनेजर के पास इतना भी अधिकार न रहे कि वह अपने अधीन किसी अध्यापक आदि को दलबन्दी या किसी गड़बड़ी के कारण सस्पेंड भी कर सके तो वह नाममात्र का ही मैनेजर रहेगा और एक खिलौना बन कर रह जायगा, अगर कोई बात होती है तो वह केवल रिपोर्ट इंस्पेक्टर को करता रह जायगा और कोई कदम नहीं उठा सकेगा, उसका प्रतिवेदन होगा न जाने क्या क्या होगा—इन्कवायरी होगी और इस समय में वह गड़बड़ी या अनुशासनहीनता वैसे ही चलती रहेगी, इस तरह से समय भी नष्ट होगा और गलत चीजों को प्रश्रय मिलेगा। इससे अच्छा तो यह होता कि कम से कम उस वक्त तो ससपेंड करने का अख्तियार मैनेजर को रहे और उसके बाद वह उसकी रिपोर्ट इंस्पेक्टर के पास भेजा करें और बाद में इंस्पेक्टर साहब उस मामले की जांच कर लिया करें। इस पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। और मैं समझता हूं यहां पर इस सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं वह १६ आना ठीक हैं और उनका समर्थन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

इसी प्रकार से सेलेक्शन कमेटी जो बनाई जाती है—मैं भी शिक्षण संस्थाओं में काम करता हूं और स्वयं मैनेजमेंट को देखता हूं—उसको पूर्ण अधिकार होना चाहिये। मैं जनता हूं कि कभी-कभी बड़ी कठिनाइयां पड़ जाती हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता कि कैसे रक्खे जायंगे। जैसा अभी कहा गया कभी-कभी ऐसे अध्यापक आ जाते हैं जो ठीक से काम नहीं करते। मैनेजर जो होगा और मैनेजिंग कमेटी जो होगी उनका उत्तरदायित्व होगा। ठीक से काम नहीं करते, गड़बड़ी करते हैं तो उनको तोड़ा जा सकता है। यह सब ठीक है कि उनको नियंत्रण में रखना चाहिये लेकिन पग-पग पर नियंत्रण की बात करना कुछ उचित नहीं मालूम होता। जैसे बदायूं के लला की एक कहावत है। बदायूं के माननीय सदस्य बुरा न मानें। कोई बात हो अम्माजान से पूछ आऊं, कोई बात हो अम्मा जान से पूछ आऊं। यह कहावत वहां चली आती है बदायूं के लला की, इसे ही यहां चरितार्थ न किया जाय कि जो बात हो, छोटे से छोटे कार्य के लिये भी इंस्पेक्टर साहब से रिपोर्ट की जाय। मैनेजिंग कमेटीज तोड़ दी जायं। राष्ट्रीयकरण किया जाय। ठीक है व्यर्थ कमेटियां न बनाइये। लेकिन मैं समझता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि उनमें

सुधार किया जाय। उन्हें अधिकार दिये जायं। जनता के अधिकारों जो अपहरण न किया जाय। अगर उन अधिकारों का सदुपयोग नहीं होता है और दुरुपयोग होता है तो अधिकार छीने जा सकते हैं, कमेटियां सस्पेन्ड की जा सकती हैं। नाम का कोई मैनेजर बना बैठा रहे और जो कुछ होता है उसकी इंस्पेक्टर को रिपोर्ट हो यह कुछ उचित नहीं है। इन सब बातों की आवश्यकता है जिस प्रकार से विद्यालय का सुधार होगा, देहातों में कितने विद्यालय हैं, कितने बनते चले जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का क्या स्थान है, कितनी संस्थायें बढ़ाई जा रही हैं, निजी तौर पर शिक्षण संस्थायें कितनी बढ़ती हैं—ये सब चीजें विचारणीय हैं। जिले में एक इंस्पेक्टर रहता है। उनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और काम भी बहुत बढ़ गया है। अगर यही दशा रही तो इंस्पेक्टर साहबान पर बहुत भार रख दिया जायगा अगर छोटी-छोटी बातों में, खाने पीने में भी उनकी सलाह जरूर ली गई तो पता नहीं कितने इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की आवश्यकता होगी और कहां कितने इंस्पेक्टर रक्खे जायंगे और कितनी जगहों पर वे पहुंच पायेंगे जब देहात के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल साक्षर हैं, और वे पंचायतों का काम चला सकते हैं और सुधार की बातें कर सकते हैं, धन का उत्तरदायित्व ले सकते हैं तो फिर इन पढ़े लिखे लोगों पर यह उत्तर-दायित्व न देना, तनिक भी उन्हें अधिकार न देना—मैं नहीं समझता कि जरा भी इसका समर्थन किया जा सकता है।

इसी प्रकार और भी बहुत सी बातें हो रही हैं। मैं यह भी सोच रहा हूं कि बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं जैसे गुरुकुल इत्यादि हैं—यदि यह भावना उत्पन्न हुई कि जितनी शिक्षण संस्थायें हैं सबका प्रबन्ध सरकार के हाथ में रहे तो कोई भी प्राचीन पठन-पाठन पर शिक्षण संस्था नहीं चल पायेगी और उनका चलना असंभव प्रायः हो जायगा। सरकार का नियंत्रण रखना तो ठीक है लेकिन सरकार अनौचित्य और औचित्य को विचार कर करे। जो उचित हो उस पर सरकार प्रसन्नतापूर्वक नियंत्रण रख सकती है और जो अनुचित हो उसका विरोध करे लेकिन यह नहीं कि कुछ अधिकार ही न दे और मैनेजिंग कमेटी चुपचाप ही बैठी रहे।

एक भय और होता है। वह भय मैं नहीं समझता, कहीं निकट भविष्य में हो, ईश्वर न करे वह समय आये लेकिन मैं देखता हूं कि देश की प्रगति और उन्नति की बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। बड़े-बड़े सुधार किये जा रहे हैं। साथ ही साथ उपद्रव भी हो रहे हैं। जहां शान्ति के लिये प्रयत्न किया जा रहा है, चाहे चुनाव के कारण से हो या और किसी कारण से, वहां बहुत से उपद्रव भी हो रहे हैं। आसाम में घटनायें हुईं। वहां रेलगाड़ी की पटरी तोड़ी गई। अहमदाबाद और बम्बई में आन्दोलन हुए, न जाने कितने उपद्रव मचे और कितनी-कितनी बातें हुईं। वे लोग ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। सारी जनता उतनी शिक्षित नहीं है कि हमारे प्रदेश में उसका पूरा भरोसा किया जा सके। और वह अपना अच्छा बुरा पहचान सके, अपने प्रतिनिधियों को ठीक से पहचान सके। जब तक उनको पूरा न समझाया जाय तब तक वह सब बातें समझ लें। आजकल भड़काने वालों की संख्या कम नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या अगर कहीं बढ़ी जैसे उपद्रव करने वाले हैं, हिंसक वृत्ति वाले हैं अगर कभी वह आएं, कभी उनके हाथ में शासन का अधिकार आया तो नाक में दम हो जायगा। पता नहीं कौन-कौन हत्याकांड और उपद्रव याद आयेंगे। किन देशों का जिक्र करूं जहां पर धर्मकर्म का विचार नहीं। वहां गड़बड़ सड़बड़ करना, उपद्रव करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। इसलिए सरकार को कभी उस ओर नहीं बढ़ना चाहिए कि ऐसी शक्ति सरकार अपने हाथ में ले ले। यह प्रथा कम से कम ठीक नहीं जान पड़ रही है। इसी प्रकार से इसमें और बहुत सी बातें हैं। सुधारने के लिए मैं समझता हूं कि यहां पर बहुत सी बातें कही जा सकती हैं और उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन समय इतना कम है, कल सवा बजे तक पूरा विचार हो जायगा। और इतना महत्व-पूर्ण विषय है जिसका प्रदेश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय तिवारी जी का जो संशोधन है वह समर्थन करने के योग्य है। लेकिन माननीय

[श्री रणंजयसिंह]

पालीवाल जी का लम्बा चौड़ा और बहुत दूर ले जाने वाला संशोधन है। उसका मैं समर्थन करने में असमर्थ हूं और मैं उसका विरोध करने के लिए विवश हूं। इस प्रकार से इसमें बहुत सी बातें हैं।

एक बात और है जो बहुत विचारणीय है। मैं किसी ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन या आगरा जमींदार असोसियेशन का सदस्य नहीं हूं। मुझे कोई पक्षपात की बात नहीं करनी है। लेकिन वह न्याय की बात है। इसमें एक धारा है कि एक-एक सदस्य ब्रिटिश इंडियन असोसियेशन और आगरा जमींदार असोसिएशन से लिया जायगा। जहां और सदस्य हो सकते थे वहां पर इन दोनों संस्थाओं से भी एक-एक सदस्य हो सकता था। मैं समझता हूं कि इसके लिए यह विचार किया गया होगा कि अब जमींदारी उन्मूलन के बाद यह संस्थाएं नहीं रहीं। लेकिन यह रजिस्टर्ड बाडीज हैं और चल रही हैं। जमींदारी चाहे रहे या न रहे लेकिन संस्थाएं हैं। और इन संस्थाओं की ओर से कितनी शिक्षण संस्थाएं चलायी गयी हैं। वह संस्थाएं हैं, उनमें चन्दे दिये गये हैं और मैं समझता हूं कि अब भी सहायता मिलती होगी। ऐसी दशा में यह जो धारा रखी गयी है यह अनुचित मालूम पड़ती है।

इसी प्रकार से बहुत सी बातें हैं समय कम है और बहुत से माननीय सदस्य विचार प्रकट करेंगे। इसलिए ब्योरे में न जाकर मैं संक्षिप्त शब्दों में यही निवेदन करूंगा कि एडेड इंस्टीट्यूशंस पर कृपा की जाय। पूरा नियंत्रण रखा जाय। अगर दलबन्दी करते हों, गड़बड़ सड़बड़ करते हों, तो वह तोड़ दिये जायं, बन्द कर दिये जायं। लेकिन उन्हें कुछ करने का अधिकार ही न दिया जाय, उनके हाथ पैर बिल्कुल बांध दिये जायं, अपने मन से पनप न सकें, इस प्रकार से कठिनाई पड़ेगी। अगर कोई शिकायत करता है कि मैनेजर साहब अमुक बात है, अमुक अध्यापक ऐसा कर रहा है, वह कहेंगे कि बहुत अच्छा। वह नाम मात्र के मैनेजर होंगे। फिर चाहे लोग नाम मात्र के मैनेजर होना पसन्द भी न करेंगे। इन बातों पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए और इसके लिए समय बहुत कम है। इसलिए मेरा यहां पर निवेदन है कि प्रवर समिति का जो यहां पर संशोधन है उसको मान लिया जाय। वहां पर विचार होने के बाद बिल फिर सदन में आये और माननीय सदन अपना अन्तिम निर्णय करे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की समस्या इतनी महत्वपूर्ण है। और विशेष कर माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न जिसका कि इस बिधेयक से सम्बन्ध है अपनी जगह खास महत्व रखता है। तो कोई भी योजना अगर सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में उपस्थित की जाय उस पर जाहिर है कि बहुत गौर करना चाहिये। मैं तो चाहता था कि मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस विधेयक पर बधाई देता, लेकिन, श्रीमान् जी, मुझे दुख है कि मेरा दिल भले ही मंत्री जी के साथ हो, लेकिन दिमाग थोड़ा रुक-रुक कर उनके करीब आने की चेष्टा करता है लेकिन फिर भी दूर चला जाता है। मैं उनको आपके द्वारा कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उस पर ध्यान देंगे।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मजबूरन लागू की जाती हैं। कानून दो प्रकार का होता है, एक परमिसिव दूसरा मेनडेटरी। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा सरकार को अधिकार दिया गया है लेकिन यह सरकार के ऊपर है कि उन अधिकारों को वह प्रयोग करे या न करे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अवश्य ही लागू होंगी और वह मेनडेटरी हैं। जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है आज हम देख रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं के द्वारा शिक्षा दी जाती है और उससे कहीं अधिक शिक्षा उन संस्थाओं द्वारा दी जाती है जो सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं और जो अपनी तरफ से अपना कार्यक्रम

चलाती हैं। अगर आज सरकार ऐसी कोई योजना लाये जिससे माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तौर से अपने हाथ में ले ले तो वह अपने स्थान पर ठीक हो और उसमें फिर यह बातें जो आज हमारे सामने रखी गयी है और जिनका इस विधेयक से सम्बन्ध है उनकी शायद आवश्यकता न पड़े। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि काफी मात्रा में शिक्षा उन संस्थाओं द्वारा दी जा रही हैं जो अपनी कमेटियों द्वारा उन संस्थाओं को चलाती हैं और सरकार उनकी मदद करती है। लेकिन उन संस्थाओं पर कितनी मात्रा से सरकार का नियंत्रण होना चाहिये यह गौर करने की बात है।

मैं श्रीमन्, बड़ी नरमी के साथ यह निवेदन करूंगा कि हमारे दल के लोग और जिस दल से मेरा सम्बन्ध है वह यह न विचार करें कि हम हमेशा के लिये जहां हैं वहां बैठे रहेंगे। सम्भव है कि कोई ऐसा समय आये कि बिल्कुल परिस्थिति दूसरी हो और उस समय, यह मैं मिसालन कहता हूं, अगर माननीय गेंदासिंह जी इस विधेयक को लाते तो मैं जोरदार शब्दों में उनका विरोध करता कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नियंत्रण कर रहे हैं जिससे शिक्षा के क्षेत्र को भी एक राजनीति का रंगमंच बना दिया जायगा यही विधेयक श्रीमन्, अगर, मिसाल के तौर पर, ट्रावनकोर कोचीन में लाया जाता तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे दल का एक-एक व्यक्ति उसका विरोध करेगा। इसलिये कि शिक्षा में हम नहीं चाहते कि शिक्षा चलाने वाली संस्थायें यह महसूस करें कि उनके ऊपर एक प्रकार का बोझ और अंकुश है। अगर वह गलत काम करते हैं तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है, चाहे किसी दल की सरकार हो, कि वह सुधार करे। लेकिन अपने स्थान पर जहां वह कार्य करती हैं तो उनके कार्य में किसी प्रकार से बाधा डालनी और अंकुश लगाना मेरे खयाल में प्रजातन्त्र प्रणाली के विरुद्ध ही बात होगी।

आज इस विधेयक में, जैसा मैंने निवेदन किया, ऐसी बातें हैं जो कि सरकार को अधिकार देती हैं कि उनका प्रयोग करे या न करे। सरकार किसी संस्था की जांच कराये या न कराये यह उसको अधिकार दिया गया है, ठीक है। इंसपेक्शन होता है और इंस्पेक्टर्स इंसपेक्शन करते हैं। अगर विशेष अधिकार इसके लिए दिया जाता है तो उसमें तो कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन इंस्पेक्शन के बाद फिर एक विशेष बात यहां रखी गई है कि अगर ऐसी गम्भीर स्थिति आ जाय तो कमेटी से संस्था को चलाने का अधिकार एक कंट्रोलर के हाथ में दे दिया जा सकता है। जैसे कि पुरानी जमींदारियां होती थीं और अगर जब उनका इंतजाम ठीक नहीं होता था तो कोर्ट आफ वार्ड्स के मुहकमे के द्वारा उनसे अधिकार ले लिया जाता था। जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा, मैं खुद समझता हूं कि ऐसी स्थिति आ सकती है और कुछ ऐसी संस्थायें हो सकती हैं जिनके लिये यह आवश्यक पड़ जाय कि उनके कामके सुधार के लिए सरकार मुनासिब इन्तजाम करे। अपनी जगह मैं निवेदन करूंगा कि कंट्रोलर अगर कहीं विशेष परिस्थिति में स्कूल का या संस्था का काम चलाने के लिए अधिकार कुछ दिनों के लिए लेता है तो अपनी जगह वह बुरा नहीं है। सिर्फ देखने की बात तो यह है कि यह अधिकार किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। यह विचार करना है कि किसी प्रकार से लोगों में या जनता में यह शंका न हो कि इसका प्रयोग उचित तौर से नहीं होगा। अगर सरकार यह समझती है कि इसका प्रयोग उसी स्थिति में होगा जहां पर यह अनिवार्य होगा और बहुत जरूरी होगा तो मैं इसका स्वागत करूंगा और मेरा अपना खयाल है कि यह सरकार अगर इस प्रकार का अधिकार अपने हाथ में लेगी तो उन्हीं स्थितियों में इसका उपयोग करेगी जहां कि यह बिलकुल आवश्यक है।

जहां तक कि व्यवस्था रखी गई है स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वह भी अपनी जगह ठीक है। उसके अन्तर्गत यह भी कहा गया है कि मैनेजमेंट कमेटीज का जो विधान होगा उसकी रूप रेखा भी उसके अन्दर रखी जायगी। श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व एक आदेश हुआ था, अब मुझे इस वक्त मालूम नहीं कि अभी तक उस आदेश का पालन हुआ या नहीं, प्रत्येक मैनेजिंग कमेटी को कहा गया था कि दो या तीन बाहर के लोगों को जो स्थानीय विधान सभा के सदस्य हैं उनको या जिनको इंस्पेक्टर नामजद करे उनको अपनी कमेटी के अन्दर लें। उस वक्त मैंने व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में कहा था कि

[श्री शिवनाथ काटजू]

यह कदम अच्छा नहीं है। अब मैं नहीं कह सकता कि यह फिर बात सामने आ सकती है या नहीं, लेकिन यह देखने की चीज है कि ऐसी संस्थायें हो सकती हैं जिनके लिये यह आवश्यक है कि उसके सुधार के लिए बाहर के लोगों को रखा जाय। लेकिन इससे यह भी डर हो सकता है कि जहां अच्छी तरह से सुचारु रूप से काम चल रहा है वहां अगर बाहर के लोगों को मजबूरन तौर पर रखा जाय तो उससे यह भी खतरा है कि जहां उनका काम ठीक चल रहा हे वहां उस काम में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। लेकिन इसके सम्बन्ध में इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि कमेटी की क्या रूप रेखा रहेगी, क्या उसकी शकल रहेगी, उसके बारे में भी स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में कहा जायगा। स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन जो बनायी जायगी वह शिक्षा विभाग के सुझाव और उनके अनुमति से बनायी जायगी। इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। यहां भी फिर वही बात आ जाती है कि अगर उचित रूप से शिक्षा विभाग का आदेश हो तो उससे भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप नियम बना रहे हैं परन्तु मुझे खतरा है कि अगर माननीय गेंदा सिंह जी कभी आ गए तो सम्भव है कि वे इसका दुरुपयोग करें। मैं अपने पक्ष की तरफ से यह आशा नहीं रखता हूं कि वे इस अधिकार का दुरुपयोग करेंगे लेकिन अगर मेरे मित्र मदनमोहन जी या नारायणदत्त जी आ गए तो मुझे खटका है कि वे शायद इन नियमों का दुरुपयोग करें।

श्रीमान्, मैं विशेष रूप से उन बातों के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनको कि मैं काफ़ी खतरनाक समझता हूं और वह हैं प्रिंसिपल और टीचरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जिनकी इस विधेयक में रूप रेखा रखी गयी है। मेरे खयाल में वह उचित नहीं हैं। इसका नतीजा यह होगा कि हर संस्था में फिर वही अध्यापक रहेगा जिसको कि शिक्षा विभाग चाहे या जिसको कि शिक्षा विभाग माने। आपने देखा कि इसके अन्दर रूप रेखा रखी गयी कि प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन कमेटी बने और फिर उस सिलेक्शन कमेटी में स्वयं इंस्पेक्टर होगा और यहीं तक नहीं, उसके बाद जिसका नाम सिलेक्शन कमेटी तजवीज करेगी उसका अप्रूवल रीजनल डायरेक्टर के द्वारा लेना आवश्यक हो जायगा। मेरे खयाल में श्रीमान्, यह संस्थाओं के अधिकार के ऊपर बड़ा भारी हस्तक्षेप है। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ-साथ जाते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि कमेटियों पर जिम्मेदारी है, उनको अपनी संस्था को चलाना पड़ता है, तो जहां उनकी जिम्मेदारी है वहां उनको अधिकार भी मिले हुए हैं, और अगर आप उनके अधिकार लेते हैं और खाली उनकी जिम्मेदारी रहती है तो श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि इससे शिक्षा संस्थाओं को काफी चोट आ सकती है। सम्भव है कि, जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां ऐसे नियंत्रणों की आवश्यकता पड़े लेकिन बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां उचित तरीके से आज जो काम चल रहा है, कल उसमें गड़बड़ पैदा हो सकती है और जैसा कि मेरे मित्र शम्भूनाथ जी ने कहा, प्रिंसिपल की नियुक्ति और उसके साथ-साथ टीचर के लिये इस विधेयक में जो बात कही गयी है कि सिलेक्शन कमेटी जो फैसला करे, उसकी मंजूरी इंस्पेक्टर दे तो श्रीमान्, हमारे शहरों के अन्दर, हमारे देहातों के अन्दर आपस में पार्टियां हैं, आपस में दलबन्दियां हैं, हमारे अन्दर अपनी दलबन्दियां हैं, इसका नतीजा यह होगा कि आप इंस्पेक्टर के सामने हम सब की दुर्दशा करायेंगे। ४ आदमी एक के नाम के लिए और ४ दूसरे के लिए चले आ रहे हैं और इंस्पेक्टर साहब किसकी सुनें, किसकी न सुनें? वही पंच बनें। मैं श्रीमन्, निवेदन करता हूं कि जहां तक नियुक्ति का सम्बन्ध है प्रिंसिपल और अध्यापक की, उसके साथ-साथ अध्यापक को हटाना या निकालना, इसके लिए भी विधेयक में वह बातें रखी गयी हैं जिस से स्कूल की कमेटियों की स्वतंत्रता बहुत हद तक चली जाती है। यह एक ऐसी चीज है कि अगर इसको शिक्षा विभाग के सुपुर्द कर दिया जाता है तो शिक्षा विभाग के ऊपर इतना काम बढ़ जायगा कि जिसको उचित रूप से उनके लिए निभाना कठिन हो जायगा।

श्रीमान्, जिस रफ्तार से आज हमारे प्रान्त में स्कूल बढ़ रहे हैं वह सभी जानते हैं। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि हमारे प्रान्त में लक्ष्मी का कटाक्ष चाहे पूरी तरह से न हुआ हो,

लेकिन सरस्वती का पूरा कटाक्ष हुं गया हुं और आज गांव-गांव में यह मांग है कि हमारे यहां भी स्कूल हो। ४–४ छप्पर डाल कर उन्होंने स्कूल खड़ा कर लिया और नवीं दसवीं जमाअत तक खोल दी। फिर शिक्षा मंत्री के पास गये उसके रिकागनेशन के लिए। अब जाब्ता और कानून के होते हुए भी जो प्रवाह, जो गति चल रही है, कोई भी जनता की सरकार उस गति के बेग को रोक नहीं सकती। ऐसी स्थिति में जहां इतनी संस्थाएं बढ़ती चली जायं वहां टीचरों के हटाने की जिम्मेदारी अगर आप उन स्कूल की कमेटियों से ले लेते हैं तो इससे आप अपने ऊपर ज्यादा बोझ लेंगे और उन कमेटियों के काम में आप काफी रुकावट डालेंगे। उनको अगर अधिकार नहीं रहेगा तो वह अपने यहां डिसिप्लिन नहीं रख सकते। जो अध्यापक हैं वह समझेंगे कि कमेटियों के पास कोई अधिकार नहीं हैं। चार आदमियों को यदि ठीक कर लिया तो वे इंस्पेक्टर साहब के पास जाकर काम ठीक कर लेंगे और उनकी रक्षा कर लेंगे। इस प्रकार से कमेटीज के काम में शिथिलता पड़ेगी। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है प्रिंसिपल और अध्यापकों का और उनके हटाने का सम्बन्ध है, उसके लिये जो नियम इस विधेयक में रखे गये हैं, मुनासिब नहीं हैं। इसके लिये काफी देखभाल की जरूरत है। बहुत सम्भव है कि मंत्री जी स्वयं इस विचार पर आ जायं कि इनमें संशोधन की आवश्यकता है।

श्रीमन्, जैसा मेरे मित्र चतुर्वेदी जी ने कहा कि आज हमारे यहां कुछ ऐसी शिक्षा संस्थायें हैं जिनको हम एडेड इंस्टीट्यूशन्स कहते हैं, वह तरह-तरह की हैं और जिस तरह से उन्होंने उनको बांटा है, वह सही है। बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं जो सुचारु रूप से चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका प्रबन्ध तथा कार्य ठीक है लेकिन वह आर्थिक कष्ट में हैं, जो परिस्थितियों के कारण आर्थिक संकट में आगई हैं। कुछ संस्थाए ऐसी हैं जिनमें दलबन्दी काफी है और उनके लिये काफी नियंत्रण की जरूरत है। अगर ऐसा विधान बनता है, ऐसा अंकुश लगता है जिससे सभी श्रेणियों की संस्थाओं पर एक ही तरह के नियम (लागू होते हैं तो उससे बजाय फायदे के नुकसान होगा।) कमेटियों को मौका होना चाहिये कि वह अपने अधिकारों को उचित प्रकार से उपयोग करें। डेमोक्रेसी का अर्थ यही होता है कि संस्थाओं को जो अधिकार मिले हैं वे उनको उचित प्रकार से प्रयोग कर सकें। अगर उनके कार्यक्रम में किसी तरह की शिथिलता होगी या गड़बड़ी होगी तो सरकार को हमें का अधिकार है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करे और उनके काम को दुरुस्त करे। हम यदि एक अंकुश लगाते हैं और उनको सेमी-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स बना देंगे तो जो लोग शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको मजबूर कर देंगे कि रोज वह इंस्पेक्टरों के दरवाजे खटखटायें जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, जिनको स्वाभिमान का जरा भी खयाल है, वह शायद शिक्षा के क्षेत्र के बाहर चले जायेंगे।

श्रीमन्, यह ऐसी समस्या है जिस पर मंत्री जी और सरकार को ध्यान देना चाहिये। जहां तक पालीवाल जी का संशोधन है, मैं उसका विरोध करता हूं और जो चतुर्वेदी जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं।

*श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)––मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं। श्रीमन्, यह स्वागत मैं केवल इसलिये ही नहीं कर रहा हूं कि मेरा ऐसा विश्वास होगा कि इस विधेयक में कुछ दोष नहीं है। वास्तवमें विनम्रता के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत से दोष हैं, किन्तु स्वागत मैं इसलिये करता हूं कि बहुत देर हो गई इंटर-मीडियेट ऐक्ट के संशोधन में और कानूनन इंटरमीडियट एजूकेशन बोर्ड की जिन्दगी दो साल से ज्यादा गवर्नमेंट बढ़ा नहीं सकती थी और जून १९५७ को वर्तमान माध्यमिक परीक्षा संसद की जिन्दगी खत्म होने वाली है। इसलिए इससे पहले किसी न किसी प्रकार का विधेयक लाना आवश्यक था। इस विधेयक की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। हम में से जिनको जानकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

होगी कि विधेयक का प्रारंभिक रूप क्या था, और उससे कितनी बेचैनी फैली थी, कितनी उलझन और परेशानी अध्यापक वर्ग में हो गई थी, उनको देखकर कम से कम संतोष होगा कि शुरू में इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट के अमेंडमेंट के लिये सरकार ने जिस तरह से इरादा किया था, उसको बहुत कुछ बदल दिया है अध्यापकों के पक्ष में। जब इस विधेयक की चर्चा इस सदन में उठी तो उसकी एक रूपरेखा इंटरमीडिएट बोर्ड के पास भी विचार के लिये भेज दी गयी थी। उसने उसके ऊपर काफी विचार किया। एक कमेटी बना दी गयी और उस कमेटी का एक कन्वीनर कहिये या जो कहिये, एक सदस्य मैं भी था। उस कमेटी ने गवर्नमेंट के सामने अपने पूरे के पूरे संशोधन और प्रस्ताव इसलिये भेजे कि मौलिक रूप से सबसे बड़ी शिकायत जो बोर्ड को थी वह यह थी कि भावी प्रस्ताव में अध्यापकों के अधिकारों को जिस तरह से सुरक्षित रखना चाहिये था वह उस मौलिक विधेयक में नहीं था और इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के पास और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास भी डेपुटेशन्स गये थे।

श्रीमन्, हमारे कुछ सदस्यों का मौके बेमौके माननीय शिक्षा मंत्री पर अनायास आक्षेप करना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। ऐसा अवसर तो बहुत बार आया होगा जबकि मेरी और उनकी राय एक नहीं मिली होगी। किन्तु मैंने अपने अनुभव से इतना तो जरूर देखा कि जब कभी कोई बात ठिकाने से उनको समझा दी गई, उनके सामने ठीक से रख दी गयी और उसकी बारीकियां उनके सामने पेश कर दी गयीं तो उन्होंने उनको समझा और समझने के साथ ही साथ उन शिकायतों को दूर भी किया।

मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वास्तव में इंटरमीडिएट बोर्ड ऐक्ट के विषय में बहुत कुछ बातें हमारी सुनीं, बहुत कुछ संशोधन किये और बहुत कुछ दिक्कतें भी दूर कर दीं। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूं कि इंटरमीडिएट बोर्ड से जिसका जरा भी सम्बन्ध होगा वह ईमानदारी के साथ इस सदन के सामने यह जरूर कहेगा कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने उसके रोजमर्रा के काम में हस्तक्षेप कभी नहीं किया। यही नहीं, उनके सामने जब कभी भी ऐसा अवसर आया कि लोगों ने उनसे इंटरमीडिएट बोर्ड की शिकायतें कीं तो उन्होंने सदैव यही कहा कि बोर्ड आटोनामस बाडी है, मैं उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इन दोनों बातों के लिये आपकी अनुमति से मैं उनको इतनी और बधाई देना चाहता हूं। किन्तु इस बधाई देने के साथ-साथ आपके द्वारा उन बहुत सी चीजों को उनकी सेवा में और इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं जिनकी जानकारी हो जाना बहुत जरूरी है। इस लिये भी जरूरी है कि अभी माननीय चतुर्वेदी जी ने और कुछ और सदस्यों ने बोर्ड के विषय में शिकायतें कीं परीक्षा समिति के सम्बन्ध में। मुझे उनको धन्यवाद देना चाहिये कि मान्यता के संबंध में शिकायतें नहीं की गयीं जो कि बोर्ड का सबसे बड़ा काम है। लेकिन मैं जानता हूं कि उधर बैठे कुछ सदस्य मान्यता के सम्बन्ध में भी जरूर शिकायतें करेंगे। यही नहीं बल्कि उधर बैठे हुये एक पार्टी के नेता महोदय ने तो एक लम्बी चौड़ी सूची सचिव, एकेडेमिक परीक्षा परिषद् के पास भेजी जिसमें मेरे ऊपर यह आक्षेप किया गया कि मैं कुछ पक्षपात से काम करता हूं। इस लिये आवश्यक यह भी है कि इस बारे में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर कर दिया जाय।

श्रीमन्, परीक्षा समिति के बारे में तो चतुर्वेदी जी का यह कहना बिलकुल सही है कि यह बिलकुल अच्छा नहीं मालूम होता कि आज परीक्षा फल निकले, कल और निकले, महीने भर बाद फिर निकले और सप्लीमेंटरीज निकलते रहें और इस बीच में दुर्घटनायें हो जाती हैं। यह एक गलत सी चीज है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देखना है कि दुनियां के किसी हिस्से में इतनी बड़ी परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण हो सकती है, किन्तु परीक्षा का जो संगठन है और तीन, चार लाख विद्यार्थियों की परीक्षा में जितनी कम से कम खराबियां हो सकती हैं, जो एक बड़ी भारी चीज है, उसके लिये तो बोर्ड की थोड़ी बहुत प्रशंसा करनी ही होगी।

इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके परीक्षाफल को प्रकाशित करने में बोर्ड के पक्षपात की शिकायत शायद इसलिये भी नहीं की जा सकती कि उस परीक्षाफल की रिजल्ट्स कमेटी जो होती है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी डायरेक्टर आफ एजूकेशन के हाथ में होती है। बोर्ड के साधारण सदस्यों के हाथ में वह चीज़ नहीं होती कि वे किसी का परीक्षाफल बदल दें और पलट दें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि परीक्षाफल के बारे में कई दिक्कतें बोर्ड के सामने रही हैं और रहेंगी। वे दिक्कतें यह हैं कि कुछ लोगों का ऐसा अनुमान है कि लड़कों की परीक्षा के बारे में तो जितनी सख्ती की जा सकती है की जानी चाहिये लेकिन जहां तक लड़कियों का सम्बन्ध है कि एक दो मार्क्स से जिनकी शादी रुकी हुई है, जिनकी आगे की गृहस्थी की बातें रुकी हुई हैं और जहां बहुत सी बातें इसी पर मुनहसर हैं तो एक या दो नम्बर का ग्रेस मार्क्स देकर अगर आगे बढ़ाया जा सके तो बढ़ाया जाय। इसी तरह की और भी शिकायतें होती हैं लेकिन आवेदन-पत्र भेजे जाते हैं कि अमुक प्रश्न-पत्र बड़ा कठिन है इसको कृपा करके इसके स्टैन्डर्ड से जरा नीचे करके विद्यार्थियों के साथ रियायत करनी चाहिये। तो एक तो ऐसे अवसरों के लिये सप्लीमेंटरी की आवश्यकता होती है। अगर सप्लीमेंटरीज न हों तो अच्छा है और जैसा चतुर्वेदी जी ने कहा यह बहुत अच्छी बात है लेकिन सारी जिम्मेदारी इस सप्लीमेंटरी की बोर्ड पर नहीं लादना चाहिये।

परीक्षकों के बारे में शिकायतें हैं, बोर्ड के बारे में हैं। मैं इसलिये यह निवेदन कर रहा हूं कि सदन के सम्मुख बोर्ड नहीं होना चाहिये। हमें थोड़ा इसकी एनलसिस करनी चाहिये और समझने की चेष्टा करने के बाद यह भी निर्णय हमें करना पड़ेगा कि बोर्ड के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह वास्तव में सही है या नहीं या भ्रांतिमात्र है। श्रीमन्, परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में नियम इतने कठोर हैं कि मैं कम से कम इतना कह सकता हूं कि इतनी बड़ी परीक्षकों की फेहरिस्त में से एक मामले में भी सदन के सम्मुख कोई सज्जन यह कह दें कि फलां परीक्षक की नियुक्ति अनुचित तरीके से हुई, वह अवांछनीय थी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन के सम्मुख खड़ा हो कर क्षमा मांग लूंगा। नियम इतने कठोर हैं कि कम से कम पांच साल, तीन साल का उसको शिक्षा का अनुभव हो और इतने साल तक का क्वालिफाइड आदमी किसी माध्यमकि शिक्षालय का प्रिंसिपल हो या स्वीकृत पाठशाला में शिक्षा दे चुका हो। जब इन दोनों शर्तों को कोई आदमी पूरा करता ह वही केवल परीक्षक नियुक्त हो सकता है। जब इतने कठोर नियम हैं तो इतनी वीडिंग आउट होती है और अक्सर ऐसा होता ह कि बहुत से प्रार्थना-पत्र ऐसे आते हैं और बहुत से नाम ऐसे आते हैं जिनका रिकर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र नहीं है और उनका कोई केस नहीं है और तब यह चीजें नहीं होती, तो उन परीक्षकों की कैसे नियुक्ति की जाय, यह बड़ी पहेली है जिसके सम्बन्ध में इस सदन को विचार करना है।

बहुत सी शिकायतें जो पाठ्यक्रम के विषय में कर दी जाती हैं और कहा जाता है कि टेक्स्ट बुक्स बहुत जल्द बदल दी जाती है वह कहां तक ठीक है यह भी सोचना चाहिये। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार यह शिकायत सही है कि माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम बहुत जल्द बदल जाता है। पिछले ६ सालों में माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने पाठ्यक्रम नहीं बदला न उसकी इच्छा थी। यह जरूर होता है कि पुस्तकों के प्रकाशकों को एक ही किताब के लिये एकाधिकार एक कक्षा के लिये नहीं होता। पांच ६ पुस्तकों की च्वायस हो जाती है, पांच ६ पुस्तकें निश्चित कर दी जाती हैं। प्रिंसिपल अपने स्कूल के रिजल्ट को देखकर इन पाठ्य-पुस्तकों द्वारा परीक्षा कैसी हुई है उन्हीं पांच ६ पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक रख दें। अगर उसने कोई पुस्तक बदल दी तो यह उस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी हो सकती हैं। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बोर्ड ने पाठ्य-पुस्तकें तब बदली जब गवर्नमेन्ट ने आदेश दिये कि वाकई किताबें बहुत पुरानी हो गई हैं और इतनी किताबें बदलो और वह भी इसलिये कि ५३ में पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों में ३७-३८ के आंकड़े मौजूद थे। इतनी पुरानी पुस्तकें जिनमें अविभाजित भारत का नक्शा मौजूद था और जिनमें भूगोल के विषय में गेहूं इत्यादि की

[श्री परिपूर्णानन्द]

पैदावार के सम्बन्ध में कराची और लाहौर इत्यादि की पैदावार दी जाती थी, यदि उन पुस्तकों को हमारे बच्चे पढ़ते तो उसमें किसका कल्याण होता ? इन्हीं बातों के विचार से गवर्नमेंन्ट ने आदेश दिया कि पाठ्य-पुस्तकों को बदलों । किन्तु बोर्ड के सामने जब पाठ्य-पुस्तकों के बदलने का सवाल आया तो बोर्ड ने उस पर सोचा । उसने उसके लिये एक कमेटी बैठाई और अक्सर ऐसा होता है कि मेम्बर लोग खुद पाठ्य-पुस्तकों में रुचि लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मेम्बर लोग खुद एक पार्टी होते हैं किसी एक पुस्तक को चुनने के लिये, तो यह सोचा गया कि ऐसा कर देना चाहिये कि मेम्बरों का उसमें कोई इंटरेस्ट न हो । आदेश हुआ कि इसके लिये जो भी किसी प्रकार का ग्रंथ लिखेगा उस आदमी को इस बात का अधिकार न होगा कि वह पाठ्य-पुस्तक के निर्वाचन में भाग ले सके । आदेश हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कोई पाठ्य-पुस्तकों में रुचि रखेगा उसको इस प्रकार का अधिकार न होगा कि वह बोर्ड के सामने किसी प्रकार की राय दे सके । इतना करने के बाद एक कमेटी बैठाई गई । मैं भी उस कमेटी का मेम्बर था । उसने तय किया कि रिव्यूअर्स कौन हों । कौन आदमी रिव्यू करे, आलोचना करे और जब रिव्यूअर्स के पास पुस्तक भेजी जाय तो उस प्रति में न तो प्रकाशक का नाम हो, न लेखक का नाम हो और न प्रेस का नाम हो, उसके पास कोरी एक पांडुलिपि भेज दी जाय और उसके बारे में रिव्यूअर्स नम्बर दें । वह नम्बर चुपचाप, गुप्त रखे जायं और उसके बाद डाइरेक्टर आफ एजूकेशन और बोर्ड के दो एक कर्मचारियों को छोड़ कर बाकी किसी और को उसकी जानकारी न दी जाय । मैं भी उस कमेटी का सदस्य होते हुये नहीं जानता कि किस विषय का कौन रिव्यूअर था ।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं । एक बार माननीय उपाध्याय जी ने कहा था कि शायद परिपूर्णानन्द जी की यह आदत है कि सरकारी कर्मचारियों की हमेशा तारीफ किया करते हैं । श्रीमन्, मेरा इस विषय में एक उसूल रहा है और मैं चाहता हूं कि वह उसूल सब का हो कि जो अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार का अधिकार नहीं रखता कि सदन के सामने आकर अपनी सफाई दे सके, उसकी यहां निन्दा करने से उसके लिये कुछ दिक्कत और कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह जरूर कहूंगा कि जो वर्तमान शिक्षा का हमारा क्रम है, पंचवर्षीय योजना की जहां तक बात है, उसमें मैं नहीं समझता कि हमारे वर्तमान शिक्षा संचालक उसके लिये कहां तक योग्य हैं, और मैं नहीं समझता कि वह कहां तक हमारी शिक्षा के कार्य को आसानी से चला सकेंगे । ऐसी मेरी धारणा है और मैं इस विषय में उनको निकम्मा जरूर समझता हूं । लेकिन जहां मैं उनको इस विषय में निकम्मा समझता हूं वहां यह भी जरूर कहूंगा कि वे ईमानदार आदमी हैं और चूंकि वह ईमानदार आदमी हैं इसलिये जब किताबों का सवाल आया तो तीन-तीन दिन तक वर्तमान शिक्षा संचालक महोदय ने बैठ कर, काफी बहस करके, काफी चेष्टा करके इस बात को पूरा किया, उस काम को निपटाया । जरा भी कहीं शुभा हुआ कि किसी तरह से किसी किताब में कोई हस्तक्षेप हुआ तो उसको नहीं लिया गया । इतनी छानबीन के बाद टेक्स्ट बुक्स का निर्वाचन किया गया । लेकिन उसके बाद फिर भी कह दिया जाय कि बोर्ड में बेईमानी हुई, बोर्ड में खराबियां हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा मापदंड होगा कि जिसके द्वारा वर्तमान इंटरमीडियेट बोर्ड इस सदन के सामने आ कर कहे कि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके करने में ये ये दिक्कतें हैं ।

मैं एक बात बतलाऊं कि आज हमारे प्रदेश की एक बड़ी समस्या यह है कि शिक्षा का क्रम क्या हो । माननीय नारायणदत्त जी ने कुछ रिपोर्ट्स पेश कीं, कुछ बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कहीं । मैं चाहता हूं कि उन पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करें । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज हमारा समाज क्या चाहता है, वह किस प्रकार की शिक्षा चाहता है । शिक्षा में दोष की बात लोग करते हैं, शिक्षा प्रणाली में दोष की बात अनेक बार कही जाती है । आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जिस कमेटी की रिपोर्ट पेश की है हमने भी उस पर विचार किया है । हमने भी उस पर एक रिपोर्ट पेश की है । हमने भी उसकी सिफारिशों का काफी उहापोह

किया है और उसको देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम क्रम तो बतलाते हैं लेकिन उसके साथ पाठ्य-क्रम क्या हो यह बतलाना भूल जाते हैं। इसलिये इंटरमीडियेट बोर्ड ने यह सोचा कि शिक्षा के दो रूप कर देने चाहिये। एक तो इंटरमीडियेट आर्ट्स हो और एक टेक्निकल हो। इंटरमीडियेट टेक्निकल वह है कि जिसके पासशुदा लड़कों को अगर किसी विभाग में क्लर्कों की जगह है तो उनको ही लिया जाय और हाई स्कूल के बाद शिक्षा को इस तरह से चेन्ज कर दिया जाय कि टेक्निकल में एम० ए०, बी०ए० तक एक विद्यार्थी चला जाय और आर्ट्स में जाने वाले विद्यार्थी अलग हों। इसके लिये एजूकेशन डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है काफी बड़ी और मोटी। उसकी लाल जिल्द है और मेरे खयाल से वह काफी मात्रा में छाप कर बांटी भी गई है। लेकिन आज तक दो वर्ष हो गये उस रिपोर्ट के बारे में न तो इस सदन में कोई चर्चा हुई, न इसके सदस्यों ने इसको देखा और न अखबारों में कोई टीकाटिप्पणी की। उसका परिणाम यह हुआ कि इन्टरमीडियेट बोर्ड ने जब एक रूप शिक्षा के सम्बन्ध में लाकर सब के सामने रखा कि इस शिक्षा में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय तो पता नहीं चलता कि बोर्ड के उस सजेशन का क्या हुआ। उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया था और वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। उसमें लिखा गया था कि हमारे अधिकांश विद्यार्थियों के सामने समस्या यह रहती है कि वे फीस नहीं दे सकते। तो जब फीस का इन्तजाम ही उनके पास न हो तो फिर वह कहां से पैसा लायें? इसलिये जो उसमें पाठ्यक्रम बनाया गया वह ऐसा पाठ्यक्रम बनाया गया कि नवें दर्जे से ले कर प्रत्येक विद्यार्थी न केवल अपनी पढ़ाई का खर्चा दे देगा बल्कि वह ३, ४ रुपये बचाता भी चला जायगा। तो वह उसका क्रम बनाया गया था। वह ३६ विषयों का क्रम इंटरमीडियेट बोर्ड ने बनाया था जो टैक्नोलाजी इन्स्टीट्यूशन के विद्यार्थियों को सेल्फ सपोर्टिंग बनाने के लिये बड़ी अहम चीज थी। लेकिन आज तक इन्टरमिडियेट बोर्ड को उसके उस कार्य का क्रेडिट नहीं मिला।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि आखिर एक काम होता है तो उसमें कठिनाई भी होती है। मैं मानता हूं कि बोर्ड में खराबियां हैं और बहुत सी हैं। यही नहीं, बोर्ड की बहुत सी खराबियों की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा, सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा और काटजू साहब का ध्यान आकर्षित करूंगा जिन्होंने एक सवाल उठाया था। उस सिलसिले में मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि उस जिम्मेदारी को लादने के पहले गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे तो उचित होगा।

श्रीमन्, आखिर इन्टरमीडियेट बोर्ड क्या है? आज इन्टरमिडियेट बोर्ड ५० लाख की आमदनी करता है और गवर्नमेंट के ऊपर उसका बोझा नहीं है और गवर्नमेंट का खर्चा कोई उसके ऊपर नहीं होता है लेकिन ऐसे इन्टरमिडियेट बोर्ड को आज इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने किसी कर्मचारी को मुस्तकिल कर सके। उसके यहां अपने १०, १० और १५, १५ वर्ष के टेम्पोरेरी कर्मचारी चले आ रहे हैं लेकिन उसको इतनी पावर नहीं है कि वह उनको मुस्तकिल कर सके, अपने स्टाफ के बारे में ग्रेड बना सके, इतना भी अधिकार उस बोर्ड को नहीं है। उसको इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने कर्मचारियों के ग्रेड तय करके हरएक महकमे के कर्मचारी को अलग-अलग छांट सके। बोर्ड को कर्मचारियों पर भी कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड को डील करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स से लेकिन उनके दिमाग में बोर्ड के प्रति कोई जिम्मेदारी की भावना नहीं है।

इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बहुत बड़ा सवाल आता है रिकगनीशन का। हमारे एक सदस्य ने बोर्ड के पास पत्र लिखा कि यह जो आदमी है यह बहुत पक्षपात करता है अपने इंस्टीट्यूशन को रिकगनाइज करने में। लेकिन बोर्ड के जो नियम हैं उन नियमों की तरफ यदि उन महाशय ने एक बार भी दृष्टिपात किया होता तो उनको यह मालूम हो जाता कि रिकगनीशन के लिये खास नियम है। उसके अन्दर ही वह किसी भी इन्स्टीट्यूशन को रिकगनाइज करती है।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

गवर्नमेंट ने एक बड़ा ग़लत काम यह कर रखा है कि शिक्षा का जो वर्तमान रूप है उसका सब से बड़ा दोष यह है कि शिक्षा में इतना जातिवाद कर रखा है कि जिससे बहुत सी बातें पैदा होती हैं। एक तरफ़ गवर्नमेंट स्कूल हैं और दूसरी तरफ़ नानगवर्नमेंटल स्कूल हैं। ९८ लाख रुपया गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों पर खर्च करती है परन्तु उन स्कूलों में क्या खसूसियत है; किसी जमाने में अगर इनको अंग्रेज़ों ने अपने किसी मकसद के लिये चलाया हो तो उसका कुछ खास मकसद ही रहा होगा लेकिन पढ़ाई के लिहाज से, डिसिप्लिन के लिहाज से, पोज़ीशन के लिहाज से, सर्विसेज में सेलेक्शन के लिहाज से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई खास बात नहीं है और नानगवर्नमेंटल स्कूल इस मामले में आगे बढ़े हुए हैं। इससे क्या होता है? गवर्नमेंट स्कूल में आप १५० रु० का ग्रेड देते हैं और नानगवर्नमेंटल में १२० रु० का ग्रेड देते हैं। नतीजा यह है कि दो जातियां बन गयीं। हर एक शिक्षा वही, स्टाफ वही, पाठ्यक्रम वही, पुस्तकें वही लेकिन तनख्वाह अलग-अलग! परिणाम उसका यह है कि टेलेन्टेड आदमी गवर्नमेंट के स्कूल में आ जाते हैं और उन लोगों को टेलेन्टेड आदमी नहीं मिलते हैं और ख़राब क़िस्म के लोग उनको मिलते हैं।

इसी के साथ-साथ एक चीज और भी पैदा होती है। सिक्योरीटी आफ़ सर्विस की बात है और वह तब की जाय जबकि पहले यह देखा जाय कि इन संस्थाओं को आर्थिक सहायता कौन देता है और कितनी देता है। आज यदि प्राइवेट मैनेजमेंट या निजी उद्योग न होता चाहे वह राजनीतिक नीयत से या किसी भी प्रभाव से हो, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा में इतना विकास कदापि नहीं हो सकता था। प्राइवेट बाडीज की कठिनाइयां भी देखना होगा। माननीय शिवनारायण जी सहमत होंगे कि बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जो अध्यापकों से जितना वेतन लिखाती हैं उतना नहीं देती हैं। वे गारन्टी भी पूरी नहीं देती हैं। इनको रोकना चाहिये। इंटरमीडियेट बोर्ड ने मांग की है कि जो संस्थायें इन बातों की दोषी हों उनका रिकगनीशन छीनने का अधिकार हो लेकिन वह उसे नहीं मिला। इंटरमीडियेट बोर्ड के पास रिकगनीशन देने का तो अधिकार है लेकिन छीनने का प्रोसीजर इतना डिफ़ीकल्ट है कि किसी संस्था का रिकगनीशन छीनना असम्भव सा है। इन्टरमीडियेट बोर्ड की रिकगनीशन कमेटी का चेयरमैन इस बात की चेष्टा करता है कि किसी संस्था के मामलों को स्टडी करें, तो इंटरमीडियेट बोर्ड से फ़ाइल मांगी है तो मालूम हुआ है कि वह डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन के यहां चली गई हैं और वर्षों तक वह नहीं मिलती हैं।

मास्टरों की नियुक्ति के बारे में हम बंधन लगाते हैं कि इन्स्पेक्टर उसे करे। मैं कुछ ऐसी मिसालें पेश करूं जिनसे हमारा मस्तक झुक जायगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि इंस्पेक्टर्स का काडर और कंडीशन्स क्या हैं। वह रेकार्ड उठाकर देखें तो मालूम होगा कि इंस्पेक्टरों ने लिखा है कि स्कूल है तो अच्छा लेकिन फलां कम्युनिटी के टीचर्स अधिकांश में हैं। क्या मतलब है कम्युनिटी से? ऐसी भी संस्थायें मैं बता सकता हूं जिनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट मौजूद है लेकिन इन्स्पेक्टर ने उनका दरवाजा या गांव या मोहल्ला तक भी नहीं देखा। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने शिकायत की है कि तुमने हमारी कम्युनिटी का आदमी क्यों हटा दिया। एक मुसलमान डिप्टी डाइरेक्टर ने शिकायत की है कि तुमने शिया हटा कर सुन्नी क्यों रखा। जहां पर ऐसी बातें हों, तो उन इंस्पेक्टरों के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार करेंगे कि उसे कितने अधिकार दिये जावें। आज कोई अच्छा मैनेजर स्कूल खोलने के नज़दीक नहीं जायगा यदि उसे कोई और अच्छा काम करने को है। माननीय चतुर्वेदी जी ने जिक्र किया और सही कहा कि क्या तमाशा है कि एक एम० ए० फर्स्ट क्लास आदमी डिग्री कालेज का प्रिन्सिपल तो हो सकता है, किसी विभाग का हेड या डीन हो सकता है मगर इंटरमीडियेट कालेज का प्रिंसिपल नहीं हो सकता, हम उससे आशा करते हैं कि एल० टी० हो। यदि डिग्री कालेज के प्रिंसिपल को एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारी कम होती है तो क्या इंटर स्कूल प्रिंसिपल की ज्यादा होती है?

विभाग से संस्थाओं को पत्र गये हैं कि तुम्हारी ग्रांट से हम प्रिंसिपल का वेतन इसलिये काट लेंगे कि वह एल० टी० नहीं है। रिकगनीशन कमेटी ने कहा कि इस आदमी ने स्कूल बनाया है तो उसे एल० टी० की डिग्री मान ली जाय लेकिन विभाग ने एक तमाशा-सा कर रखा है और अपने मन से जो चाहता है करता है।

जब रिकगनीशन का केस आता है तो उसके लिये कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की रिपोर्ट होनी चाहिये। एक मैनेजर एक स्कूल को चलाता है, रुपया इकट्ठा करता है, जब स्कूल चलता है तो दरख्वास्त देता है कि मेरे स्कूल को रिकगनाइज किया जाय। अब उसके काग़ज़ात डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स के यहां रिपोर्ट के लिये जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ़ स्कूल्स उसको ६ महीने, एक साल, दो साल दबाये रखता है। बोर्ड से टेलीग्राम जाता है, रिकगनीशन कमेटी का चैयरमैन तक़ाज़ा करता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ़ स्कूल्स के ऊपर कोई बन्धन नहीं है कि वह उन काग़ज़ात को जल्द भेज दे। लड़के भर्ती होते हैं और चले जाते हैं और नवें, दसवें दर्जे को खुलने में दो-दो बरस बीत जाते हैं और जब डिप्टी इंस्पेक्टर से कहा जाता है तो जवाब मिलता है कि फुरसत नहीं है। कितने ही केसेज ऐसे हैं जब इंस्पेक्टर आफ़ स्कूल्स ने यह लिखा है कि आजकल मौसम अच्छा नहीं जब मौसम अच्छा होगा तो तब देखा जायगा। अब स्कूल चलाने वाला किस जगह से अच्छे मौसम का इंतज़ाम करे? जब आप रिकगनीशन देने में इतने बंधन रखेंगे तो कौन सा ऐसा मैनेजर है कि वह स्कूल को चलाने की हिम्मत कर सके?

दूसरे यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, वहां शिक्षा का प्रचार करना चाहिये, लेकिन उसको कौन करे? अध्यापक हम रक्खें, स्कूल हम चलायें और ग्रान्ट गवर्नमेंट दे। सब कुछ आप को करना है फिर कहा यह जाता है इंटरमीडियेट बोर्ड आज्ञा नहीं देता है। आज और भी गम्भीर परिस्थिति हो जायगी। आप कहते हैं कि अगर इंटरमीडियेट की क्लासेज चलाना चाहते हैं तो २० हज़ार का एन्डाउमेंट दो, कैसे भी दो चाहे ज़मीन के रूप में दो। मैं एक मिसाल पेश करता हूं। बनारस में एक स्कूल है लंदन मिशन स्कूल जिसमें वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा पायी है और वहीं पर वे अध्यापक भी रह चुके हैं। वह स्कूल सेंटेनरी मनाने जा रहा है लेकिन उसको रिकगनीशन के लिये कहा जा रहा है और डायरेक्टर आफ एजूकेशन के आदेश जाते हैं कि पहले २० हज़ार रुपया पूरा करो नहीं तो रिकगनीशन ड्राप कर दिया जायगा। १००–७५ साल पहले का एक इंस्टीट्यूशन है उससे आज कहा जाता है कि तुम्हारा रिकगनीशन खत्म कर देंगे, यह कैसे आश्चर्य की बात है!

पहाड़ी इलाकों के लिये बोर्ड ने यह तय किया था कि उनको कुछ विशेष रियायतें देनी चाहिये। वहां के लोग बड़े गरीब हैं, वहां शिक्षा नहीं है, शिक्षा के लिये कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर वहां किसी स्कूल का संगठन हो जाता है तो बोर्ड उसके साथ कुछ रियायत करने को तैयार हो जाता है लेकिन डायरेक्टर आफ एजूकेशन कहते हैं कि उनके सामने पहाड़ी इलाका हो या प्लेन्स हों, सब बराबर हैं। उनके साथ कोई सहानुभूति करने वाला नहीं है।

मानसिंह के इलाके में, जहां मानसिंह का गढ़ था, वहां कोई स्कूल नहीं था, कोई आदमी पढ़ने का नाम नहीं लेता था। वहां के लोगों ने एक स्कूल का संगठन किया, छप्पर डाल कर उसको चलाया। इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये, वहां लोग डकैती करते हैं, अगर वहां पर कोई स्कूल हो जायगा तो अच्छा होगा। लेकिन उस स्कूल के रिकगनीशन के काग़ज़ात डायरेक्टर आफ एजूकेशन के यहां पड़े रह गये। इस प्रकार से वहां से किसी को सिवाय बाधा के सपोर्ट नहीं मिलता है। दूसरी तरफ यह शिकायत होती है कि स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं किया गया, हमारे स्कूलों को मान्यता क्यों नहीं दी गयी। इंस्पेक्टर कहता है कि यह गलत है, डायरेक्टर कहता है कि गलत है तो उसका रिकगनीशन नापास हो जाता है। अब कायदा यह है कि दो बरस तक उस केस पर पुनः विचार नहीं किया जाता जब तक कि दरख्वास्त देकर एक्जेम्प्शन न करा ले। लोग एक्जेम्प्शन तो कराते नहीं हैं और कहते हैं कि हमारे स्कूल के बारे

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

में विचार नहीं किया गया, पक्षपात होता है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। ऐसे भी बहुत से स्कूल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका प्रबन्ध अच्छा है, रुपया भी है लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मेरे रहते उसको रिकगनीशन नहीं मिल सकता। श्रीमन्, मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, फाइलें पेश कर सकता हूं, उनका नाम भी आपकी सेवा में पेश कर सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने कहा कि मेरे रहते इस स्कूल का रिकगनीशन नहीं हो सकता। और अगर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने 'नहीं' कह दिया तो डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन भी वही कहेंगे। अगर रिकगनीशन कमेटी ने कोई बात ऐसी कही तो डाइरेक्टर आफ एजूकेशन इसी में अपनी शान समझते हैं कि उसका विरोध करें। लेकिन इस तरह से स्कूलों की प्रगति नहीं होती है, इस तरह से शिक्षा नहीं चल सकती है कि शिक्षा की प्रगति के कामों में शिक्षा संचालक बाधायें उपस्थित करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कृपा कर के इस तरफ ध्यान दें कि अगर वे पंचवर्षीय योजना को चलाना चाहते हैं तो आप अपने दृष्टिकोण को भी व्यापक करें।

श्रीमन्, आप देखें कि डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन का आफिस तो इलाहाबाद में है और उनका कैम्प आफिस लखनऊ में है। डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ही इंटरमीडियेट बोर्ड का चेयरमैन होता है लेकिन श्रीमन्, आप देखें कि दोनों आफिसेज को एक न करने से बड़ी दिक्कत होती है और इंटरमीडियेट बोर्ड का काम ठीक से नहीं चलता है। इंटरमीडियेट बोर्ड के कामों में व्यापकता के दृष्टिकोण को बढ़ाना पड़ेगा। हमने इस बात की चेष्टा की कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन इंटरमीडियेट बोर्ड का चेयरमैन न हो, कोई दूसरा हो लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने बड़ी ईमानदारी से निवेदन किया है और उनके सामने वस्तु-स्थिति रखी जाय तो वे अवश्य उस पर विचार करते हैं। यदि विचार नहीं करते तो इंटरमीडियेट बोर्ड का जो ऐक्ट है उसके लिये शिक्षक सरकार को बधाई नहीं देते।

आज अध्यापक वर्ग सरकार को बधाई देता है, धन्यवाद देता है जिसके बारे में कहा जाता है कि माननीय मंत्री महोदय ने उसका खयाल नहीं रखा। आज वे ही उनको धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उनके अधिकार अक्षुण्ण हैं, ज्यों के त्यों हैं, जैसा कि पिछले इंटरमीडियेट बोर्ड ऐक्ट में थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा की प्रगति के साथ ही साथ मैनेजमेंट का संहार न कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को इतना पावर न दे दीजिये कि इंटरमीडियेट बोर्ड जिस मकसद से काम कर रहा है उसमें भी वह रुकावट डाले वरना स्कूलों का चलाना असम्भव हो जायगा। लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। श्रीमन्, ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे कि अगर इंटरमीडियेट बोर्ड ने किसी स्कूल को रिकगनीशन दिया कि जुलाई सन् ५६ से स्कूल खोलो लेकिन उसका आज्ञापत्र आज नहीं बल्कि सन् ५७ के मई तक भी नहीं मिल सकेगा। ऐसे केसेज डाइरेक्टर आफ एजूकेशन के दफ्तर में रुके पड़े रहते हैं। फिर वह स्कूल खोलने वाला क्या करे, कहां से धन लावे, कैसे विद्यार्थियों को भर्ती करे और जब विद्यार्थियों को भर्ती नहीं करेगा तो फिर उन विद्यार्थियों को कितनी परेशानी होगी, यह भी सोचने की बात है। आखिर वह कहां से पैसा लाकर अपने अध्यापकों को तनख्वाह दे?

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं दो एक बातें और सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं। बोर्ड के बारे में आलोचना कर लेना तो बहुत आसान है लेकिन बोर्ड के सदस्य हैं कौन? असेम्बली के भेजे हुये आप के सदस्य हैं, अध्यापकों द्वारा चुने हुये सदस्य हैं और वे लोग हैं जिन लोगों ने वास्तव में शिक्षा जगत में काम किया है। उनमें खराबियां हो सकती थीं और हैं भी, उनकी खराबियां दूर करने की कोशिश की जाती थी और आज भी की जा रही है।

लेकिन बोर्ड के प्रत्येक काम को जरा लोग समझने की चेष्टा करें और यह देखें कि एक-एक कमेटी ने क्या किया। अभी एक मित्र ने जो कि बैठे हुए हैं, कहा कि पाठ्यक्रम बड़ा क्लिष्ट हो गया है, पाठ्य क्रम में बड़ी खराबियां हैं, पाठ्यक्रम बड़ा कठोर है, लेकिन पाठ्यक्रम की कठोरता दूर करने के लिये जो कुछ भी सलाह दें वह सलाह दी जा सकती है।

उसके साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह हल करने की है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल की रूपरेखा क्या हो। अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपना एक क्वेश्चनेयर यहां भेजा है जिसमें यह है कि आप तीन वर्ष का कोर्स चाहते हैं या ४ वर्ष का जब तक यह तय न हो जाय कि कोर्स तीन वर्ष का हो या चार वर्ष का, तब तक सरकार कैसे इंटरमीडियेट बोर्ड ऐक्ट को अपना सकती है? मान लीजिये कि सरकार ने फैसला किया कि इंटरमीडियेट कोर्स सिर्फ तीन साल का होगा तो अब तक तो दो-दो वर्ष का स्लेब होता था लेकिन तीन वर्ष का कोर्स हो जाने पर डेढ़-डेढ़ वर्ष का स्लेब कैसे हो सके गा? जब तक सरकार इसके ऊपर कुछ निश्चयात्मक फैसला न कर ले तब तक इंटरमीडियेट ऐक्ट के पास करने का कोई महत्व नहीं होता है।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात को भी ध्यान में रखे कि जिन अध्यापकवर्ग के लिये यह कानून बनाया जा रहा है उनकी सम्मति भी मांगे तो बहुत उचित होगा। क्योंकि आज का अध्यापकवर्ग यह जरूर कहेगा कि चाहे जो कुछ भी हो हमारी नियुक्ति का, चाहे जो कुछ भी हो हमारे डिसमिसल का, लेकिन यदि आप एकदम से डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के हाथ में ही हमारी रक्षा निहित कर देंगे तो यह ठीक नहीं होगा। श्रीमन्, मैं ऐसे केसेज जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने एक आदमी से कहा कि तुम केस को उठाओ, हम लड़ लेंगे। तो इन चीजों को दूर करने का क्या तरीका है? इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों की भी किसी न किसी संस्था से दिलचस्पी होगी; इसलिये जो उन संस्थाओं को चलाना चाहते हैं उनके हाथ को इस तरह से बांधने से शिक्षा की प्रगति नहीं होगी। एक बात तो यह हुई।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि इन्टरमीडियेट बोर्ड के सामने पाठ्यक्रम के बारे में दो एक चीजें भ्रामक हैं। एक बात यह है कि हमने अपने यहां धार्मिक शिक्षा को सिकुलर स्टेट में बन्द किया लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी न किसी रुप में अगर हम कोई धर्म की बात अपने विद्यार्थियों को सिखायें तो उसको बुरा समझा जाय। मैं इसकी एक मिसाल लखनऊ की ही आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर एक विद्यालय में गीता पढ़ाई जाती थी, तो उस स्कूल में गीता पढ़ाई जाने पर डायरेक्टर आफ एजूकेशन ने आक्षेप किया और यही नहीं मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उस विद्यालय को इस पर धमकी दी गई कि आप के यहां गीता पढ़ाई जाती है तो आपके विद्यालय की ग्रान्ट क्यों न बन्द कर दी जाय। मैं कहता हूं कि इसमें क्या हर्ज है अगर हम उनके आचरण के लिये, उनमें अच्छी वृत्ति लाने के लिये गीता पढ़ाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ाते हैं या बाइबिल पढ़ाते हैं तो उसमें क्या आपत्ति की बात है? आज जिस प्रकार की अनुशासहीनता आदि चीजें विद्यार्थियों में पाई जाती हैं उनको दूर करने के लिये ऐसी शिक्षा की अवश्य जरुरत है।

मैं अनायास ही आज के विद्यार्थियों की निन्दा नहीं करता, मैं नहीं कहता कि आज के हमारे विद्यार्थी किन्हीं बातों में किसी से पीछे हैं, वे बहुत अधिक प्रतिभाशाली और गुणवान हैं और हमारे सामने मिसाल है कि इस बाढ़ के सिलसिले में मेरठ में विद्यार्थियों ने जो काम किया वह सराहनीय है और मैं आपके द्वारा उन संस्थाओं को और वहां के सभी लोगों को बधाई दूंगा। इसी तरह से पूर्वी जिलों की बाढ़ के सिलसिले में और मेरे ही निर्वाचन क्षत्र के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने भी बाढ़ के क्षेत्र में जान लड़ाकर काम किया है और वे भी वास्तव में

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। इसलिये भी मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन में एक सोशल वायस है जिसके प्रति हम कभी उदासीन नहीं हो सकते और उनका जो इस प्रकार का एक लक्ष्य और उद्देश्य है उसके प्रति हम कभी उदासीन नहीं हो सकते।

अंत में मुझे एक बात और कहनी है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् को समाप्त करें या न करें, लेकिन वह इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के अनुसार वहां हायर सेकेण्डरी एजूकेशन के बारे में एक बहुत ही दोषपूर्ण ऐक्ट बना और इसका नतीजा यह है कि वहां की सभी हायर सेकेन्डरी संस्थायें प्रायः शिक्षा संचालक के ही हाथ में चली गईं, परंतु यदि हम भी इसी प्रकार की भूल करेंगे तो जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा, इससे हमारी शिक्षा-दीक्षा सभी बदल जायगी, इससे तो बोर्ड का रूप ही बदल जायगा। वह तो हमारा एक बहुत ही बड़ा शाक एबजारबर है, अगर उसमें कोई खराबियां हैं तो उनको दूर किया जाय और अगर जरूरत हो तो मेरे जैसे निकम्मे आदमियों को निकाल दिया जाय। मैं यह मानता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के शासन काल में शिक्षा में बहुत से सुधार हुये हैं और बहुत से दोष दूर हुये हैं और उन्होंने शिक्षा की प्रगति और उन्नति के लिये सराहनीय प्रयत्न किया है और उसका एक उदाहरण मैं दे दूं। आज से कुछ दिन पहले मैं भी आगरा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूं मैं जानता हूं कि वहां काफी सुधार हुआ है, शिक्षा की वृद्धि हुई है और गति बढ़ी है और मैं इसको स्वीकार करते हुये निवेदन करूंगा कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधिकारों में इस प्रकार की कमी न करें और उसके अधिकारों पर ऐसा आघात न करें कि शिक्षा का स्तर ही गिर जाय।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। अभी शिक्षा संचालक को यहां निकम्मा कहा गया है, मैं जानना चाहता हूं कि यह पार्लियामेंटरी है या अनपार्लियामेंटरी।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो बहुत देर हो गई, उसी वक्त उसके कनटेक्स्ट में कहा जा सकता था।

***श्री अतहर हुसैन ख्वाजा** (जिला सहारनपुर)---जनाबवाला, आज जो बिल हाउस के सामने आया है इसका बहुत अर्से से इंतजार था। यह समझा जा रहा था कि कोई बिल इस नौअइयत का आयेगा कि जिससे जितनी खराबियां हैं वे दूर हो जायंगी। इसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं कि खराबियां बहुत ज्यादा हैं और जहां तक कि इंटरमीडियेट बोर्ड आफ एजूकेशन का ताल्लुक है उसकी शिकायतें हैं। उस पर सही तौर पर कंट्रोल नहीं किया गया लेकिन ऐक्ट में मैं देखता हूं कि काफी गुंजाइश इस बात की थी कि उस पर पूरा कंट्रोल रक्खा जाता। इस बिल में जहां तक आब्जेक्ट्स का ताल्लुक है, खुद गवर्नमेंट ने तसलीम किया है इन अल्फाज में---

"The unsatisfactory working of the Board itself was found to have contributed to the deterioration of education at this stage."

लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस बिल में एक लफ्ज भी इस बात की ताईद करता है कि उन खराबियों को जो बोर्ड की हैं उनको दूर किया जाय। इस बिल में एक सेक्शन ऐसा नहीं है जो इस बिल को इम्प्रूव करने के लिये नजर आता हो। (एक सदस्य---बोर्ड हटाया जा सकता है) मुझे बतलाया गया कि मेम्बर हटाया जा सकता है, बोर्ड तोड़ा जा सकता है। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट तोड़ सकती है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से अगर गवर्नमेंट पावर इस्तेमाल करे तो गवर्नमेंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो कोई भी बोर्ड तोड़ सकती है। बहरहाल, मैं यह अर्ज कर रहा था--इसमें तो यह साफ मौजूद है--इस इंटरमीडियेट बोर्ड आफ एजूकेशन को इम्प्रूव करने की कोई कोशिश नहीं की गई।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर आपको बोर्ड को कायम रखना है तो उस बोर्ड को पूरे अख्तियारात भी देने चाहिये। आप गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट का फंक्शन सुपरवायजरी होता है। डे-टु-डे ऐडमिनिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट ले ले तो उससे कोप नहीं कर सकते। बोर्ड जब आप रख रहे हैं तो जो अख्तियारात गवर्नमेंट आज लेने जा रही है वह अख्तियारात बोर्ड को लेने चाहिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जो दफा १६-डी, सब क्लाज ३, है उसको मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं :--

"16-D. (1) The Director of Education may cause a recognized institution to be inspected from time to time.

(2) The Director of Education may direct a management to remove any defects or deficiency found on inspection or otherwise.

(3) If the management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may after considering the explanation or representation, if any, given or made by the management—

(*a*) refer the case to the Board for withdrawal of recognition; or

(*b*) recommend to the State Government to proceed against the institution under sub-section (4)."

नं० ४ में बतलाया है कि क्या करेंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता था कि यह आल्टरनेटिव जो रक्खा गया कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन को यह अख्तियार है कि अगर वह चाहे तो मामला बोर्ड को रेफर करे और अगर वह चाहे तो गवर्नमेंट को रेफर कर दे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने डायरेक्टर आफ एजूकेशन होंगे कि जो बजाय स्टेट गवर्नमेंट को रेफर करने के बोर्ड को रेफर करेंगे। डायरेक्टर आफ एजूकेशन के ताल्लुकात सीधे गवर्नमेंट से होते हैं और गवर्नमेंट में काफी इंफ्लुएंस होता है। जब आल्टरनेटिव रेमेडी रख दी है तो हर इंसान और हर आदमी की फितरत होती है कि वह लाइन आफ इजी रेसिस्टेंस अख्तियार करता है। वह मामला बोर्ड को रेफर कर दे या लास्ट स्टेप रिकगनीशन तोड़ने का जो है वह स्टेप रिकमेंड करे--हर छोटी और बड़ी बात में यह स्टेप नहीं लिया जा सकता है। तो कुदरती तौर पर जो अल्टरनेटिव नम्बर वन है उसकी कोई वैल्यू न हुई। असल में वही आकर के रहा कि मामला गवर्नमेंट को रेफर होगा और गवर्नमेंट ही वह एजेंसी है जो अल्टीमेटली उन इंस्टीट्यूशंस को डील कर सकेगी। मैं अर्ज करूंगा कि फिर इस इंटरमीडियेट बोर्ड आफ एजूकेशन को रखने से फायदा क्या है। इंटरमीडियेट बोर्ड आफ एजूकेशन गवर्नमेंट की एक स्पेशलाइज्ड एजेन्सी है और उसको अख्तियार दिया जाना चाहिये कि वह पूरे मामलात को जांचे और उसकी पड़ताल करने के बाद अगर वह समझे कि मर्ज ऐसा सख्त है कि आपरेशन जरूरी हो जाता है--आपरेशन के मानी यह होंगे कि उस इंस्टीट्यूशन को बन्द ही करना पड़े, रिकगनीशन विड्रा ही कर लेना चाहिये तो वह स्टेप ले और वह यह समझे कि यह बिलकुल जरूरी नहीं है तो जो क्लाज १६ (बी) (४) में है उसके ऊपर अमल करे बजाय इसके कि गवर्नमेंट उस पर अमल करे। मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट ने जो पावर्स लेना पसन्द किया है यह डेमोक्रेसी के उसूल के बिलकुल खिलाफ है।

हर बिल जो इस जमाने में आता है उसको एक तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यु से जांचना चाहिये कि उससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेन्ट हो सकेगा या नहीं। दूसरे आज १९५६ में जो हर बिल को जांचने के लिए कहा जा सकता है वह यह है कि आया डेमोक्रेटिक तौर पर यह चीज अपनी जगह पर बैठती है या नहीं। मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल का जनरल ट्रेंड यह है कि डेमोक्रेसी को छीना जा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से भी बेहतर तौर पर रन कर रहे हैं।

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

आप यह चाहते हैं कि उसको इम्प्रूव करें। आप यह डायरेक्शन्स देंगे कि इसमें यह खराबियां हैं उनको दूर किया जाय। लेकिन उनकी पावर्स को आप करटेल कर रहे हैं। आप उसको इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वह अपने टीचर्स को खुद रखे। आप इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं कि वह अपने प्रिंसिपल और हेडमास्टर को खुद मुकर्रर करे यानी मैनेजमेंट किस तरह से हो। जो काम हेडमास्टर या प्रिंसिपल किया करता है, अगर यह चीज भी छीनी जा रही है तो उसके मानी यह हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में भी आप डिक्टेट कर रहे हैं। मुझे आप इजाजत नहीं दे रहे हैं कि मैं उस इंस्टीट्यशन को उस तरीके पर रन करूं जिस तरीके पर मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूशन के मफाद में उसको रन करना चाहिए। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक इस बिल की दफात का ताल्लुक है, जैसा कि आप मुलाहजा फरमायेंगे १६ (ई) (३) में सेलेक्शन आफ प्रिंसिपल वगैरह का है। उसके बाद आपने इंस्पेक्टर को वह अख्तियारात दे दिये हैं। मैं समझता हूं कि लायक से लायक और उम्दा से उम्दा भी मैनेजर स्कूल को नहीं चला सकता है अगर इंस्पेक्टर की खुशामद न करे, उसकी नाजबरदारी न करे। हर जगह आपने उस को एक ऐसी चीज बनाकर बिठा दिया है कि कदम कदम पर उसकी देहली पर सर झुकाना ही पड़ेगा।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं अर्ज करूंगा कि नये ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से आते हैं और इंस्पेक्टर मुकर्रर कर दिये जाते हैं। मुझे खुद ऐसे केसेज का इल्म है। अगर आनरेबिल मिनिस्टर फरमायेंगे, अगर वह समझते हैं कि मैं गलतबयानी कर रहा हूं तो मैं मिसालें पेश कर सकता हूं कि ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो कि बिलकुल फ्रेश आते हैं, कालेज या यूनिवर्सिटी से और इंस्पेक्टर बना दिये जाते हैं। उनको एक दिन का भी तजुरबा नहीं होता। उन लोगों से उम्मीद की जाती है कि २०-२०, ३०-३० वर्ष से जो इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं वह प्रिंसिपल और हेडमास्टर और टीचर्स का तकर्रुर तभी करें जब वह इंस्पेक्टर साहब उससे रजामन्द हों। मैं अर्ज करूंगा कि यह डेमोक्रेसी को जबरदस्त धक्का लगाना है। आज गवर्नमेंट आफ इंडिया की एजूकेशन पालिसी यह है कि एजूकेशन को डीसेन्ट्रलाइज करना चाहिये। यह पालिसी है। तो आज जिस तरीके से इस बिल को यहां लाया जा रहा है क्या इससे डीसेन्ट्रेलाइज्रेशन होता है? यह तमाम पावर्स सिमट-सिमटा कर एक शख्स में आ जाती हैं और वह शख्स अब तक तो इंस्पेक्टर था लेकिन अब एक सुपर ह्यूमेन एजेन्सी क्रीयेट की जा रही है जिसका नाम रखा जा रहा है आथौराइज्ड कन्ट्रोलर। तो अनअथौराइज्ड कन्ट्रोलर भी कोई होगा, वह मैं जानना चाहता हूं। बहरहाल, वह अथौराइज्ड कन्ट्रोलर तो है लेकिन वह अथौराइज्ड कन्ट्रोलर हम समझते हैं अनअथौराइज्ड कन्ट्रोलर जो महज धींगामस्ती से काम लेता हो वह बेहतर हुआ बजाय इसके कि धींगामस्ती के लिये किसी को अथौराइज्ड कर दिया जाय। तो मैं अर्ज करूंगा कि यह अथौराइज्ड कन्ट्रोलर जो एक एजेन्सी क्रीयेट की जा रही है वह उससे ज्यादा खतरनाक होगी कि जो एजेन्सी आज जो पावर्स वेस्ट करती है इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स में। जहां तक बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि आप यह तो चाह रहे हैं कि एजूकेशन इम्प्रूव हो, कालेजेज, स्कूल्स इम्प्रूव करें, लेकिन ये जो मैनेजिंग बाडीज हैं, जो जराये हैं उस इम्प्रूवमेंट के उनके जितने अख्तियारात हैं उनको छीन रहे हैं। तो क्या यह मुनासिब है? क्या जम्हूरियत की सड़क पर एक कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं और हरगिज नहीं।

इसके बाद मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें कुछ लीगल डिफेक्ट्स हैं, लीगल फ्लाज हैं। मसलन्, आपने जो एक लफ्ज "स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन" लिख दिया, वह स्कीम क्या हो सकती है, कहीं उसका जिक्र नहीं है। आपने इस बिल में यह पावर्स भी किसी को नहीं दी हैं कि उस स्कीम के मुताल्लिक तय कर सके। अगर रूल्स बनाये जाते हैं तो रूल्स की बुनियाद ऐक्ट पर होती है। अगर ऐक्ट साइलेंट है तो मैं अर्ज करूंगा कि वे रूल्स अल्ट्रावायर्स होंगे। इसमें डेफीनिटली आ जाना चाहिये था कि "स्कीम

आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन" क्या शै होती है, उसकी बुनियाद क्या होगी, क्या-क्या चीजें उसमें लायी जानी जरूरी हैं। अगर आप इसके बगैर रूल्स बनायेंगे तो मैं फिर अर्ज करूंगा कि वे रूल्स जो होंगे वे अल्ट्रावायर्स होंगे, उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। आपने यह जरूर किया है, कन्डक्ट आफ रेगूलेशन्स में आपने कहा है। मगर उन रेगूलेशन्स में यह चीज नहीं आती है। 16-G में जो रेगुलेशन्स हैं वे कवर करते हैं :—

"16-G. (1) Every teacher including Principal or Headmaster in a recognized institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by Regulations and any agreement.....

तो रेग्यूलेशंस बनाने के अख्तियारात आपने उस हद तक ले लिये हैं जिनका तजकिरा I6-G में है।

एक सदस्य—खंड ७ में आ जाता है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—उसमें भी नहीं आता। खं० ७ आप पढ़ें।

"7-(1) Notwithstanding anything in the principal Act or this Act, it shall be lawful for the State Government to make, within one year from the commencement of this Act, Regulations under the said Act in respect of every matter on which the Board may make Regulations and every Regulation so made by the State Government....."

तो बोर्ड को आपने इस किस्म के रेगूलेशन बनाने की इजाजत दे नहीं रखी है। जो आपका ऐक्ट है १९२१ का वह बहुत ही छोटा है और उसमें जो रेलीवेंट क्लासेज हैं वह सिर्फ सेक्शन सेवेन और नाइन हैं। जहां तक कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है सेक्शन सेवेन है। आपने 'पावर्स आफ दि बोर्ड' में कुछ चीजें दी हैं टु रेकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, टु ऐडमिट कैंडीडेट्स एटसेटरा एटसेटरा। लेकिन यह उसमें कहीं नहीं है कि आप कोई स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रशन बना सकेंगे और उसके लिए, कोई चीज, कोई पावर खुद ले सकेंगे या किसी और को कुछ पावर दे सकेंगे लेकिन सेक्शन नाइन में जैसा मैं अर्ज कर रहा था सुपरिन्टेन्डेन्स की पावर है गवर्नमेंट को और अनलिमिटेड पावर है। वहां कहा गया है कि—

"(1) The State Government shall have the right to address the Board with reference to any of the work conducted or done by the Board and to communicate to the Board its views on any matter with which the Board is concerned.

(2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it is proposed to take or has been taken upon its communication.

(3) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act as it may think fit and the Board shall comply with such directions."

मैं यह अर्ज करूंगा कि आज इस बिल के आब्जेक्ट्स में यह कह देना कि बोर्ड ने सही तौर पर काम नहीं किया इससे आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपकी एक जिम्मेदारी थी ऐक्ट में आपको एक जिम्मेदारी दी गई, आपको पूरे कंट्रोल के अख्तियार दिये गये। आपने क्यों कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं कि बोर्ड की कंडीशन को

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

क्यों इतना डेटरियोरेट होने दिया गया कि आज आपको खुद उसको तस्लीम करने की जरूरत पड़ी कि बोर्ड का काम अच्छा नहीं है। तो आप केवल यह कह देने से अपनी उस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। अगर बोर्ड का काम खराब हुआ है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--गवर्नमेंट कहिये। "आप" तो स्पीकर के लिए मालूम पड़ता है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---हाउस का और कोई मम्बर शायद यह न समझा होगा जो आप समझते हैं।

मैं यह अर्ज करने जा रहा था कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसका क्राइटीरियन क्या है, हमें इसकी जांच करनी है कि यह बिल सही है या गलत है। मैं अर्ज करूंगा कि पहली चीज तो यह थी कि कंडीशंस को हम किस हद तक इम्प्रूव करने जा रहे हैं इस बिल के जरिये से। जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है, वह तो निल है। एक लफ्ज भी इस बिल से कोई इम्प्रूवमेन्ट, जहां तक कि बोर्ड आफ इंटरमीडियेट एजूकेशन का सवाल है, उसमें नहीं किया जा सकता; हो ही नहीं सकता; बिल का स्कोप ही नहीं है।

दूसरी बात यह थी कि जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है और प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट को दुरुस्त करने का ताल्लुक है उसमें किस हद तक आप कामयाब होंगे इस बिल के जरिये से। एक सबसे बड़ी जांच की कसौटी जो इसकी है वह यह है कि आया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के तरीके पर एक डेमोक्रेसी में जो कसौटी होनी चाहिये एक बिल को जांचने की उस पर यह पूरा-पूरा खरा उतरता है या नहीं। मैं अर्ज करूंगा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आप बीक कर रहे हैं, इसलिये कि आप चाहेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस से कि वह फंक्शन करें अच्छे तरीके पर। आप उनको कहेंगे कि फलां-फलां डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करो। लेकिन आप उनके तमाम अख्तियारात छीन रहे हैं। न आप उनको प्रिंसिपल या टीचर रखने की इजाजत दे रहे हैं, न आप उनको उस पालिसी को चलाने की इजाजत देते हैं जो वह चाहते हैं तो ऐडमिनिस्ट्रेशन इससे अच्छा होगा या बुरा होगा ?

दूसरी बात यह है। मैं तो किसी मुल्क को उस वक्त तक पूरे तौर पर डेमोक्रेटिक कहने के लिये तैयार नहीं हूं जिस वक्त तक वहां एजूकेशन फ्री न हो और मेडिकल एड फ्री न हो।

एक सदस्य---अमेरिका में अगर नहीं है तो अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---डेमोक्रेसी को जांचने के लिये जहां और चीजें हैं वहां यह भी एक है। बहरहाल, लिमिटेशंस हैं। फाइनेंशल डिफिकल्टीज हैं। आप एक रास्ते पर लग रहे हैं। उसमें कुछ वक्त लगेगा।

एक सदस्य---दर्जा तीन तक है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---तो चुनांचे डेमोक्रेसी में हमारा तीन ही नम्बर भी है। मैं यह अर्ज करूंगा .....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण तो जारी रखें, दूसरों के टोकने का जवाब मत दीजिये।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---मैं यह अर्ज करने जा रहा था कि इस डेमोक्रेसी के मियार पर आपका बिल पूरा नहीं उतरता है और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इसमें ज्यादा पैदा होंगी, इसलिये कि अगर आप इससे बेहतर मैनेजमेंट चाहेंगे तो रुपया भी ज्यादा खर्च होगा। मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि आपने ऐसे सजेशंस किये कि जिसमें ५ हजार, १० हजार रुपये का

खर्चा ज्यादा होता है तो यह प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस कहां से रुपया लायेंगे ? अगर नहीं लायेंगे तो उनका क्या हश्र होने को जा रहा है ? आप क्या उनको बन्द कर देंगे ? क्या आपकी जिम्मेदारी यह नहीं है कि आप मैनेजमेंट के बेटरमेंट के लिए रुपया खुद उसके लिए दें ? इससे कोई मतलब नहीं, "बेग, बोरो आर स्टील" आप अगर चाहते हैं तो इसका आपको इन्तजाम करना चाहिये। आपने जो यह सुपर-ह्यूमेन एजेंसी रखी है और आपने उसका अधिकार दिये. ....

श्री मदनमोहन उपाध्याय--प्वाइंट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा "आप-आप" का इस्तेमाल हो रहा है। हम समझते हैं कि वह सरकार को कहते हैं, मगर बाहर जब पढ़ा जायगा तो कौन समझेगा कि माननीय अध्यक्ष की तरफ इशारा नहीं है ? तो गवर्नमेंट से साफ-साफ कहें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जनाबवाला, मैंने जो . . . . .

श्री अध्यक्ष--मैं फैसला दे दूं। बात यह है कि "आप" का इस्तेमाल वैसे होना नहीं चाहिये, क्योंकि यह अध्यक्ष पर लागू होता है, लेकिन जहां आदत ऐसी है हम लोगों की कि हिन्दी में बोलने में हम बहुत से लोग "आप" कहते हैं। एक आध दफा "आप" कहा जाय तो ठीक है, लेकिन लगातार "आप" कहें तो शंका हो सकती है कि वह मुझ पर लागू होगा।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--तो मैं "आप" की जगह "गवर्नमेंट" कहा करूंगा।

मैं यह अर्ज करने जा रहा था कि इसमें जो फाइनेंश्यल डिफिकल्टीज पैदा होंगी उनके मुताल्लिक गवर्नमेंट क्या सोचती है और क्या करने का इरादा रखती है। यह सही है, मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है कि गवर्नमेंट का जो असली फर्ज है वह यह है कि वह एजूकेशन मुहइया करे। लेकिन ये सेमी-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो कहे जा सकते हैं एडेड होने की वजह से, वह अगर आज मुल्क में हैं तो वह इसी वजह से हैं कि गवर्नमेंट पूरा इंतजाम तालीम का नहीं कर सकी और न कर सकती है। वह अपने को नाकाबिल समझती है कि वह तमाम लोगों की जरूरियात के मुताबिक तालीम का इंतजाम कर सके इसलिये आज जो ये सेमी-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो चाहे कह लीजिये, आज मुल्क में मौजूद हैं, तो अगर गवर्नमेंट इन तमाम इन्स्टीट्यूशंस को ले ले तो बहुत अच्छा है। मैं भी खुश हूंगा और सभी खुश होंगे, लेकिन गवर्नमेंट यह चाहे कि हम इन इंस्टीट्यूशंस को ले लें पूरे अखराजात के कफील भी न हों और उसके बाद हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को मजबूर करें कि वह उसका स्टैन्डर्ड बढ़ा दे, यह चीज चलने वाली नहीं है। यह नहीं चल सकती और जब आप सुपर-ह्यूमेन एजेंसी को मुकर्रर कर देंगे तो अगर वह कहती है कि १० हजार रुपये के बगैर इस स्कूल का इन्तजाम ही ठीक नहीं हो सकता तो उस हालत में आपका क्या करने का इरादा है ? क्या आप १० हजार रुपये उस एजेन्सी को दे देंगे ? मेरा मतलब है गवर्नमेंट का क्या यह इरादा है ? गवर्नमेंट ने इस पर गौर किया है कि अगर इम्प्रूवमेन्ट के लिए वह कोई बातें जरूरी समझती है तो वह उसके फाइनेंसेज को मीट करने की कोशिश करेगी ? क्या यह तो नहीं होने जा रहा है कि गवर्नमेंट सुपर-ह्यूमेन एजेंसी को तो कंट्रोल दे दे और ऐडमिनिस्ट्रेशन उसके सुपुर्द कर दे और रुपया फराहम करने के लिये मुझको कहें ? क्या यह होने जा रहा है कि फाइनेंसेज की जरूरत तो आपकी सुपर-ह्यूमेन एजेंसी बताये और फाइनेंसेज के लिए मुझ पर जूता कसा जाय, क्या यह इरादा है ? अगर यह इरादा है तो क्या वह पूरा होने वाला है, क्या इस तरह से आपकी स्कीम्स चल सकती हैं ?

मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरीके से इस बिल पर सोचा गया है, इस बिल पर गौर किया गया है, वह तरीका जहां तक मैं समझता हूं डिफेक्टिव सा मालूम होता है। मैं यह तो अर्ज करने की जुर्रत नहीं करूंगा कि यह डिफेक्टिव है, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

इस बिल के तमाम आसपेक्ट्स पर ग़ौर नहीं किया गया है। इसके फायनेंशियल आसपेक्ट को छोड़ दिया गया है। मैं इसका जवाब गवर्नमेंट से डैफीनिटली चाहूंगा कि आप इम्प्रूव करने जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन को और वह इसके लिये इनकैपेबिल है, आप उसके लिये ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं कि वह खामियां दूर करे। इसके लिये इंस्टीट्यूशन को फंड्स की जरूरत है, तो इसके मुताल्लिक आप का क्या इरादा है? इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल बदकिस्मती से, जहां तक मेरी छोटी अक्ल है, जरूरियात को पूरा नहीं करता है। यह न तो इंटरमीडियेट बोर्ड का ही इम्प्रूवमेंट करता है और न ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स का ही इम्प्रूवमेंट करता है और न फायनेंशियल आसपेक्ट को ही पूरा करता है। मैं समझता हूं कि जो १६२६ का बिल है, उसके सेक्शन ७ में तब्दीली करनी चाहिये, उसका स्कोप बढ़ा दिया जाय और जो अखतियारात गवर्नमेंट लेने जा रही है, वह बोर्ड के सुपुर्द कर दिये जायं और बोर्ड का कांस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिये जो सही तरीके से इंस्टीट्यूशन रन कर सकें और रिकमेंडेशन्स और फेवरटिज्म के ऊपर नामजदगी नहीं होनी चाहिये, बल्कि काबलियत के ऊपर होनी चाहिये। जब तक काबलियत का मियार नहीं आयेगा और तकर्रियां सिफारिशों और फेवरटिज्म पर होंगी तब तक यह इंस्टीट्यूशन्स अच्छी तरह से रन नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत से माननीय सदस्यों का भाषण सुनकर यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूं...

श्री अध्यक्ष--बिल अच्छा है या बुरा, कुछ कहा नहीं जा सकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात कहूं तो शायद रिएक्शनरी कहलाया जाऊं। अगर कुछ बातें असलियत की कहूं तो लोग कहेंगे कि क्या कहा, न बिल का समर्थन किया और न विरोध किया। लेकिन फिर भी, अध्यक्ष महोदय, सदन में बैठकर आज बहुत सी बातों को जानने का मौक़ा हुआ और इस इंटरमीडियेट और हाई स्कूल बोर्ड के सिलसिले में जो इसमें खामियां हैं, उसके सुनने का मौका परिपूर्णानन्द जी से मिला। बहुत सी बातों की मैं ताईद करता हूं और मैं समझता हूं कि शिक्षा का प्रसार अगर इस प्रदेश में होना है तो उसमें जिस तरह से रोड़े अटकाये जाते हैं वह न अटकाये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा दुःख हुआ जब परिपूर्णानन्द जी को राजनारायण जी की भाषा का इस्तेमाल करते हुये सुना। एक आध शब्द ऐसे थे जो मैं समझता हूं कि अगर परिपूर्णानन्द जी अपने भाषण को पढ़ेंगे तो उनके दिल में इच्छा होगी कि इस तरह से हमारी प्रोसीडिंग्स में भाषण लिखा रहेगा तो अच्छा मालूम नहीं होगा और मैं समझता हूं कि अगर वह उन शब्दों को निकालने के लिये माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करेंगे और वह शब्द निकाल दिये जायंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को इसी गवर्नमेंट से, इसी ऐडमिनिस्ट्रेशन से ही काम लेना है। जिन साहबान को यहां जवाब देने का मौक़ा नहीं मिलता है उसे परिपूर्णानन्द जी ने माना है और तारीफ़ भी की है। लेकिन उसके लिये इस क़िस्म के शब्द अगर न इस्तेमाल किये जायं, खासतौर से परिपूर्णानन्द जी द्वारा, तो अच्छा हो। हम लोग कभी ऐसा कह दिया करते हैं तो वह माफ हो सकता है लेकिन उनका कहना मैं समझता हूं माफ़ नहीं किया जा सकता।

मैं तो जो बहुत सी बातें उन्होंने कहीं उनका समर्थन करता हूं। बहुत सी बातें जो हमारे काटजू साहब ने, शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने, सबने कहीं, तो मैं भी समझता हूं कि हमारी इस डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ आक्षेप सा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ जब हम अपने प्रदेश के उन टीचर्स को देखते हैं जो प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन्स में काम कर रहे हैं तो मैनेजर किसी टीचर को किसी कारण से बाहर निकाल सकता है और सरकार उसमें किसी तरह का

हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हमको यह देखना होगा कि आया जो टीचर्स इन प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन्स में काम करते हैं उनको एक स्टैंडर्ड पर लाने, उनकी प्रेस्टीज और उनकी सर्विस स्टेबिलिटी की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

यह कैसे हो, इस पर हमें विचार करना होगा। जैसा कि माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा, तीन किस्म के स्कूल हैं। एक तो बड़े अच्छे चलते हैं। दूसरे वे जो किसी क्षेत्र में आवश्यकता है, वहां पर लोगों ने किसी न किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके, जैसा कि हमारे पर्वतीय प्रदेश के अन्दर है--माननीय परिपूर्णानन्द जी उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा उनके पास उनके रेकगनीशन के सिलसिले में गये हैं--हमने किया है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने इधर के बारे में कुछ कहा जो मैं समझ नहीं पाया कि किसी पार्टी के नेता ने पक्षपात की बात कही, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका मतलब हम लोगों से नहीं होगा। तीसरे वे इंस्टीट्यूशन्स हैं जिन्होंने शिक्षा संस्थाओं को बिजनेस बना लिया है। जैसा अभी माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा, उनमें दखल देने की आवश्यकता तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं किया जा सकता है कि उन्हीं में आज दखल दिया जा सके। इसलिये कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा और मैं समझता हूं कि सरकार ने आज इस बिल को लाकर एक बड़ी अकलमन्दी का काम किया है। इसमें खामियां अवश्य हैं, लेकिन जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने कहा, हम उनको सेलेक्ट कमेटी में दूर कर सकते हैं।

साथ ही साथ जहां हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा का सवाल है वहां सरकार ही सारे स्कूल्स को नहीं चला सकती। एडेड स्कूल्स आपको रखने होंगे। योरोपियन कंट्रीज में हायर सेकेन्डरी एजूकेशन प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में हैं और किस तरह से वे इन इंस्टीट्यूशन्स को चलाती हैं इसे भी हमें देखना पड़ेगा और उससे सबक लेना पड़ेगा। हमारे माननीय काटजू जी ने भी बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि शंका यह होती है कि गवर्नमेंट इंटरफियरेन्स होगा। सुनाया तो उन्होंने बेटी को लेकिन कहा बहू से। तो यह शंका तो अवश्य होती है कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो जाय। और यह बात हो जाती है, अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि अगर हमारे इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के ऊपर सारी चीजें छोड़ दी जायंगी, मैं उन सब चीजों को प्रकट नहीं करना चाहता लेकिन मैं समझता हूं इस बात को कि मैं और मेरे बहुत से साथी यहां इस सदन में इस बात के शिकार होंगे कि हमारे इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हमारी चिट्ठियों का चार-चार साल तक जवाब नहीं देते। जब रिकग्नीशन के मामले में प्रार्थना की जाती है हम लोग जाते हैं तब भी, अध्यक्ष महोदय, कभी वे परवाह नहीं करते। उनके हाथ में अगर इस बात का अधिकार दे दिया जायगा कि वे ही सारे टीचरों के एप्वाइंटमेंट करें और जिसे चाहें ऐप्रूव करें और जिसे चाहें ऐप्रूव न करें तो मैं समझता हूं कि यह अधिकार ज्यादा होंगे। इसीलिये हम कहते हैं कि इसके सेलेक्ट कमेटी में जाने की आवश्यकता है। वहां पर हम इस मामले में तरमीम कर सकेंगे। पर साथ ही साथ इसमें दो राय नहीं होंगी और हम सभी लोग इस बात को चाहेंगे कि हमारे टीचरों की स्टैबिलिटी बने। हमारे टीचर्स जो रखे जायं वे भी कम से कम इस बात को महसूस कर सकें कि हम कुछ दिनों तक इस स्कूल में रह सकेंगे। अगर गलत काम करें तो उसे निकालने का अधिकार मैनेजिंग कमेटी को होना चाहिये। अगर वह न करे तो फिर आखिर मैनेजिंग कमेटी क्या करेगी, मैनेजर क्या करेगा? मैं समझता हूं कि इस सदन के कम से कम ६० फीसदी तो ऐसे माननीय सदस्य होंगे जिनके पास कोई न कोई स्कूल हैं और वे अपने तजुर्बे से इस बात को बता सकते हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस सारी शिक्षा के इन्तजाम को उनको दे दिया गया तो सरकार ही क्यों न ले ले।

अथराइज्ड कंट्रोलर की बात के सम्बन्ध में जैसा कि माननीय ख्वाजा साहब ने कहा और बहुत से माननीय सदस्य जिन्होंने ऐसे स्कूल चलाये हैं वह यह समझते हैं कि उन्होंने स्कूल इसलिये चलाये हैं कि उस इलाके के लोगों को शिक्षा मिले। मैं तो आज के दिन से

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अपने स्कूल को अथराइज्ड कंट्रोलर को देने को तैयार हूं कि वे चला लें। बहुत से लोगों ने भीख मांगकर, चन्दा इकट्ठा कर के टीचर लोगों को तनख्वाह दी ताकि लड़के पढ़ सकें, लेकिन अगर अथराइज्ड कंट्रोलर का काम यह है कि जिनको पैसा नहीं मिल रहा है चन्दा नहीं मिल रहा है उनको वह कंट्रोलर फीस देकर मास्टरों की तनख्वाह दे कर के काम चला सकता है तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है आखिर इन स्कूलों के लिये कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जहां पार्टीबन्दी है, जहां पालिटिक्स है, जहां बिजिनेस किया जा रहा है वहां पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, एड बन्द कर सकती है लेकिन रिकग्नीशन अगर बन्द कर दी गई तो उसके रिकग्नीशन छीन लेने से क्या होगा ? उस इलाके के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पायेंगे, स्कूल टूट जायगा। हम इस बात को कभी बरदाश्त नहीं करेंगे कि किसी की बदइंतजामी की वजह से वहां के लड़कों की पढ़ाई रुक जाय। इसलिये जहां तक सिद्धांत की बात है इससे हम सहमत हैं और चाहते हैं कि शिक्षा हो, अच्छी हो और बदइन्तजामी रोकी जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में एक हवा चल रही है कि सारे सरकारी स्कूल्स बन्द कर दिये जायं। सारे प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस हों और सरकार उनको मदद करे। सरकारी स्कूलों पर जो रुपया खर्च हो रहा है वह कम हो। माननीय परिपूर्णानन्द जो अभी बता रहे थे कि करीब ९८ लाख रुपया सरकारी स्कूलों पर खर्च होता होगा। हर जिले में करीब एक या दो स्कूल हैं किसी एकाध में न हो तो न हो लेकिन यह तो शायद माननीय परिपूर्णानन्द जी ही ज्यादा बता सकते हों कि हमारे जो एडेड स्कूल हैं उनमें कितना अनुदान गवर्नमेन्ट का दिया जाता है। उसके बारे में मुझे पता नहीं है लेकिन फिर भी वह ९८ लाख रुपया नहीं होगा। अगर आज हमारे प्रदेश के अन्दर एडेड इंस्टीट्यूशंस नहीं होते तो शिक्षा का इतना प्रसार हमारे प्रदेश के अन्दर कभी नहीं हो सकता था। हमारे प्रदेश की सरकार अगर यह कहे कि उनके स्कूल्स बहुत स्टैंडर्ड के हैं; हो सकता है कि उनके कुछ स्कूल बहुत अच्छे हों, लेकिन अच्छे किस तरह से हैं उनके पास लेबोरेटरी बहुत अच्छी है, लेकिन रिजल्ट देखिये तो कहीं २५ फीसदी, कहीं ३० फीसदी और कहीं ३५ फीसदी और बहुत से हमारे एडेड स्कूल ऐसे हैं कि जिनका रिजल्ट आप देखेंगे कि ७५ परसेंट रहा है। तो आखिर क्या नाप तौल है ? क्यों गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों को रखा है यह हमारी समझ में नहीं आता ? क्यों न सारे प्रदेश में एडेड स्कूल्स के जरिये ही शिक्षा दिलाई जाय ? क्यों न उनको ज्यादा ऐड दी जाय ? क्यों न उनके टीचर्स की तनख्वाहें उतनी ही रखी जायं जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की होती हैं ? इसलिये जो यह प्रश्न रखा गया है यह कोई छोटा प्रश्न नहीं है। यह हमारे प्रदेश की शिक्षा का प्रश्न है और उसके लिये चन्द से अमेंडमेंट हमारे माननीय मंत्री जी ले आये हैं।

उन्होंने इस ओर संकेत किया कि आवश्यकता है इस बात की कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड के बारे में सरकार गंभीरता से विचार करे, हमारी शिक्षा के बारे में सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इसे माननीय मंत्री जी ने खुद ही स्वीकार किया है। अध्यक्ष महोदय, जो इसके डिटेल्स हैं एक एक सेक्शन में उन पर तो बाद में भी विचार हो सकता है जब यह विधेयक क्लाजवाइज लिया जायगा, लेकिन इसमें एक दो चीजें ऐसी हैं कि जो मैं समझ नहीं पाया हूं। जगह-जगह पर लिखा हुआ है कि साहब बोर्ड के फैसले के खिलाफ कोर्ट आफ ला में नहीं जायगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी खत्म कर दिये जायं ? क्या धारा २२६ के अधीन रिट्स में भी हाईकोर्ट में हम नहीं जा सकेंगे ? मेरी समझ में यह बात नहीं आई। इसमें लिखा हुआ है :

"16-C (8)—No order made by the Board withdrawing recognition under clause (i) of sub-section (3) and no order made or direction given under sub-section (4) shall be called in question in any Court."

श्री शिवनाथ काटजू--रिट से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---हाईकोर्ट को भी हम कोर्ट समझते हैं। हाईकोर्ट क्या है? वह भी तो एक कोर्ट ही है। तो आखिर ऐसा लेजिस्लेशन बनाना चाहिये कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर तो आक्षेप न हो और मैं आशा करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में अगर यह बिल गया तो वहां पर इस बात पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां पर स्कूलों के इंस्पेक्शन का सवाल है हमारे डाइरेक्टर महोदय को इसमें अधिकार दिये जा रहे हैं कि वह किसी से किसी स्कूल का इंस्पेक्शन करवायें और मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी स्कूल को एतराज न होगा कि कोई उसका इंस्पेक्शन करे। मैं तो सोचता हूं कि माननीय सदस्य अपने इलाके के स्कूलों में जाते और उनको देखते रहते होंगे क्योंकि कुछ न कुछ भार शिक्षा का उन पर भी है और इसका अधिकार इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को और डाइरेक्टर को अवश्य मिलना चाहिये। इंस्पेक्टर आफ स्कूल का डर तो हर स्कूल को रहता है कि कहीं हमारी एड न बन्द हो जाय। रेकमेंडेशन इंस्पेक्टर साहब के जरिये से ही की जाती है। कहीं वह नाराज न हो जायं यह तो पहले भी था, लेकिन खैर, इस अधिकार के देने में कोई हर्ज नहीं है। उनको अधिकार अवश्य मिलना चाहिये और उसके बाद जब वह देखेंगे कि मिसमैनेजमेंट है, रिजल्ट खराब है, टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिलतीं, तो सब से पहले उनका यह काम होना चाहिये कि जहां वह यह लिख कर भेजें कि यह खराबियां हैं वहां वह यह भी लिखें कि फंड्स की यहां कमी है और इस वजह से यह खराबियां हैं। गवर्नमेंट इनको इतना रुपया दे ताकि टीचर्स की तनख्वाहें समय से दी जा सकें, उनको इंक्रीमेंट्स दिये जाया करें। उसकी एड बढ़ाने की बात भी उनको लिखनी चाहिये ताकि शिक्षा का काम ठीक से चल सके। अगर वह सरकार को यह लिखने के लिये तैयार हैं कि इस स्कूल के लिये एक अथराइज्ड कंटोलर बनाया जाय तो कोई वजह नहीं है कि वह यह भी लिखें कि इस स्कूल के पास रुपये की बड़ी कमी है, यह टीचरों को तनख्वाहें नहीं दे सकता है इसलिये इसको रुपया भी दिया जाय। सिर्फ तोड़ने के लिये, सिर्फ डराने के लिये, सिर्फ तलवार लटकाने के लिये अगर यह काम किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। हमारे इलाके में एक स्कूल है हम चाहते थे कि उसको रिकग्नीशन मिले। वह बड़ा अच्छा स्कूल है, बिल्डिंग है, रुपया भी है, लड़के बहुत हैं और वहां पर स्कूल की जरूरत भी है क्योंकि उस इलाके में कोई स्कूल नहीं है लेकिन हमारे जो इंस-पेक्टर आफ स्कूल्स हैं वह हमारी मदद करने के लिये तैयार नहीं हैं। सिर्फ रिकग्नीशन देने के लिये तैयार नहीं हैं। वह यह समझते हैं कि यह सोशलिस्ट का इलाका है और कहीं कांग्रेस वाले उनसे जा कर यह न कह दें कि तुमने उस इलाके के स्कूल के लिये क्यों रिकग्नीशन की सिफारिश की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अपने मसले को रिकग्नीशन कमेटी के सामने भी रखा और चार साल से इन्स्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ते-जोड़ते थक गये लेकिन आज तक उन इन्सपेक्टर साहब ने रिपोर्ट लिख कर नहीं दी। हमने कमेटी के मेम्बरों से भी कहा कि हमारे साथ वहां चले चलो और देखो कि वहां पर उसकी क्या हालत है। अब शायद कुछ उसके विषय में हुआ होगा। मैं कहता हूं कि कितनी दिक्कतें हैं। जब इन्स्पेक्टर महोदय एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने के लिये तैयार हैं तो वहां पर शिक्षा का प्रसार करने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर पानी बरस गया है तो फिर इन्सपेक्टर कहीं नहीं जा सकते हैं। यह एक ईमानदारी की बात है जो मैं निवेदन कर रहा हूं।

मैं तो कभी भी रिकग्नीशन के बारे में बोर्ड में नहीं गया। अपनी जिन्दगी में एक बार पहली बार गया था। मुझे कुछ शिकायत माननीय परिपूर्णानन्द जी से भी है। वहां पर हम लोग ७०, ८० जिसमें बहुत से एम० एल० ए० थे और मैनेजर स्कूल के थे, गये थे लेकिन वहां पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं पर पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। जब हमने वहां पर इस कठिनाई के लिये कहा तो कहा गया कि यह गनीमत है कि हम लोगों को

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

वहां पर खड़ा होने दिया जा रहा है। अगर चेयरमैन को इतनी सुविधा देने के लिये भी अधिकार नहीं है तो फिर मैं समझता हूं कि ऐसी चेयरमैनी तो करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे इसी सदन के एक सदस्य चेयरमैन भी हैं उनको हम लोगों की प्रेस्टिज का कुछ ख्याल आया और हम लोगों को बुलवाया गया और हमसे बातचीत की गयी। मैं नहीं जानता यह कहीं प्राविजन है या नहीं, लेकिन ऐसा किया गया। हम लोग वहां पर १० बजे से बैठे रहे और शाम को साढ़े सात बजे हमारी सुनवाई हुई। लेकिन फिर भी जहां तक रिकग्नीशन का सवाल है हमने इस बारे में वहां पर कहीं भी कोई पार्शियलिटी की बात नहीं सुनी। मैंने इलाहाबाद में यह भी सुना कि कोई इन्स्पेक्टर किसी स्कूल के लिये रिकग्नीशन के बारे में कोई सिफारिश नहीं करता है कि यह स्कूल ठीक है। वह सब की मुखालफत करता है और इन्सपेक्टर बिलकुल खिलाफ रिपोर्ट लिखता है। कहीं यह सुनाई पड़ा कि कुछ स्कूलों के लिये कोशिश हो जाती है जिनका नाम जवाहर लाल हाई स्कूल है या डाक्टर सम्पूर्णानन्द हाई-स्कूल है या काटजू हाई स्कूल का नाम है। हमने भी सोचा कि हम भी कोई ऐसा नाम रख लेंगे जिससे हमारी सुनवाई भी जल्दी हो जाय। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हमने कोई भी पक्षपात की बात नहीं सुनी कि ये रिकग्नीशन वाले लोग पक्षपात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ख्वाजा साहब ने कहा यह बिलकुल आवश्यक है कि इन्टरमिडियेट बोर्ड के अन्दर रिफार्म की आवश्यकता है। परीक्षा समितियों में रिफार्म होने की आवश्यकता है और उसके तरीके में रिफार्म होने की आवश्यकता है। सिर्फ इसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि एडेड स्कूलों में टीचरों को रखें। इसमें लिखा है कि तुम्हारा रिकग्नीशन विदड्रा कर लिया जायगा। इससे हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। तब यह होना चाहिये कि अथराइज्ड कन्ट्रोलर मुकर्रर हो जावें। अगर स्कूल में चन्दा वसूल करने की कमी हो तो वह वसूल करें। स्कूल को बिलकुल जड़ से काटने की आवश्यकता नहीं है कि न मर्ज रहे न मरीज। अथाराइज्ड कन्ट्रोलर के मातहत कोई ऐसा ही मैनेजर रह सकेगा कि जो हाथ जोड़ता रहे वरना वह सारी जमीन जायदाद एन्डाउमेन्ट फंड ले लेगा। अगर सरकार का मंशा ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को अपने कंट्रोल में लेने का है तो ठीक है। लेकिन दूसरा मत इसके विरुद्ध हो सकता है और इसमें कोई ट्रेड या बिजनेस की बात नहीं है। गवर्नमेंट लेना चाहती है तो ले ले। कहा गया है कि टीचर्स की नियुक्ति की क्वालीफिकेशन्स रखी जावेंगी, ठीक है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि गवर्नमेंट के और एडेड स्कूलों के टीचर्स की तनख्वाहों में राइक्लरी मालूम होती है, तो वेतन का स्केल भी जब सरकार तय करेगी तो वह यह नहीं कह सकती कि तुम कहीं से भी मांग कर लाओ। जब कभी आवश्यकता पड़े प्राइवेट स्कूलों को वह सरकार को पूरी करनी चाहिये। यह ठीक है कि तनख्वाह वही हो जो सरकार के स्कूल के मास्टर की है लेकिन जब सरकार अधिकार चाहती है तो जिम्मेदारी भी ले।

सेलेक्शन कमेटी के बारे में यह है कि टीचर्स के सेलेक्शन के लिये एक कमेटी होगी। उसमें प्रिंसिपल मेम्बर होगा और सैलेक्शन कमेटी जिस टीचर को रखेगी उसका नाम इंस्पेक्टर साहब के पास जायगा और यदि वह चाहें तो बिना किसी कारण के दिये हुए कह सकते हैं कि हम फलां टीचर को मुकर्रर नहीं करते हैं। उसके बाद मैनेजर अपील करे दो महीने के अन्दर, डिप्टी डायरेक्टर के पास जाय, यह भी बहुत बड़ी दिक्कत है। जब प्रिन्सिपल उस कमेटी का मेम्बर है तो फिर उस टीचर की नियुक्ति हो जानी चाहिये। इसके लिये इंस्पेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। यह अधिकार स्कूलवालों के पास रहे तो ज्यादा अच्छा है।

जहां तक किसी टीचर को स्कूल से निकालने की बात है, उसके लिये इंस्पेक्टर को दखल देना चाहिये और उसे इसका अधिकार होना चाहिये। वरना डे-ट-डे ऐडमिनिस्ट्रेशन में बड़े

भारी झगड़े होंगे। एप्वायन्टमेन्ट का अधिकार, जैसा मैंने कहा, मैनेजमेन्ट को होना चाहिये और निकालने के लिये टीचर को चार्ज-शीट मिलनी चाहिये कि तुम्हारे खिलाफ ये ये शिकायतें हैं। उसे मौका मिलना चाहिये।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस रीजनल डायरेक्टर आफ एजूकेशन के पद के बिलकुल अबोलीशन के फेवर में हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायें कि वह क्या काम करते हैं। वे कुछ काम नहीं करते, बिलकुल डाकखाना हैं। सारे अधिकार इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल्स में कांसेन्ट्रेट हो गये हैं। इससे अच्छा तो मैं यह चाहता हूं कि फंक्शनल डिप्टी डायरेक्टर्स हों जिनका दफ्तर इलाहाबाद में हो। कोई एड देने वाला हो तो किसी के जिम्मे कोई दूसरा काम हो। डायरेक्टर साहब के पास बहुत ज्यादा काम हो सकता है इसलिये हेड क्वार्टर्स पर डिप्टी डायरेक्टर साहब रक्खे जायं लेकिन यह जो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर्स हैं इनको तो हटा ही देना चाहिये। इसका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिये। सेलेक्ट कमेटी में अगर यह जाय तो वहां भी इसका ध्यान रक्खा जाना चाहिये।

जहां तक टीचर्स के कनफरमेशन के बारे में है, इंसपेक्टर साहब को सारे के सारे अधिकार दे दिये गये हैं। आगे चल कर डायरेक्टर साहब के आदेशों को फाइनल मान लिया गया है।

मैं सिद्धान्ततः इस बिल के पक्ष में हूं और यह चाहता हूं कि हमारे टीचर्स की स्टेबिलिटी होना जरूरी है। साथ ही साथ यह भी चाहता हूं कि हमारे जो एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने प्रदेश में शिक्षा का प्रचार किया है, उनके उत्साह में रोड़ा न अटकाया जाय लेकिन अगर किसी स्कूल में कोई बदइंतजामी है तो उसमें गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिये। आज भी सरकार को पूरे अधिकार हैं और वह चाहे तो ऐसी हालत में उनकी ग्रान्ट बन्द कर सकती है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इन शब्दों के साथ नारायण दत्त जी का जो सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरये खूं न निकला। हम बहुत दिनों से सुन रहे थे कि एक इंटरमिडियेट ऐजूकेशन बिल आने वाला है। उसमें जो त्रुटियां हैं वह सब दूर कर दी जायंगी। कमेटी मुकर्रिर की गयीं, उनकी रिपोर्ट आयीं, उसके बाद बिल आया लेकिन हम देखते हैं कि जो त्रुटियां थीं उनको दूर नहीं किया गया। यह जो विधेयक आपके सामने आया है, उसमें उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इंटरमीडियेट एजूकेशन को चलाने वाले जो विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं उनकी दिक्कतों को सामने नहीं रक्खा गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही साथ सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बल्कि इस बिल में सत्ता का केन्द्रीयकरण किया गया है। जैसा कि परिपूर्णानन्द जी ने कहा परीक्षा समिति और मान्यता समिति का जहां तक संबंध है, उनके काम में कोई खराबी नहीं थी बल्कि वह अपना काम ईमानदारी से करती थीं लेकिन वह काम इतना अधिक था कि वह ठीक प्रकार से काम नहीं हो सकता था। जहां व्यक्तियों में त्रुटियां हैं वहां यह भी सोचने की बात है कि जहां तीन-तीन लाख विद्यार्थी परीक्षा दें, यदि प्रत्येक विद्यार्थी १५ कापियां भी लगा ली जायं, तो ४०, ५० लाख कापियों का हैंडिल करना और उनका वितरण करना और उनको जचवाना और फिर उनका परीक्षा-फल निकलवाना, यह कितना बड़ा काम है। इसको किसी प्रकार से भी किया जाय और उसके लिये अच्छे से अच्छे आदमी भी हों तो भी उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य हो सकती हैं।

मान्यता समिति का भी जिक्र किया गया है, मान्यता समिति का मुझे इसी वर्ष व्यक्तिगत अनुभव हुआ है। मैं बहुत दिनों से इस क्षेत्र में कार्य करता रहा हूं। रिकग्नीशन के सिलसिले

[श्री जगदीशप्रसाद]

में मुझे एक दो बार इलाहाबाद जाना पड़ा। मुझे श्री परिपूर्णानन्द जी ने कहा था कि तुम चले आना या किसी को भेज देना काम हो जायगा लेकिन अगर मैं नहीं जाता तो मेरा काम अवश्य खराब हो जाता। मैंने वहां देखा कि सौ, सवा सौ व्यक्ति इकट्ठे हो गये। पहले पहले मैं इस साल इलाहाबाद गया था। मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी को दुआ तो क्या दूं, वे मुझसे बड़े होंगे लेकिन वास्तविकता यह है कि सब लोग उनको दुआ दे रहे थे कि एक व्यक्ति ऐसा है जो जनता की परेशानियों को जानता है, जो रिकग्नीशन कमेटी का प्रधान है। मैंने देखा कि एक बार श्री परिपूर्णानन्द जी बाहर निकल कर आये और उन्होंने देखा कि कोई किसी पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई दफ्तर के बरामदे में खड़ा है, धूप बहुत कड़ी, उन्होंने एक दरी बिछवा दी जिस पर प्रिंसिपल, अध्यापक मैनेजर आदि सभी बैठ गये। वहां के क्लर्क तो यह समझते हैं कि ये लोग हमारा वक्त बरबाद करने के लिये ही आये हैं। लेकिन फिर दुबारा श्री परिपूर्णानन्द जी ने एक मटके में पानी भरवा कर मंगवा दिया और उसमें बर्फ भी डलवा दी। इस तरह की सुविधा इस वर्ष के अलावा पिछले वर्ष भी हुई थी, उसके पहले कभी नहीं हुई थी।

जहां तक ग्रांट देने की बात है उसके विषय में मैं बतलाऊं कि जो सहायता मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दी जाती है वही सभी जगह वितरित होती है और एक एक संस्था के मैनेजर या प्रिंसिपल उस रुपये को लेकर खर्च करते हैं। प्रति वर्ष यह होता है, लेकिन उसके विषय में इस बिल के अन्दर एक शब्द का भी कहीं समावेश नहीं है। इन त्रुटियों को दूर करने का एक मात्र उपाय था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बार ब्लाक ग्रांट की बात सोची थी और उन्होंने कहा था कि जिले के स्तर पर ब्लाक ग्रांट सभी को देंगे लेकिन इसके खिलाफ सत्ता का केन्द्रीयकरण किया गया है।

दूसरी बात जो मैं इस विधेयक में देखता हूं वह यह है कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के मैनेजरों पर अविश्वास किया जाता है जिसकी वजह से जो शक्ति उनके हाथ में आज है वह उनके हाथ से लेकर सरकार सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दे देना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक संस्था का मैनेजर हूं और इसी नाते इस क्षेत्र में काम करता रहा हूं। इस सम्बन्ध में दो तीन बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। इस विधेयक में लिखा है कि अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। मैं आपके द्वारा सरकार से पूछूंगा कि किसी संस्था के संचालन का अधिकार आप सरकारी कर्मचारियों को दे दें उसके ऊपर मैनेजर का कोई हाथ न रहे तो क्या वहां अनुशासन रहेगा? यदि उनके सब कर्मचारी, प्रिंसिपल, अध्यापक आदि के ऊपर मैनेजर का जरा भी असर न रहे और फिर आप आशा करें कि वहां अनुशासन रहे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है?

दूसरी बात इस विधेयक से यह उत्पन्न होती है कि आप मैनेजर, अध्यापक और सरकार को तीन वर्गों में रखते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि मैनेजर का हित अलग है, अध्यापक का हित अलग है और सरकार का हित अलग है। यह हो सकता था जब हमारे सामने जमींदारी उन्मूलन का विषय था कि वहां जमींदारों, किसानों और सरकार के अलग-अलग वर्ग थे, लेकिन जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है और शिक्षा का सम्बन्ध है मैं समझता हूं सरकार, अध्यापक और मैनेजर तीनों के ही एक से हित हैं। अध्यापकों को अच्छा ग्रेड मिलने में, उनके सन्तुष्ट रहने में, संस्थायें अच्छी चल सकती हैं और कोई मैनेजर संस्थाओं को खराब करना नहीं चाहेगा। अगर किसी संस्था के अध्यापक संतुष्ट हैं तो अवश्य ही वह संस्था अच्छी चलेगी। यह दूसरी बात है कि अध्यापकों और मैनेजमेंट के बीच में कुछ मतभेद हो लेकिन जितने भी सरकुलर और आर्डर सरकार के द्वारा अध्यापकों को सुविधा देने के लिये गये क्या किसी भी ऐसे आर्डर का कोई भी विरोध मैनेजर्स की तरफ से हुआ? आपने उनके लिये वेतन नियत किया, क्या प्राविन्शियल मैनेजर्स असोसियेशन ने आपको धन्यवाद दिया

गया ? यह जरूर हमने कहा कि आप अपने वादे के अनुसार हमें वेतन का वह हिस्सा दे दें, हमने कभी किसी ऐसी चीज का विरोध नहीं किया। आपने अध्यापकों के लिये जो कुछ भी किया कभी मैनेजर्स असोसियेशन की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया कि आप ने ऐसा क्यों किया। आपने उनको सर्विसेज की सीक्योरिटी दी लेकिन मैनेजर्स ने कहीं भी इसका आपोजीशन नहीं किया, परन्तु यदि आप कहें कि जो उनके संचालन का अधिकार है उस को भी छीन लिया जाय, तो आपत्ति अवश्य होगी।

इस बिल में जो मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं मैं बहुत विस्तार से उनमें नहीं जाऊंगा। इस में एक स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है उसमें यह विस्तार से लिखा है कि .....

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२१ अक्तूबर, १९५६ ई०।

मिट्ठनलाल
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी०—२० पी०—२३५ एल० ए०—१९५६—७९६।